खण्ड-220, अंक-6
शुक्रवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(17 मार्च, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 220 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मारामगोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३८५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र ,श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री

गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री

नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र,श्रीमती
बैचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री

रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)

शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी कर्मचारियों का सेवा-निवृत्ति-काल

१—श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया) तथा **श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति-काल को ५८ वर्ष से ५५ वर्ष करने के सम्बन्ध में उन्होंने कोई निर्णय किया है या नहीं ? यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक हो जायेगा ?

संसदीय विषयक उप मन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—अभी तक सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है। यह विषय विचाराधीन है किन्तु निर्णय किस तिथि तक हो जायेगा यह बताना सम्भव नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--कृपया मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि इस मसले में शीघ्र निर्णय लेने में क्या कठिनाई है?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---हर मसले के हर पहलू को और खासकर कानूनी पहलू को भी देखना आवश्यक होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन की राय लेना भी आवश्यक प्रतीत होता है। बहुत से विभागों से भी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। बहुत से विभागों से जानकारी आ चुकी है और कानूनी राय भी आ चुकी है, लेकिन अभी वह कतई कानूनी राय नहीं है। उसके ऊपर कुछ सन्देह प्रकट किया जा रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन की राय भी अभी नहीं आई है। जब ये सारी रायें संकलित हो जावेंगी तब सरकार निर्णय लेगी।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि सरकारी नौकरों में यंगर जनरेशन की सीनियारिटी इस ५८ वर्ष की कैद की वजह से सफर कर रही है, इसलिये इसमें शीघ्रता करने का प्रयास किया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिस दिन से यह सरकार आई है तभी से इस ओर विचार करने का और निर्णय लेने का प्रयत्न रहा है।

श्री ऊदल---कब तक सरकार इस पर निर्णय ले लेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---शीघ्रातिशीघ्र निर्णय का प्रयास हो रहा है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जायगा।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---पूर्ववत् ५५ वर्ष करने में कौनसी कानूनी आपत्ति है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कानूनी राय मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। जब सरकार उससे सन्तुष्ट हो जायगी तब निर्णय ले लेगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार ने अन्दाजा लगाया है कि ५५ से ५८ वर्ष की अवधि कर देने पर कितने लोगों की इससे तरक्की हुई है और फिर ५५ हो जायगा तो जिनकी तरक्की हो चुकी है उनको हानि तो नहीं होगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---फिर ५५ वर्ष होने पर कुछ व्यक्तियों को जो ५६ व ५७ में ऊंचे पहुंच सकते थे, ऊंचा वेतन पा सकते थे या पेंशन पा सकते थे, उनको अवश्य नुकसान होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---५५ से ५८ करते समय पब्लिक सर्विस कमीशन की राय क्या ५५ के ही पक्ष में थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक मेरी जानकारी है, कमीशन से पहले राय नहीं ली गई थी, लेकिन जब घटाने का विषय आता है और वह सर्विसेज के प्रिविलेज बन जाते हैं और मैं ऐसी परम्परा मानता हूं कि हमको इस सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन से भी राय लेनी चाहिये। निर्णय लेना तो सरकार के ही हाथ में है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या प्रदेश में ऐसे भी कुछ अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन ५५ से ५८ वर्ष करने पर रुक गया और ५५ होने पर वे रिटायर होकर प्रमोशन से वंचित रह जावेंगे? यदि हां तो सरकार उनको कम्पेंसेशन देगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ये सारे विषय बाद को विचारे जावेंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—सेवा निवृत्ति की आयु ५८ से ५५ करने पर पुराने कर्मचारियों पर ही प्रभाव पड़ेगा या नये कर्मचारियों पर भी पड़ेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सारा प्रश्न विचाराधीन है, और अधिक ब्योरे में इस समय जाना सरकार मुनासिब नहीं समझती ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने केन्द्र से भी राय ली है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्र की राय तो घोषित हो चुकी है और नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की व प्लानिंग कमीशन की राय सरकार को मालूम है । स्वतः मुझे नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल का सदस्य होने के नाते उसकी राय का ज्ञान है ।

लखनऊ में बटलर बांध की मरम्मत

****२—श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर स्थित बटलर रोड बांध जो गत बाढ़ में टूट गया था मरम्मत करने के लिये क्या कार्य किया जा रहा है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—बटलर बांध की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है । इसके लिये शासन ने ५,४३,२४० रुपये का अनुदान दिया है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—बरसात से पहले पूरी होने की आशा है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या यह बांध ऊंचा भी किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने फ़ीट ?

श्री कैलाशप्रकाश—टूटे हुए की मरम्मत की जा रही है और ऊंचा इतना किया जा रहा है कि सन् १९२३ के फ्लड के लेविल को मीट कर सके ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् १९२३ के फ्लड के बाद उससे बांध ५ फीट ऊंचा किया जा चुका है ? इसकी मरम्मत की आज्ञा कब हुई और किस तारीख तक पूरा करने की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता, महानगरपालिका के प्रमुख नगराधिकारी तथा इंजीनियर्स और मैं, जो काम वहां हो रहा है उसे देखने गये थे । मुख्य अभियन्ता ने मुझे बताया कि जो वचन उन्होंने विभाग को और मुझे दिया है कि वह इस कार्य का सम्पादन मई के अन्त तक या जून के पहले सप्ताह तक अवश्य कर लेंगे, वह पूरा हो जायगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या सरकार बतायेगी कि यहां डिसिल्टिंग क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डिसिल्टिंग के विषय में हमारे इंजीनियर्स की यह राय है कि उससे बाढ़ आदि को रोकने की हमारी अभिलाषा पूरी न हो सकेगी । उन्होंने इस कार्य के सिलसिले में एक बड़ी योजना बनायी है जो करीब २ करोड़ रुपये की है । जब वह योजना ब्योरेवार बन जायगी तब उस पर फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड विचार करेगा । अभी तक जो निर्णय लिये

गये हैं वे सब सन् १९२३ की बहिया को सामने रख कर किये गये हैं। जो चीज इस पिछली बहिया में बिगड़ गई है उसको सुधारा जा रहा है। बड़ी योजना के बनने और उसको सम्पादित करने में समय लगेगा। ऐसी आशा की जाती है कि जब यह निर्णय ले लिया जायगा कि इस बड़ी योजना को कार्यान्वित किया जाय उस समय से उसको कार्यान्वित करने में तीन—साढ़े तीन वर्ष लग जायेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह मालूम है कि १९२३ की बाढ़ के बाद १९२६-२७ में इस बांध का निर्माण किया गया था और उससे उसकी सतह ढाई फुट ऊंची रखी गयी थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसका ब्योरा तो मुझे मालूम नहीं है। यदि इसका नोटिस दिया जायगा तो सूचना प्राप्त करके दे सकूंगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या माननीय मंत्री जी के सामने ऐसी कोई शिकायत आयी है कि इस बांध में जो मिट्टी डाली जा रही है उसमें नदी की बालू भी डाली जा रही है, जिससे बांध के टूटने का खतरा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बांध को मैं स्वयं देखकर आया हूं। यह सही है कि बालू भी डाली जा रही है, लेकिन वहां जो कुछ भी हो रहा है वह मुख्य अभियन्ता की सलाह से हो रहा है, जो इसके विशेषज्ञ हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह बांध जो मई तक बन जायेगी तो क्या उस समय तक उसकी रिपेअर और ब्रीचेज को ही ठीक करने का काम होगा अथवा उसको ऊंचा भी किया जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बांध को और अधिक ऊंचा करने के काम का सम्बन्ध बड़ी योजना से है उसमें २-३ वर्ष लगेंगे, यदि फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड उस पर अपनी स्वीकृति दे देगा।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि बांध को ठीक करने के लिये जो ४,४३.२४० रुपया खर्च किया जा रहा है, उससे अब तक कितना बांध बन चुका है और उसमें कितनी रकम खर्च हो चुकी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रुपया कितना खर्च हो चुका है, यह तो मैं इस समय नहीं बता सकता हूं। मैं स्वतः बांध देखने गया था तो जो मेन ब्रीच थी जिससे पहले पानी बढ़ा वह करीब-करीब बांध की सतह तक पट चुकी है। दूसरी ब्रीच पर कार्य जारी है। वह भी मई के अन्तिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह यानी बरसात से पहले पूरी पट जायगी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बांध पर जो कार्य हो रहा है वह पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा मजदूरों द्वारा कराया जा रहा है या ठेके पर कराया जा रहा है? यदि ठेके पर कराया जा रहा है, तो ठेका किसको दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—काफी कार्य तो ठेकेदार के द्वारा हो रहा है और कुछ कार्य विभाग के द्वारा भी होता है जैसे ड्रिलिंग वगैरह विभाग के अधिकारियों के तहत में किया जा रहा है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ठेका किसको दिया गया और क्या उसके लिये टेंडर मांगे गये थे और यदि टेंडर मांगे गये थे, तो जिसको ठेका दिया गया है उसका टेंडर सब से कम था या ज्यादा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह ब्योरे की बात है। टेंडर मुख्य मंत्री के पास नहीं आता है और मेरा खयाल है कि पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर के पास भी नहीं आता है। वह तो मुख्य अभियन्ता के पास आता है और उन्हीं के पास रहता है। यदि माननीय सदस्य उस सूचना के लिये नोटिस देंगे तो मैं यह सूचना प्राप्त कर लूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)— क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९२३ के बाद यहां पिछले साल फिर फ्लड आया था और ज्योतिषियों का कहना है कि अब इतने साल के बाद ही फ्लड आयेगा, तो इतनी जल्दी क्या है बांध बंधवाने की और उसे सरकार धीरे-धीरे मजबूत और अच्छा बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय सदस्य की यह सूचना सही नहीं है कि सन् १९२३ के बाद यही एक बाढ़ आयी। सन् १९२३ के बाद चार-पांच दफा बाढ़ इस नगर में आ चुकी है और सन् १९२३ की ऊंचाई तक तो दो साल पहिले ही, जब इस नगर में बाढ़ आयी थी, पानी आ गया था।

श्री ऊदल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस बड़ी योजना का उन्होंने जिक्र किया जो कि अभी सरकार के विचाराधीन है और जिसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से वे रुपया चाहते हैं, क्या उसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने इंजीनियर्स की कोई कमेटी निर्धारित की थी जिसने गोमती नदी का सर्वे किया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— यह योजना विशेषज्ञों के द्वारा ही बनायी जाती है। फ्लड कंट्रोल बोर्ड के सारे इंजीनियर्स, केन्द्रीय सरकार और वाटर ऐण्ड पावर कमीशन के इंजीनियर्स तथा प्रादेशिक सरकार के जो विशेषज्ञ माने जाते हैं—इरीगेशन के चीफ इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इंजीनियर तथा और इंजीनियर्स बैठते हैं और उन विशेषज्ञों की सलाह से विभाग योजना तैयार करता है और इन तमाम चीजों पर विचार करके फ्लड कंट्रोल बोर्ड निर्णय लेता है और उसके लिये धनराशि आदि प्राप्त करने की चेष्टा करता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनको यह मालूम है कि गोमती नदी के पेटे की तरफ के हिस्से में जो बांध बंध रहा है वहां पिचिंग के लिये गिट्टी को मिट्टी में सान कर डाला जा रहा है और ईंटे की जुड़ाई १–४ सीमेंट से हो रही है और सुना है कि उस पर प्लास्टर भी नहीं होगा, तो इस बात को देखते हुए कि बांध इतना कमजोर न हो कि इस बरसात में फिर उस बांध के नजदीक रहने वाले उस बहिया में बह जायं उसे और मजबूत बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं कोई विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि पिचिंग जो होगी वह बड़े पत्थरों और कंकड़ों से होगी जैसा कि अन्य बड़े स्थानों पर जहां कि बांध-बंधे हैं, पिचिंग हुई है। इसलिये माननीय सदस्य के लिये कोई घबड़ाने की बात नहीं है।

श्री सुरथबहादुरशाह—माननीय मंत्री जी ने कहा कि डिसिल्टिंग भी नहीं होगी और बांध की सतह भी ऊंची नहीं की जायगी, तो क्या यह ५,४२,२४० रुपये एक फर्लांग बांध बनाने के लिए मंजूर हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह घबराहट को दूर करने के लिये मंजूर हुआ है। माननीय सदस्य भी वहीं रहते हैं क्योंकि उनकी कोठी भी बांध के नजदीक ही है, तो उनको घबराहट से बचाने के लिये ही यह किया गया है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)— क्या इन विशेषज्ञों में कोई राजनीतिक विशेषज्ञ भी है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अगर जरूरत हो तो उसमें आपको ले लिया जाय ?

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गोमती नदी का सर्वेक्षण करायेंगे कि गोमती नदी की सतह में १० फीट बालू जम गया है और केवल इस बांध को ऊंचा करना ही अगली बाढ़ के लिये नाकाफी होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी निवेदन किया कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं तो उन इंजीनियर्स की सलाह पर और उन विशेषज्ञों की सलाह पर इस विषय में काम करना चाहता हूं जो सरकार को इस विषय में सलाह देते हैं और उन तमाम दिक्कतों को रफा करने की चेष्टा करते हैं जो कि बाढ़ के द्वारा नागरिकों के बीच में समय-समय पर उपस्थित होती हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको किन्हीं विशेषज्ञों ने कोई ऐसी सूचना दी है कि सन् १९२३ के बाद सन् १९६० की बाढ़ में पानी कितना ऊंचा आया और पहले सन् १९२३ के मुकाबले में पानी के प्रवाह में कितना अधिक वेग इस बार था ?

(हंसी—उत्तर नहीं दिया गया)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—यह सब जो ब्योरे की बात है और शायद इस समय वह उनके पास नहीं है कि किसको टेंडर दिया गया, टेंडर काल किये गये या नहीं या मेग्जिमम और मिनिमम कितना था यह सब ब्योरा क्या मंत्री जी सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आप नोटिस दे रहे हैं तो मैं सूचना मंगा कर बता दूंगा, लेकिन मेरी जानकारी है कि यह जो आक्षेप की बात कही गई है वह बिलकुल निर्मूल है और इस प्रकार का आक्षेप करना उन परम्पराओं के विरुद्ध है जिन परम्पराओं को यहां आशा की जाती है।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ५,४२,२४० रुपये में से कितनी रकम बांध की मरम्मत के लिये है और कितनी हमारी घबराहट रफा करने के लिये है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह पूरी रकम माननीय सदस्य की घबराहट को दूर करने के लिये ही मंजूर की गई है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस पुल में जो मसाला लगता है उसमें कितना हिस्सा सीमेंट का और कितना बालू का रहता है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। आपको इसका स्वयं ज्ञान है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया कि इंजीनियर्स और फ्लड कंट्रोल बोर्ड मिल कर योजना तैयार करते हैं, तो नदी का सर्वे कराने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी या उनकी सरकार ने सर्वे आदि के लिये कोई कमेटी बुलाई या नहीं और सर्वे हुआ या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं सर्वे की बात इतनी ही जानता हूं कि जब बहिया आई तो इरिगेशन विभाग के अधिकारियों ने और फ्लड कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने सर्वे किया है और उसी की बुनियाद पर एक लम्बी चौड़ी और बड़ी योजना बनाने का प्रयास किया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक , १९६१

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ फरवरी, १९६१ की बैठक में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से १७ मार्च, १९६१ को बिना किसी संशोधन के वापस प्राप्त हो गया है।

इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली तथा इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली के १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षा पर पूरक टिप्पणी

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की संशोधित धारा ६१९ (ए) के अनुसार दि इंडियन टरपेण्टाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली तथा दि इंडियन बाविन कम्पनी लिमिटेड, बरेली के १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षा पर पूरक टिप्पणी सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जो लेखा परीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन है इस पर तो नियमानुसार विचार होगा ही। मैं इतना ही कहूंगा कि इसी प्रकार जिन कम्पनीज में सरकार के शेयर्स हैं उनकी रिपोर्ट भी इसी प्रकार से मुख्य मंत्री जी सदन की मेज पर रख दिया करें तो उचित होगा, जैसे कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज हैं जिनमें ९० फीसदी के करीब सरकार का कैपिटल शेयर है। नियमानुसार यह उचित होगा, यदि उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा प्रतिवेदन भी मेज पर रख दिया जाया करे। आशा है आप इसकी व्यवस्था जरूर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं.....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरी बात सुन लें तब आप कुछ कहें तो अच्छा हो। जो रिपोर्ट रखी उसी कम्पनी ऐक्ट के मुताबिक जहां कहीं भी सरकारी शेयर हो प्रति वर्ष इस सदन के सामने सरकार के नोट के साथ बेलेंस शीट रखी जानी चाहिये और अनिवार्यतः सरकार को ऐसा करना चाहिये यह हमारा प्रिविलेज है। सरकार ने पिछले कई वर्षों से इन रिपोर्टों को और बैलेंस शीट्स को नहीं रखा है....

श्री अध्यक्ष—पहले रखा जाता था?

श्री गेंदासिंह—जो कम्पनी ऐक्ट में संशोधन हुआ उसके अनुसार पहले कभी नहीं रखा गया और यह प्रश्न पहले भी उठा था और आपने उस पर सरकार को, जहां तक मुझे याद है, इस तरह के आदेश भी दिये थे कि उसकी कम्प्लायेंस होनी चाहिये, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं इसको देख लूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मुझे कम्पनीज ऐक्ट के बारे में ज्ञान नहीं है। यदि उसमें ऐसा चाहा जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिये तो अवश्य मैं इस प्रकार के आदेश जारी करूंगा जिससे कि वह सूचना जो जानना चाहते हैं और जो बेलेंस शीट इत्यादि हमें रखनी चाहिये वह यहां रखी जाय।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित विज्ञप्ति

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा २९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दी गई तथा कृषि (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या बी-३०४७ १२-बी-४७०-५९, दिनांक ८ मार्च, १९६१ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम की प्रतिलिपि उक्त धारा २९ की उपधारा (१) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---विशेषाधिकार की अवहेलना के जो प्रश्न हैं उनमें एक तो श्री मोतीलाल अवस्थी जी ने रखा था कि उनका कोई भाषण छपा नहीं किसी एक अखबार में, लेकिन दूसरे रोज वह छप गया उसी नेशनल हेराल्ड में। छपने अथवा न छपने के बारे में मैं एक दफा फैसला दे चुका हूं कि अखबारों को यह बात करनी पड़ती है कि अपनी स्पेस को देखते हुए कुछ कांट-छांट वह करें, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि उनको करीब-करीब सबके नाम थोड़े बहुत देने चाहिये और उनका क्या भाषण हुआ संक्षेप में देना उचित होगा, क्योंकि जब वह यहां रिपोर्ट लेने आते हैं तो रिपोर्टिंग कर देनी चाहिये। खैर जब छाप दिया तो प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन इसमें प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता क्योंकि अगर एक दिन स्पेस न हो और वह न छापें और दूसरे रोज छाप देते हैं तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---नाम छापें और उसमें उनका भाषण दें तो इसमें तो स्पेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन नाम बिल्कुल न दें तो कार्यवाही आधी रह गई। अगर रिपोर्टिंग पूरी करनी है तो विवरण भी दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---दूसरे रोज तो बहुत लम्बा भाषण छपा है, मैंने उसको देखा था।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं है कि अवस्थी जी का भाषण पत्रकारों की समझ में न आया हो, इसलिये न छपा हो?

श्री अध्यक्ष---आप इस प्रकार की टीका न करें, इसी पर लड़ाई होती है। आप दूसरों के मामले में न बोलें तो अच्छा है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---कहीं ऐसा तो नहीं है कि पी० एस० पी० वालों ने अखबार वालों से सिफारिश की हो कि मोतीलाल जी की स्पीच न छापी जाय?

श्री अध्यक्ष---आप बैठें। एक दूसरे पर तानाकशी न करें तो अच्छा है।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध बजट प्रस्तुत होने से पूर्व उसके संबंध में सूचना देने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न श्री प्रतापसिंह जी का है जो मुख्य मंत्री जी की स्पीच के बारे में है जो किसी अखबार में छपी है। प्रिविलेज का सवाल उठाना था तो कल ही मेरे पास उसे भेज देना चाहिये था, लेकिन अगर अखबार का ही सवाल है तो अखबार में इनफार्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैंने प्रतिवाद देखा उससे प्रश्न अनिश्चित हो जाता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैंने "अखबार" नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष---आपने लिखा हो या नहीं लिखा हो परन्तु अखबार की सूचना ही पर प्रश्न आधारित है। मैं प्रिविलेज का सवाल खत्म करता हूं।

श्री प्रतापसिंह---एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें। मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं। अखबार से निकली चीज पर प्रिविलेज का सवाल आप नहीं उठा सकते। आप सूचना मांग सकते हैं कि ऐसा किसी मंत्री जी ने कहा या नहीं, लेकिन अब तो प्रतिवाद भी छप गया है। अगर अखबार आप पढ़ते तो उसमें लिखा है कि इस तरह के शब्द मुख्य मंत्री जी के नहीं थे। तो जहां तक कि विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में इजाजत देने का सवाल है मैं इजाजत देना नहीं चाहता, लेकिन जैसा कल कहा था कि ऐसी कोई भी सूचना जिसका बजट से सम्बन्ध हो, बजट में क्या आंकड़े हैं उसका इशारा हो, ऐसी चीज पहले सदन को अधिकार है कि सूचना मंत्रिगण से प्राप्त करे। यही स्वस्थ परम्परा हो सकती है। अब चूंकि इसमें परम्परा की अवहेलना होने की शंका हुई है तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण संक्षेप में दे दें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, परसों मुझे यहां के हायर सेकेंडरी स्कूल और कालेजेज के प्रिंसिपल्स ने महिला विद्यालय में आमंत्रित किया था और वहां उन्होंने मेरे समक्ष अपनी कठिनाइयां तथा दिक्कतों को पेश करते हुए कुछ मांगों को पेश किया था। उनका जवाब देते हुए मैंने यह निवेदन किया था कि जहां तक गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं का सम्बन्ध है उन गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं ने शिक्षा के विषय में बहुत बड़ा कार्य अपने प्रदेश में किया है। इसलिये उनकी जो समस्यायें हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों से काफी मात्रा में सरकार की और मेरी सहानुभूति है। परन्तु मैंने जैसा कि सदन में कई मर्तबा निवेदन किया है, सरकार के समक्ष प्रश्न यह है कि सरकार किन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिये शिक्षा को प्राथमिकता दे। उस सम्बन्ध में मैंने उनसे यह निवेदन किया कि हमारे लिये तथा प्रदेश के लिये यह दुर्भाग्य तथा दुःख की बात है कि जो शिक्षा देने वाले प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं उनको इस प्रदेश में जितनी तनख्वाहें मिलती हैं अन्य प्रदेशों के प्राइमरी शिक्षकों के मुकाबले में वे तनख्वाहें बहुत कम हैं और वे चपरासियों की तनख्वाहों से भी कम हैं। यह प्रदेश के लिये शर्म की बात है। प्रदेशीय सरकार का ध्यान उन प्राइमरी संस्थाओं के शिक्षकों की तरफ है और उनका प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जैसा कि मैंने अभी अखबार में जो बात निकली है बतलाया है। कल जैसे ही अखबार में यह खबर मैंने पढ़ी तुरन्त मैंने अपने निजी सचिव से कहा कि यह गलत बात कैसे छपी और जिसने छापा है उससे पूछा जाय। मुझे फौरन ही पडरौना जाना था इसलिये मैं वहां चला गया और शाम को जब वापस आया तो यह सूचना जो कि मैंने अखबार में पढ़ी थी उसका प्रतिवाद किया। तब तक मुझे यह नहीं पता था कि हाउस में कोई विशेषाधिकार की बात उठायी गयी है। यह उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि हाउस में विशेषा-

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

धिकार का प्रश्न उठाया गया है। मैंने न तो बाहर और न किसी व्यक्ति को कोई ऐसी सूचना दी है जिसका सम्बन्ध बजट से है। जो प्रश्न सरकार के सामने प्रमुख रहे हैं अवश्य मैंने उन प्रश्नों के सम्बन्ध में कहा है कि ये प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार जितने मेरे पास ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रश्न आये हैं उनमें से श्री गोविन्दसिंह बिष्ट और श्री दशरथप्रसाद ने जो दिया है उसको मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है—

"सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश की धांधलेबाजी से आज इस प्रदेश के ५०,००० से अधिक कर्मचारियों में दिनों दिन बढ़ने वाला भयंकर रोष व्याप्त है। राजाज्ञा होने व सदन में आश्वासन देने के बावजूद दो-तिहाई कर्मचारी जो तीन से अधिक वर्षों से ही नहीं अपितु १२ साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं उनको भी स्थायी नहीं किया गया है अथवा सड़कों पर काम करने वाले कुली, जमादारों, वह एजेंटों को हर साल अकारण ही निकाल दिया जाता है जब कि वह स्थान बना ही रहता है। इसके विरोध में १,००० से अधिक कर्मचारियों ने दिनांक १५ मार्च को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के बंगले पर प्रदर्शन किया और मांगें पेश कीं। ज्ञात हुआ है कि अगर सरकार ने उचित कदम न उठाया तो प्रान्तव्यापी हड़ताल व विध्वंसात्मक कार्य होने की सम्भावना है।"

इसलिये वे ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, आप कब इसके विषय में वक्तव्य देंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों में इसका अनुदान आयेगा ही। उस वक्त इस प्रश्न के ऊपर भी रोशनी डाली जा सकती है, लेकिन मैं सरसरी तौर से बतला दूं ....

श्री अध्यक्ष—आपको वक्तव्य देना है, वह किस रोज देंगे ?

श्री गिरधारीलाल—मैं चाहता यह था कि जिस दिन अनुदान आये उसी के साथ यह कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप कोई निश्चित तारीख तो बतायें।

श्री गिरधारीलाल—मुझे इतनी जानकारी है कि यह प्रश्न इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया हुआ है। डिटेल मुझे नहीं मालूम है।

श्री अध्यक्ष—वक्तव्य भी तो देना है आपको।

श्री गिरधारीलाल—आप जब कहें दे दूं।

श्री अध्यक्ष—तो २३ तारीख को दे दीजिये।

श्री गिरधारीलाल—ठीक है।

जिला जालौन के रेढ़र समेहरा आदि गावों में डाकुओं के आतंक के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य के विषय में जानकारी

श्री अध्यक्ष—माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने जो प्रश्न उठाया था १५ मार्च को उसके लिये गृहमंत्री जी आज शायद वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि २३ तारीख आप इसके लिये मुकर्रर कर दें ।

श्री अध्यक्ष—अभी आपका वक्तव्य कम्पलीट नहीं है ?

श्री चरणसिंह—इन्फार्मेशन तो आयी है और बहुत लम्बी चौड़ी आयी है, लेकिन अभी साढ़े १० बजे आयी है और मैं उसको अभी देख भी नहीं पाया हूं ।

श्री अध्यक्ष—२३ तारीख को तो एक हो ही गया है । गृह मंत्री जी २४ तारीख को यहां रहेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—तो २४ तारीख के लिये यह रख दिया ।

श्री चरणसिंह—बहुत अच्छा ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, हमारा भी नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष—मैंने आज स्वीकार नहीं किया है । आप फिर से भेज दीजिये ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—श्रीमन्, २३ तारीख को दे दें या किसी और तारीख को ?

श्री अध्यक्ष—अब जब दुबारा बैठें तो आप दे दें ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, बाराबंकी जिले में २,६०० मन गन्ना पेरा जाता था.....

श्री अध्यक्ष—बाद में प्रश्न भेज दीजिये ।

*उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब विश्वविद्यालय विधेयक के ऊपर कल माननीय हरिश्चन्द्रसिंह भाषण दे रहे थे । अब मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि चूंकि आज आखिरी दिन है और कइयों के उत्तर भाषण भी होने हैं यानी जिन्होंने संशोधन दिया उनको उत्तर देने का मौका देना पड़ेगा, इसलिये अब मैं किसी को भी सिवाय मंत्रियों के जो उत्तर देंगे और मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को छोड़कर बाकी सदस्यों को २० मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा । इसलिये आप कृपा करके १५ मिनट में ही समाप्त कर दें ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं अपने विचार यूनिवर्सिटी विधेयक के संबंध में रख रहा था और यह चेष्टा कर रहा था कि मैं सदन के सामने रख सकूं कि व्यक्ति ही विश्व के विकास की इकाई है और समाज की एक पक्की आधारशिला बन सकता है, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिये हम व्यक्ति को विद्यालय और विश्वविद्यालय में भेजा करते हैं और इस बात की आशा करते हैं कि वह व्यक्ति बुद्धि की दृष्टि से शुद्ध चैतन्य और आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी और शारीरिक दृष्टि से बलवान और धार्मिक दृष्टि से सदाचारी, चरित्रवान और उदार बने । ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से बनकर निकलेगा वह समाज का कल्याण कर सकेगा और समाज को आगे बढ़ा सकेगा और बढ़ते हुये नैतिक पतन को रोकने में कामयाब होगा । यदि ऐसा व्यक्ति यह विश्वविद्यालय बना न सके या यह

---

†१६ मार्च, १९६१ की कार्यवाही से

*९ मार्च, १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

विश्वविद्यालय अपने इस कर्त्तव्य के पालन करने में नाकामयाब होते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि जाति और जनता के उत्थान के लिये हम इस विश्वविद्यालय विधेयक में क्या परिवर्तन कर सकते हैं ।

मैं समझता हूं कि हम बहुत हद तक अपने इस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब नहीं हुये और आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी । यह भी मैं समझता हूं कि इस आमूल परिवर्तन के लिये हमें बहुत साधनों की आवश्यकता पड़ेगी । यह देश गरीब है और इस देश में इस समय इतने साधन नहीं हैं । इस देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न की है । इसके बाद मैं समझता हूं कि दूसरी समस्या शिक्षा का होना अति आवश्यक है यदि हम ऐसे व्यक्ति जो देश के निर्माण और उसके कल्याण में हाथ बटा सकते हैं और उसमें सहायता दे सकते हैं, नहीं बना सकते तो हम अपने कर्तव्य में बिलकुल ही फेल होते हैं और उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि इन बातों पर विचार करते हुये जब हम देखते हूं कि इस समय जो इन विश्वविद्यालयों में हो रहा है वह क्या हो रहा है । हम और आप रोज ही देखते हैं कि वहाँ पर यह ऐटमास्फेयर पढ़ने लिखने का करीब करीब खत्म सा होता जा रहा है । मैं भी इन विश्वविद्यालयों में से एक में पढ़ा हूं ।

मैं समझता हूं कि पहले जमाने में और इस जमाने में बहुत अन्तर हो गया है । पहले हम देखा करते थे कि हमारा अपने गुरुजनों में बड़ा विश्वास था । उनकी हम सदैव बड़ी इज्जत करते थे, आदर करते थे और उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे । यह चीज अब क्यों कम हो गई है, इसका कारण हमको देखना पड़ेगा और जब हम देखते हैं कि दिन प्रति दिन युवकों में उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है, तो मैं यही सोचा करता हूं कि लड़के तो कुछ भी न जानते हुए पैदा हुए, उसके बाद थोड़े समय तक माता पिता के साथ रहे, उसके बाद कालेजों और यूनिवर्सिटियों में पहुंचे । तो फिर यह किसका दोष है इस उच्छृंखलता को बढ़ाने का ? मैं यह समझता हूं और मैंने यह पढ़ा भी है कि इन बच्चों ने जो कुछ भी सीखा वह वेद के अनुसार मातृवान् पितृवान् आचार्यवान् पुरुषो वेद :—माता पिता से या आचार्य से या अपने ऋषियों से सीखा है । तो वह बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल होते हैं उनके अन्दर स्वयं पहले से कोई कुविचार, दुर्विचार, या उच्छृंखलता के बीज तो होते नहीं हैं । माता पिता के साथ रहते हुये वह पैदा भी हुए हैं तो भी विश्वविद्यालयों में वह इसी हेतु तो भेजे जाते हैं कि जो मर्ज पैदा हो गया है, जो बुराइयां पैदा हो गई हैं उनके अन्दर, उनको दूर किया जाय । यदि वहां के आचार्य, वहां उनको पढ़ाने वाले, इन बुराइयों को दूर करने में असमर्थ होते हैं तो यह केवल उनका ही दोष है । डाक्टर का तो काम यह है कि अगर किसी को कोई मर्ज पैदा हो गया है तो वह उसका इलाज करें और उसको स्वस्थ बनावें । मैं समझता हूं कि वह ऐसा करने में नाकामयाब हो रहे हैं ।

उसके कारण क्या हैं ? इन कारणों का निदान करने के लिये समय समय पर कई कमीशन, आयोग वगैरह मुकर्रर होते हैं । मैं समझता हूं कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और अब भी कहा जाता है तथा यह फैक्ट भी है कि अब भी एक आयोग इन्हीं कारणों और उद्देश्यों से मुकर्रर हुआ है । जिन जिन आयोगों से जो कुछ भी समय स्थिति और साधनों के अनुसार सिफारिशें हुई हैं उनके अनुसार कार्य होते रहे हैं और होते रहेंगे । इसके लिए एक बड़े लम्बे समय और बहुत बड़े साधनों की आवश्यकता पड़ेगी । लेकिन जितना भी हुआ उतना हम देखते हैं कि कामयाब सिद्ध नहीं हुआ । कारण उसका यह है कि हमारी डेमोक्रेसी प्रजातंत्रवाद अभी एक नवीन चीज है । एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है । बहुत से एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए हैं और बहुत से कामयाब नहीं हुए हैं । एक एक्सपेरिमेंट इस प्रकार का भी किया गया कि वाइस चांसलर का चुनाव एलेक्शन के जरिये से, वोट के जरिये से हो । यह चीज कुछ कमीशन की रेकमेंडेशन के आधार पर उसके इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर की गई । लेकिन उसका नतीजा अच्छा साबित नहीं हुआ । जो वाइस चांसलर या जो आचार्य तथा अन्य टीचर हैं वह यदि श्रद्धा और आदर नहीं पाते हैं तो उसका कारण लड़के तो नहीं हैं । उसके कारण वे स्वयं हो सकते हैं ।

जब इस किस्म के उत्पात होते हैं तो पब्लिक का यह अधिकार है कि वह सरकार को प्रेरित करे कि वह उन कारणों को, जिनके कारण उत्पात हो रहे हैं, लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही है, उनको वह पूरा करे। मैं समझता हूं कि इस पृष्ठभूमि में जो गत वर्षों में हुआ है उसके सुधार हेतु ही यह यूनिवर्सिटी विधेयक हमार सामने आया है । इसके जरिये से वह प्रथा चुनाव की, जो कायम थी, उसको ठीक नहीं समझा गया क्योंकि उसके होने से कोई वातावरण में तब्दीली नहीं हुई । तो चुनाव अब इस विधेयक के जरिये से खत्म किया जा रहा है फिर भी इस विधेयक में ऐसी चीज है जिससे कि चुनाव का कुछ अंश बाकी है । एक्जीक्यूटिव जो यूनिवर्सिटी की एक संस्था बनी हुई है वह एक व्यक्ति को चुनेगी, वह अपनी तरफ से एक व्यक्ति को नामिनेट करेगी, दूसरा नामिनेट करने का अधिकार चांसलर, जिसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के लिये है, को रहेगा और तीसरा नामिनेशन एक हाई कोर्ट के जज द्वारा होगा । मैं समझता हूं यह व्यक्ति भी इसी देश के नागरिक हैं । उनके अन्दर भी उतना ही देश प्रेम है जितना कि हममें से किसी मनुष्य को हो सकता है । क्या हम यह समझें कि वे लोग जो इतने ऊंचे पदों पर हैं, वे लोग जो अपने देश की भलाई के लिये इतने ऊंचे हैं जितना कि हम हो सकते हैं, वे ऐसे काम करेंगे जिससे हम उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकें ? मैं आशा करता हूं कि ऐसा होने की संभावना नहीं है ।

दूसरी चीज जो इस संबंध में कही गई वह मैं समझता हूं ठीक नहीं थी । कल जो मुझे शुरू में कहना पड़ा जिसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझसे कहा, वह मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरे प्रति बिलकुल ठीक ही कहा था और उसको मैंने वापस लिया । क्या इस सदन की यह शोभा है कि इस सदन के अन्दर बैठकर माननीय सदस्य चोर और डाकू कहकर नामांकित करें ? इस सदन में यह साफतौर से कहा गया कि तीन चोर हैं और यह भी उनको कहा गया कि एक मुख्य मंत्री हैं और एक मंत्री हैं.....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—आपने मंत्री को चोर कैसे समझ लिया ?

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने यह बात नहीं कही गई ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—वह चीज मेरे दिमाग में थी इसलिये मैंने कहा ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जिस समय यह कहा गया उसी वक्त आपका कर्त्तव्य था कि उस समय जो भी अधिष्ठाता अथवा उपाध्यक्ष यहां बैठे थे उनका ध्यान आप आकृष्ट करते और उसे बंद करवाते । खैर, अगर मेरे पास इस तरह की सूचना आयी तो मैं उसे स्ट्राइक आफ करा दूंगा । इस तरह की चीज मैं रहने नहीं देता ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—आप जितने तत्पर हैं उतना तत्पर शायद उस समय में नहीं रहा, लेकिन वह स्पीच में मौजूद है और अगर यह बात गलत हो तो मैं इसको वापस लेने को तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप तो सही रास्ते पर उपदेश दे रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—मैं कह रहा था कि किसी व्यक्ति के प्रति इस किस्म का अविश्वास, इस किस्म की उसके कर्त्तव्यों के प्रति शंका करना हमारे लिये कोई आदर की चीज नहीं है। इसके साथ-साथ में यह कहना चाहूंगा कि हम यह जो ऐक्ट बदल रहे हैं इससे पहले जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास हुआ है उसमें भी यही सब चीजें थीं जो इस ऐक्ट में रखी जा रही हैं। जो राधाकृष्णन कमीशन बैठा था उसके सामने भी यही प्रश्न था कि वाइस चांसलर का चुनाव हो अथवा चयन हो। उन्होंने इस चीज को साफ तौर से रखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर अब पालिटिक्स घुस गयी है और वही यूनिवर्सिटी के विनाश का कारण बन रही है । मैं समझता हूं कि पलिटिक्स वहां पढ़ाने की जरूरत है लेकिन वहां पालिटीशियन्स होने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर बच्चों को उस काम के लिये तैयार करने कीज रूरत है जिससे कि वे अपने देश और जाति के निर्माण में हिस्सा ले सकें, लेकिन यदि वे उद्दंडता में सिस्सा लेने के लिये तैयार

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

किये जायंगे और पार्टी पालिटिक्स में उनको घुसाया जायगा तो जिस उद्देश्य से ये यूनिवर्सिटियां कायम की गयी हैं उसमें हम नाकामयाब होंगे और अपने देश का अहित करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार की ओर से जो विधेयक आया है उसका समर्थन करता हूं और प्रवर समिति के लिये आये संशोधनों का विरोध करता हूं ।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चार, पांच दिन से बहस हो रही है . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर आपको तकलीफ है तो आप बैठ कर भाषण दे सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—धन्यवाद । उस विधेयक के संबंध में ही नहीं, यहां सदन में जितनी बातें होती हैं उन सब के संबंध में मेरा यह निश्चित मत है कि हमें निष्पक्ष और निर्विकार भाव से, केवल जनहित की दृष्टि से, उन पर विचार और विवाद करना चाहिये और यह विधेयक तो विशेष रूप से उस श्रेणी और कार्यों में आता है जिसमें पार्टीबन्दी और ग्रुपबाजी का सवाल नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह शिक्षा-मंदिरों का प्रश्न है और विद्यार्थियों और अपने देश के भावी नागरिकों के चरित्र निर्माण का प्रश्न है । इसलिये माननीया सुचेता जी ने जो अपील की थी कि इस पर निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिये मैं उसका आदर करता हूं, स्वागत करता हूं और उससे सर्वथा सहमत हूं ।

ऐसे ही मैं यह भी मानता हूं कि इस विधेयक में जो उसका प्रकट उद्देश्य दिया हुआ है उसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । उससे सब सहमत होंगे । कम से कम मुझे उससे कोई विरोध नहीं है । मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं, इस बात से कि हमारे विश्वविद्यालयों, शिक्षा मंदिरों में जो भी उपकुलपति चुने जायं उनके चुनाव की पद्धति या उनकी नियुक्ति की पद्धति ऐसी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिये कि जिससे सुयोग्य, सच्चरित्र और अच्छे शिक्षा-शास्त्री ही उपकुलपति चुने जा सकें । इस उद्देश्य से मैं पूर्णतया सहमत हूं । लेकिन एक दो बातें इस संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर आप विश्वविद्यालय के कुलपति के चुनने में सर्वश्रेष्ठ पद्धति को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिये जो तरीका आपने रखा है वह सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता । क्योंकि जब आप सर्वश्रेष्ठ तरीका सोचना चाहते हैं, तो उसके लिये आपको शिक्षा शास्त्रियों की सम्मति भी लेनी चाहिये थी और उनकी सम्मति लेकर बाद को इस सदन को उनकी सम्मति को बतलाना चाहिये था और फिर सोच विचार कर किसी पद्धति को रखना चाहिये था । जो रास्ता गोरखपुर विश्वविद्यालय के माडेल पर आप अपनाना चाहते हैं, मैं यह कहूंगा कि यदि आप उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और वही पद्धति दूसरी जगहों पर भी अपनाना चाहते हैं, तो फिर इस सदन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहजाती । इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि वह पद्धति ठीक नहीं है ।

इस सदन में इस बात पर आशंका प्रकट की गयी है कि यदि गोरखपुर की पद्धति को अपनाया गया तो उसका यह कुपरिणाम भी हो सकता है कि विश्ववद्यालयों में फिर जो उपकुलपति चुने जायें वे सत्तारूढ़ पार्टी के ही व्यक्ति हों । अगर इस तरह की आशंका है तो यह पद्धति कोई अच्छी पद्धति नहीं है । इतनी बात तो माननीय शिक्षा मंत्री भी मानेंगे कि अगर इस तरह की आशंका है तो इससे अधिक और कोई बात जनतंत्र के हनन की हो नहीं सकती । जहां तक हो सके शिक्षा को स्वतंत्र होना चाहिये । शिक्षा, लोकसेवा आयोग तथा विधान सभा सचिवालय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

को पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिये और उनका किसी प्रकार भी शासनारूढ़ पार्टी तथा कार्यकारिणी से लगाव नहीं होना चाहिये । संत विनोबा जी ने भी कहा है कि शिक्षा पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिये ।

एक बात और कहना चाहता हूं । मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इसकी आज इतनी जल्दी क्या है ? अगर यह एक महीना बाद आये, या इसको जनरल एलेक्शन के बाद लायें, तो उससे कौन सी बड़ी हानि होने वाली है ? मैं यह मान सकता हूं कि यह हो सकता है कि किसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति को हटाने की आवश्यकता हो । अगर यह सही हो, तो भी मैं इसको सही नहीं मानता हूं कि इस कारण आप ऐसा विधेयक लाकर सभी उपकुलपतियों को हटा दें। आप अपने उस विशिष्ट उद्देश्य को सीमित रख सकते ह, विरोध उसका भी होगा, लेकिन उसका उतना नहीं होगा और उससे उतनी बड़ी हानि खन होने की संभावना नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कहा जा सकता कि वह बिलकुल निष्पक्ष भाव से यह विधेयक लाया गया है। माननीय मख्य मन्त्री का लखनऊ विश्वविद्यालय से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध रहा है और उसकी चर्चा अखबारों तक में छपी है। माननीय शिक्षा मन्त्री का भी लखनऊ विश्वविद्यालय से एक घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। इतना घनिष्ट सम्बन्ध रहा है कि कांग्रेस की सत्तारूढ़ पार्टी के सामने भी यह विचार का विषय रहा है। तो आज इतनी जल्दी इस विधेयक को लाना कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। यह ऐसी बात है कि जिसे कानून की भाषा में यह कहा जा सकता है कि यह समुचित सन्देह की सीमा से परे नहीं है और सरकार के लिये यह उचित बात नहीं है कि वह इस प्रकार के सन्देह लोगों के मन में होने दे। हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि विश्वविद्यालयों के बारे में जो वर्तमान मुख्य मन्त्री के काल में विधेयक में संशोधन किया गया तो यह आरोप लगाया गया कि एक विशेष उद्देश्य से संशोधन किये जा रहे हैं। उसके बाद जब दूसरे शिक्षा मन्त्री ने संशोधन किया तब उनपर यह आरोप लगाया गया कि पहले गुट के अधिकार को कम करने के लिये यह संशोधन कर रहे हैं। तो जिस विधेयक के सम्बन्ध में यह वातावरण रहा है विरोधी पार्टियों में, जनता में और शासन में और शासन में ही नहीं शासनारूढ़ पार्टी में कि एक दूसरे के सम्बन्ध में यह कहा गया कि एक गुट के प्रभाव को कम करके दूसरे के प्रभाव को जमाने के लिये संशोधन लाये गये हैं। उचित हों, या अनुचित, सही हों या गलत, लेकिन वर्तमान मुख्य मन्त्री के आते ही फौरन ही विधेयक का लाया जाना और संशोधन का किया जाना एसी बात है जो उस सन्देह की पुष्टि करती है। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से, और अगर माननीय मुख्य मन्त्री यहां होते तो उनसे आपके द्वारा यह प्रार्थना करता और कर रहा हूं, और शिक्षा मन्त्री से तो इस समय भी कर रहा हूं कि इस विधेयक के बारे में वह जल्दी न करें।

अब भी मैं कहता हूं कि अगर उनके लिये जल्दी करना आवश्यक है तो इसको भी माना जा सकता है । अप्रैल में इसको पास कर लीजिये, तबतक अगर आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें तो सम्भव है कि हम और आप मिल करके कोई ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे विरोध मिटे, मिटेगा नहीं तो घट जरूर जायगा और घटना भी सरकार के लिये जनहित में और जनतन्त्र में अत्यन्त आवश्यक होता है। अगर कुछ ऐसे कारण हों जिससे इसे ३१ मार्च से पहले ही पास करना जरूरी हो तो उसके लिये और रास्ते हैं। आर्डिनेन्स निकाल दीजिये। आर्डिनेन्स का विरोध होगा और आलोचना होगी लेकिन उसमें वह कटुता, वह आलोचना नहीं होगी जो इस विधेयक के कारण होगी। क्योंकि इस विधेयक में एक बात यह सामने आती है कि जो मन्त्रिमन्डल आया उसने आते ही पुरानी पद्धति को गलत करार देकर नई को सही करार दिया और पुरानी को एकदम खत्म कर दिया। परिणाम यह है कि जिन विश्वविद्यालयों में ३ महीने भी नहीं हुये हैं उपकुलपति को चुने हुये उनमें भी वह बदल जायेंगे और अगर इस समय ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं और दो महीने बाद दूसरा ग्रुप वाला मन्त्रि परिषद् आ सकता है तो फिर दूसरा विधेयक लायेगा और जो दूसरे उपकुलपति नियुक्त होंगे

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]
उनको अलग करेगा। तो यह व्यवस्था सही नहीं है। इसको दूर करने का यही तरीका है। मैं इस बात से भी सहमत हो सकता हूं कि कोई ऐसी इमर्जेन्ट बात हो तो उसको पूरा कर लिया जाय और जहां कटुता बढ़ती हो, विरोध की सीमा बढ़ती हो तो उसको न किया जाय।

मैं इतना और निवेदन करूंगा कि स्वस्थ जनतन्त्र में बहुमत का यह कर्तव्य है कि वह अल्पमत पार्टी की विशेष बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें उनपर विचार करे और उनका आदर करे। मैं उदाहरण देकर बता सकता हूं कि महात्मा गांधी का इस सम्बन्ध में निश्चित मत था कि बहुमत पार्टी को यह अधिकार नहीं है केवल इसलिये कि बहुमत पार्टी है तो बहुमत के आधार पर अल्प मत के विचारों का और भावनाओं का निरादर करके अपनी बात को चलाये। यह भी माननीय शिक्षा मन्त्री को मालूम होगा कि सन्त विनोबा ने क्या कहा है। वह बहुमत के ऐसे कार्यों को संख्यासुर कहते हैं। तो संख्या सुर के बल पर कोई काम करा लेने से जनतंत्र पद्धति चल नहीं सकती। अगर कभी अल्पमत का निरादर करता है बहुमत, तो वह जनतंत्र नहीं रहता है, तब अल्पमत को भी अधिकार हो जायगा कि वह विद्रोह करे, कानून तोड़े और सशस्त्र क्रांति करे। तो अगर कानून की भावनाओं को जनतंत्र में रखना हो तो बहुमत पार्टी को अल्पमत पार्टी के विचारों का थोड़ा कन्सीडरेशन करना चाहिये कि उनको एकमोडेट करे, यह नहीं कि अपनी संख्या के आधार पर जो चाहे वह कर डाले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात से भी इन्कार नहीं कर सकते माननीय शिक्षा मन्त्री जी कि उनकी पार्टी के अन्दर भी—मैं गुट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने की मेरी आदत नहीं है—ऐसे सदस्य हैं इसी सदन के जो इस विधेयक से सहमत नहीं हैं, बल्कि विरोध में हैं। यह सही है कि पार्टी के अनुशासन के कारण वह इसके विरोध में न बोलें और प्रवर समिति के प्रस्ताव के पक्ष म वोट न दें, यह दूसरी बात है, लेकिन उनकी पार्टी के अन्दर अगर राय ली वे जाय तो वे इसके विरोध में अपनी राय प्रगट करेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जनमत का आदर करना सीखिये और उसको ध्यान में रखते हुये इसपर अच्छी तरह से विचार कर लीजिये। इतनी जल्दी की इसमें आवश्यकता नहीं है। एक विशिष्ट कार्य के लिये किसी एक विश्वविद्यालय में यदि जल्दी की आवश्यकता भी हो तो उसको आप पूरा कर लीजिये। इस प्रकार से अगर एक नया मन्त्रि परिषद् आये वह पुराने मन्त्रिपरिषद् की एक पद्धति को हटाने के लिये नया विधेयक ले आये और फौरन ही दो महीने में उसे जारी कर दे और फिर दूसरा मन्त्रि परिषद् उसी पार्टी का आये वह भी ऐसा ही कर सकती है तो यह रात दिन का खेल हो जायगा, संशोधन विधेयक आते रहेंगे और उनके आधार पर यह होगा कि कोई भी अच्छा विधान नहीं बन सकेगा।

माननीया सुचेता जी ने कल अपील की, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी और सुचेता जी से कहता हूं और मन्त्रिपरिषद् से कहता हूं कि ऐसी बातों पर निष्पक्ष होकर विचार किया करें, ऐसी भावनाओं से ऊपर उठें। बहुमत के आधार पर ऐसा मत करें कि जो मन में आ जाय वह कर लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि यह विधेयक जल्दी में लाया गया है और इसको लाने से स्वस्थ जनतन्त्रीय परम्परा कायम नहीं होती। एक पद्धति को गलत करार देकर और दूसरी पद्धति को सही करार देकर जल्दबाजी में इसे लागू करने में कोई लाभ नहीं होता। अंग्रेजी में एक कहावत है "लेजि-स्लेट इन हेस्ट ऐन्ड रिपेन्ट एट लेजर"। ऐसा कई विधेयकों में हो चुका है जल्दी में आपने विधेयक बना दिये हैं और फिर बाद में उसके लिये आप को स्वयं पछताना पड़ा है। अभी एक प्रमाण जिला अन्तरिम परिषद् विधेयक में मिल चुका है। आपने बहुमत के आधार पर इसी सदन में पास कर दिया लेकिन एक हफ्ते के अन्दर संशोधन लाना पड़ा। इसलिये अच्छा

यह है कि आप जो कुछ करें सोच विचार कर कर भले ही उसमें चार दिन की देरी हो जाय। फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर कोई इमरजेन्ट काम हो जो किसी तारीख के निकल जाने से बिगड़ता हो तो उतना काम आप कर लीजिये लेकिन तमाम प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिये आप इतनी जल्दी में विधेयक न बनाइये। कम से कम जैसा मैंने कहा इस बात को स्वीकार कर लीजिये कि एक प्रवर समिति को—चाहे वह संयुक्त हो या केवल इसी सदन की हो—इसे सुपुर्द कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं अक्सर कहा करता हूं, आप भी उसे जानते हैं और माननीय शिक्षा मन्त्री तथा इस सदन के सदस्य भी जानते होंगे कि जब हम विधान सभा या लोकसभा में विवाद करते हैं तो आमतौर पर "वी टाक ऐट ईच अदर" (we talk at each other) एक दूसरे के विरोध और आरोप की भावनाओं से प्रेरित होते हैं लेकिन जब हम किसी प्रवर समिति में बैठते हैं तब यह भावना नहीं रहती, वहां का वातावरण अधिक शांतिमय होता है उस समय "वी टाक टु ईच अदर"। उस समय हम एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आये जिसमें ग्रेटेस्ट कामन मेजर आफ एग्रीमेंट तमाम सदस्यों का हो जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि इस विधेयक में जल्दी न कीजिये।

जैसे उन्होंने कृपापूर्वक इतनी बात करदी इसके लिये मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसपर सामान्य विवाद के लिये ५ दिन दे दिया और खंडों पर विचार के लिये भी कुछ समय रक्खा है, उसी तरह से अगर वह किसी को सन्देह है तो जनमत वाली बात को निकाल दीजिये, संयुक्त प्रवर समिति वाली बात को निकाल दीजिये लेकिन केवल प्रवर समिति को रखिये और उसे चाहे सात दिन के लिये विचारार्थ भेज दीजिये वहां अधिक लाभ होगा लेकिन यदि केवल बहुसंख्या के बल पर इसे पास करा लिया जायगा, तो सम्भव है, जैसा मैंने उदाहरण दिया अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक का, उसी तरह से सम्भव है कि आप बाद को स्वयं समझें कि यह गलती हो गई और फिर कोई संशोधन विधेयक आप लावें। क्या जल्दी है कि आप इसको चार या छः दिन में पास करा लेना चाहते हैं?

आवश्यकता इस बात की है कि इसमें अल्पमत का आप आदर करें और इसको प्रवर समिति को या संयुक्त प्रवर समिति को, जिसको भी सरकार उचित समझे भेज दे। उन्होंने अधिक समय लिखा है, अधिक समय के लिये न भेजिये, परिधि बढ़ाने के लिये उन्होंने लिखा है उसको भी मत मानिये लेकिन अगर आप थोड़ी सी बात मान लें तो आपका ही भला होगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं, लेकिन यह कार्यवाही में तो छपेगा ही, और सम्भव है कि उनके कानों तक पहुंच जाय इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं उनको यह सुअवसर मिला है तो उसका वे लाभ उठायें और वह यह याद रखें कि लोक मत को क्षुब्ध रखना और अपने विरुद्ध बना लेना किसी मन्त्रि परिषद् या किसी मुख्य मन्त्री के लिये हितकर नहीं है और वह अपने कटु अनुभव से इस बात को जान चुके हैं कि लोकमत को अपने विरुद्ध कर लेने से कितनी हानि होने की सम्भावना रहती है, कम से कम उस अनुभव से तो वे लाभ उठावें और इस बात को याद रखें कि अब वे किसी गुट विशेष के नेता नहीं हैं वे इस सम्मानित सदन के नेता हैं और इतने बड़े प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं। इसलिये वे आज जो काम करें वह मुख्य मन्त्री की सदन के नेता की हैसियत से किया करें केवल किसी पार्टी के किसी गुट विशेष के नेता की हैसियत से ही काम न करें। अगर यह करना है तो इन बातों पर विचार करके माननीय शिक्षा मन्त्री जी को चाहिये कि इस समूचे सदन और वास्तविक बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी ही सब करती है इसलिये उससे भी कहता हूं कि इन सब बातों पर विचार करके वह इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात को मान ले। अगर वह चाहेंगे तो कोई ऐसा रास्ता निकल आयेगा और मैं भी उसमें सहयोग देने के लिये तैयार हूं जिससे कटुता में कमी आवे और सद्भावना में वृद्धि हो। इन बातों के साथ मैं अपनी प्रार्थना को पुनः दोहराता हूं।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये कहा। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करने के लियें खड़ा हुआ हूं और इसके सम्बन्ध में जो प्रवर समिति को भेजने के लिये या जनमत को घुमाने के लिये प्रस्ताव है उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पिछले कई वर्षों में हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जो दूषित वातावरण रहा है और जो घटनायें घटित हुई हैं उन सब से हमारे प्रदेश के नाम को बट्टा लगा और धब्बा लगा। यह बात कहना बड़ा आसान है कि उनका दोष किस पर है किन पर नहीं है। मैं समझता हूं कि चाहे विरोधी पार्टीज के लोग हों चाहे हम सब, यह दोष सब का हो सकता है, और सबका है। उस वातावरण के लिये जिम्मेदारी से भागने से काम नहीं चलता। यह बात बड़ी आसानी से कही गई कि यहां इस विधेयक को इतनी जल्द पास कराने की जरूरत नहीं है। आपके द्वारा मैं उन महानुभावों से नम्रता से निवेदन करूंगा कि क्या वातावरण वहां पर रहा है और पुलिस और फौज के द्वारा यूनिवर्सिटी को कब तक चलाया जाता? या उस वातावरण को कब तक बर्दाश्त किया जा सकता था? क्या इस तरह की बातें वहां चलती रहतीं? मैं समझता हूं कि सरकार के लिये यह जरूरी था कि इस विधेयक को लाया जाय।

श्रीमन्, जो लोग यह कहते हैं कि विश्वविद्यालय को दूषित करने की जिम्मेदारी सरकार पर है तो मैं उनसे कहता हूं कि यह गलत है। कल जिन सदस्यों ने इस बात को कहा उनसे मैं कहूंगा कि क्या उन्हें विश्वविद्यालय के वे दिन याद नहीं हैं और सन् ५३ में विद्यार्थियों के बीच इस तरह का वातावरण पैदा करने की किसकी जिम्मेदारी थी? मान्यवर, यहां के दलों से सम्बन्धित जो विद्यार्थी वहां थे उन्होंने यह मांग की कि यूनियन किसी प्रकार का फैसला यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थियों के सामने करे जबकि वहां की ऐक्जीक्यूटिव कहती थी कि यह बात गलत है। ५–६ हजार विद्यार्थियों के सामने किसी बात का निर्णय लेना कठिन बात थी। लेकिन उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया। क्या इससे वातावरण दूषित नहीं हुआ? उसी समय से विश्वविद्यालय के वातावरण में इस तरह की बातों का आना आरम्भ हो गया।

मान्यवर, मुझे गौरीशंकर राय के ऊपर हैरत होती है। उन्होंने पिछले वर्ष यह प्रश्न कई बार उठाया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति को हटाया जाय और आज सरकार ने जब उन्हीं की बात मान कर यह संशोधन पेश किया तो उलटे बांस बरेली चलने लगे। इसी प्रकार पैथालोजी विभाग तथा अन्य विभागों के बारे में भी उन्होंने बहुत सी बातें कहीं, लेकिन जब उनको दृष्टि में रखकर सरकार कोई कदम उठाती है तो भी वह सरकार पर ही दोषारोपण करते हैं।

मान्यवर, दो-तीन दिन से इस बात की बड़ी भारी चर्चा की गई कि यूनिवर्सिटी की स्वतन्त्रता पर हमला किया जा रहा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। सन् १९४९ की बात है। कालेज के विद्यार्थियों को स्वतन्त्रता की सनक सूझी। क्लास खुली थी। कुछ लोग डेस्कों के नीचे बैठ गये, कुछ बेंचों के ऊपर और कुछ स्टूलों के ऊपर बैठ गये और नारे लगाना शुरू कर दिया कि हम स्वतन्त्र हैं। इत्तफाक से जल्दी में कक्षा-अध्यापक आ गये तो सब लोग सकपका कर खड़े हो गये। इसमें किसी का सिर फूटा तो कोई स्टूल समेत नीचे गिरा और ३–४ को डाक्टर के यहां भेजना पड़ा। मेरी अपनी नाकिस राय है कि बिना अनुशासन के, बिना अंकुश के स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता है।

यहां पर बहुत सी रिपोर्टों के हवाले भी पढ़ कर सुनाये गये तथा बहुत से विदेशी उदाहरण भी दिये गये और उनसे यह साबित करने की कोशिश की गई कि यूनिवर्सिटीज की स्वातन्त्र्य में सरकार दखल देती है। मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि यह बात गलत है। आखिर विश्वविद्यालय

विधान मण्डल द्वारा बनाये हुये विधि विधान के अनुरूप निर्मित हैं। उनका स्वातन्त्रय विधान मण्डल की तरह स्वातन्त्र्य नहीं हो सकता। वे विधान मण्डल के क्षेत्र में आते हैं और विधान मन्डल को यह स्वतन्त्रता है कि यदि वह कभी यह देखे कि विश्वविद्यालय का वातावरण ठीक नहीं चल रहा है तो उसमें संशोधन करे। फिर मैं यह नहीं समझता कि जब विधान मन्डल को हक है और संविधान के अनुसार दिये गये अधिकार के अनुसार सरकार कोई कार्य करती है तो उसमें कहां और कैसे हकतल्फी हो गई। विश्वविद्यालय की? सरकार को बहुत सा रुपया विश्वविद्यालयों को सहायता के रूप में देना पड़ता है। यहां अनेक प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं, सरकार उनके प्रति जिम्मेदार है, उसका उत्तरदायित्व है, तो यदि विधेयक में संशोधन किया जाता है तो उसमें स्वतन्त्रता का हनन कैसे हो गया। फिर, मैं तो कहता हूं मान्यवर, कि सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार के अपने फरायज हैं, सरकार के अपने अधिकार और कर्तव्य हैं। क्या यह किसी भी सरकार के लिये मुमकिन हो सकता है कि उसके निकट शिक्षा का क्षेत्र दूषित हो, वातावरण खराब हो, वहां वितण्डावाद और उपद्रव हो और सरकार चुप बैठी रहे? यह कैसे हो सकता है? वातावरण के दूषित होने पर सरकार को कोई भी कदम उठाना होगा, उठाना चाहिये और इसीलिये यदि आज सरकार ने विश्वविद्यालय विधेयक में यह संशोधन किया है तो मैं समझता हूं कि उचित है, न्यायसंगत है और इसमें किसी भी प्रकार से स्वातन्त्रय में कोई अड़चन नहीं पड़ती।

मान्यवर, यहां कुछ लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर उसकी बहुत सी पुरानी बातों का जिक्र किया। मैं यह समझता हूं कि वे सज्जन यहीं लखनऊ के रहने वाले हैं और विश्वविद्यालय से उनका बहुत दिनों का सम्बन्ध भी है। वे अपने दिल पर हाथ रख कर देखें और सोचें कि जिन किसी व्यक्तित्व के प्रति उनको शिकायत है, जिन किसी व्यक्तित्व के ऊपर आज वे अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, उनका सम्बन्ध लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्षों का है और जिस जमाने में वह सरकार में भी थे, विश्वविद्यालय में भी थे, उस समय जो लोग वाइस चांसलर चुने गये, एक मत से एक राय से चुने गये। आचार्य नरेन्द्रदेव, आचार्य जुगलकिशोर भी एक मत से चुने गये और वह एक मत से चुनाव कोई ऐसा नहीं कि जो यूनिवर्सिटी ऐक्ट था उसी के मातहत यह बात थी। बल्कि किसी व्यक्ति के यहां काम करने की भी बात थी। लेकिन मुझे पता चला श्रीमन् कि अभी पिछले वर्ष तीन आदमियों का पेनल ऐक्जीक्यूटिव द्वारा तय करने की बात थी, और जहां तीन आदमी रहते हैं वहां ऐक्जीक्यूटिव के सदस्य के राय देने की बात नहीं होती लेकिन मान्यवर, यदि अनुचित न हो तो मैं नाम ले लूं कि मुझे पता चला है कि कार्यकारिणी के एक माननीय सदस्य ने तीन के बजाय चौथा नाम अपना लगा दिया और उस चौथे व्यक्ति को लेकर वहां राय हो गई। तो जो लोग इस तरह की बातें करें और दोष दूसरे को दें तो मैं नहीं समझता कि यह कहां तक न्यायसंगत बात है? उन्हें खुद अपनी बातों और काम करने के प्रति जिम्मेदार होना चाहिये, न कि दूसरों के ऊपर दोष देना चाहिये। यह बड़ी अजीब सी बात है "अपनी आंख का फोला न देखें और और दूसरों के काजल की बात कहें।"

यूनिवर्सिटी के स्वातन्त्र्य के विषय में बात कही जाती है। वहां की हालत मैं बताऊं कि कायदा यह है कि वहां जो स्टेचूट्स बनते हैं, उनको वहां की कौंसिल या कोर्ट के सामने पहले जाना चाहिये लेकिन मुझे पता लगा है कि पिछले वर्ष वहां के वाइस चांसलर महोदय ने, जो इस तरह के कायदे बनाये, उनको कोर्ट के सामने नहीं रखा और न कौंसिल के सामने रखा और जब उनके पास होने के ७ दिन बाकी थे उसी बीच में उनको सरकार के पास भेज दिया कि समय कम है, वह एक्सपायर हो जायगा, इसलिये वह जल्द मंजूर कर दिये जायं। मैं मशकूर हूं गवर्नमेन्ट का कि उसने उस पर मोहर नहीं लगाई और वापस कर दिया और कहा कि यह गलत है इनको कोर्ट के द्वारा वहां होकर आना चाहिये। तो वहां इस तरह की बातें हों और यहां दोष गवर्नमेन्ट पर देना कि गवर्नमेन्ट दखल देती है, कहां तक उचित है? गवर्नमेन्ट दखल नहीं देती वह तो तभी दखल देगी जब समझगी

[श्री रामजीलाल सहायक]

कि वहां का वातावरण बहुत दूषित और खराब है और जहां बात बेकाबू होगी वहीं वह दखल देगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो इस तरह का अनर्गल प्रचार, शोर और हंगामा है कि विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है वह सब भ्रामक है और व्यर्थ है।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि सेलेक्शन की विधि ठीक न होगी और एलेक्शन का जिक्र हुआ। यहां तक कहा गया कि सेलेक्शन से अच्छे व्यक्ति नहीं मिलेंगे, योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकेंगे। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। हमारी जितनी राजकीय सेवायें हैं, केन्द्रीय सरकार की या राज्य सरकार की, वह सब सेलेक्शन से ही चुनी जाती है और इन राजकीय सेवाओं में एक से एक योग्य व्यक्ति आते हैं, वे राज्य के हर प्रकार के काम को चलाते हैं, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० और आई० सी० एस० वगैरह सब होते हैं। यदि सेलेक्शन इतना खराब होता तो इतने अच्छे व्यक्ति सेलेक्शन से इन सेवाओं में कहां से आते? यहां यह भी कहा गया कि लोग दरवाजे पर बैठे रहेंगे और चिलम भरवायेंगे। मैं यदि यह कहूं कि यह सब तैयारी उन्हें अपनी चिलम भरवाने की करनी पड़ रही है जिन्होंने यह बात कही तो जो एक्जिक्यूटिव के मेम्बर हैं, विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी, जिनका काम होगा रोज उनके दरवाजे पर जाएंगे और चिलम भरेंगे। लेकिन वह मौका अब जा रहा है अब तक जो चैन की वंशी बजती थी वह अब न बज पायेगी। देखने की बात इसमें यह है कि चयन के लिये एक कमेटी बनेगी जिसमें एक हाई कोर्ट के जज होंगे, एक व्यक्ति को यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कौंसिल भेजेगी और एक व्यक्ति को चांसलर नियुक्त करेगा और यह तीनों बैठकर तीन नामों का एक पैनल बनायेंगे। मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार कौन अधिकार ले रही है और कौन जुल्म ढाने वाली बात कर रही है। इस किस्म की बात कह कर अनर्गल प्रचार करना, चीजों को खराब करना अच्छा नहीं है। माननीय, कुछ लोगों ने कहा कि इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होने वाला है। गारन्टी चाही उन्होंने और यहाँ तक भी कहा कि क्या अब आगे कोई इस तरह की बात नहीं हो पायेगी? मैं यह समझता हूं कोई भी व्यक्ति इस बात के लिये कैसे कह सकता है कि आगे क्या हो और क्या न हो। यह बात मुझे ऐसा लगी कि इनके हाथ में चिराग है वह रोशनी कर रहा है जहां तक रोशनी जा रही है और उसके आगे अंधेरा है और वह दूर खड़े हैं हाथ में चिराग लिये हुए कि आगे अंधेरा है हम कैसे जायंगे? मैं कहता हूं दो कदम चलिये फिर आपके सामने उजाला है। यदि आज कुछ, संशोधन किये हैं उनसे जरूर लाभ होगा, वातावरण भी सुधरेगा। किसी डर की बात नहीं है, इससे लाभ होने वाला है।

माननीय, शिक्षा के वातावरण को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूं जहां यूनिवर्सिटी के प्रबन्ध में, जो विधेयक में संशोधन लाये गये हैं, उसके साथ-साथ यदि सरकार और हम सब मिलकर कोई ऐसी युक्ति बना सकें कि अध्यापकों और वहां के विद्यार्थियों में एक अच्छा सम्पर्क कायम हो सके, अच्छी परम्पराय पड़ सकें, विद्यार्थी वहां के अध्यापकों के प्रति शिष्टाचार और सम्मान प्रदान करना आरम्भ करें तो एक अच्छी बात होगी। इसी के लिये आवश्यक है कि हम सब नुक्ताचीनी छोड़कर, बातों को खराबियां और बुराइयां निकालना छोड़कर, सब मिल कर इस बात की कोशिश करें कि विश्वविद्यालय का वातावरण शुद्ध हो और हमारे विद्यार्थी शिक्षा पाकर के अच्छे नागरिक बन सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, पिछले १० साल के अन्दर जहां तक मुझे बतलाया गया है पांच बार आगरा विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन किया गया, तीन बार इलाहाबाद में और चार बार लखनऊ के अधिनियम में। उस लिहाज से अगर गौर किया जाय तो १० साल के अन्दर यह छठां प्रयत्न है आगरा यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में, पांचवां लखनऊ के सम्बन्ध में और चौथा है इलाहाबाद के लिये। सरकार का कहना है यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि विश्वविद्यालयों की जो वर्तमान दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जाय। दिक्कतें

मान्यवर, दो प्रकार की हैं। एक तो वह दिक्कतें है जिनकी इस सदन में चर्चा कई बार हुई है, जिनका संबंध विद्यार्थियों से है।

दूसरी दिक्कतें हैं जिनका संबंध विश्वविद्यालय की व्यवस्था से है। जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, जो बड़ा मामला है उसके संबंध में जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें न एक शब्द कहा गया है और न उस ओर तनिक भी संकेत है। जो बड़ी समस्या है जिसका करना जरूरी है उसके बारे में बिल्कुल खामोशी। जिसके माने यह भी लगाये जा सकते हैं कि वर्तमान सरकार की राय में विद्यार्थियों में जो असन्तोष है अथवा उनके विरुद्ध जो शिकायतें है उन्हें दूर करने की कोई जरूरत नहीं है और सरकार उसे बेबुनियाद समझती है।

दूसरी बात जहां तक विश्वविद्यालयों के संगठन का सवाल है इस सरकार की राय में तमाम बीमारियां दूर हो जायंगी। अगर उपकुलपति की नियुक्ति की पद्धति बदल दी जाय। पद्धति कौन सी हो जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में चालू है। मुझे नहीं मालूम कि इस सरकार को इसका ज्ञान है या नहीं कि गोरखपुर के वर्तमान उपकुलपति के विरुद्ध निश्चित आरोपों के साथ छपी हुई किताबें कई सफे की बांटी गयी हैं जो सरकार के पास भी पहुंचाई गयी हैं और दूसरे उपकुलपतियों के खिलाफ शिकायतें है उनसे उनका मामला, मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है, कुछ बढ़ा-चढ़ा ही है, कुछ कम नहीं है। उस पद्धति को इसलिये अपनाया जा रहा है कि उसके द्वारा अपने आदमी मिलें। उसके बाद कोई शिकायत की गुंजायश नहीं रह जायगी। मैं अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि ऐसी आशा कम से कम मुझे नहीं है।

यह मेरा सौभाग्य है कि इस प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री को विश्वविद्यालयों के संचालन का एक अच्छा तजुर्बा है और उनका उनसे सम्पर्क भी रहा है। उससे बड़ा सौभाग्य है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री एक पुराने, योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति हैं और जिनकी शोहरत बहुत ऊंजे दर्जे की है। अगर उनके अनुभवों से फायदा उठाया जाय तो मैं यह अदब के साथ कहूंगा कि उसकी झलक वर्तमान विधेयक में नहीं दिखाई पड़ती है।

खयाल है कि उपकुलपति की नियुक्ति को बदल दो इसलिये कि एलेक्शन के बजाय सेलेक्शन हो। चयन कैसे होगा? तीन आदमियों के द्वारा। क्या वर्तमान शिक्षा मंत्री जी को यह नहीं ज्ञात है कि जब विश्वविद्यालयों की एक्जक्यूटिव कौंसिल की सिफारिशें सरकार के पास आईं तो जो आज उपकुलपति के पद पर आसीन है उन्हें अपनी नियुक्ति के लिये अनेक बार लखनऊ आना पड़ा और मंत्रियों की ड्योढ़ी पर जाकर सलाम करना पड़ा। अगर उनको इस बात में जरा भी सन्देह हो तो बदकिस्मती से मेरे पास भी लोग पहुंचे। सन् ५७ के बाद नहीं, पहले भी पहुंचे कि मेरी सिफारिश कर दीजिये। तो यह ख्याल कि तीन आदमियों के द्वारा अगर उनकी नियुक्ति की सिफारिश होगी तो दौड़ धूप बन्द हो जायगी, यह तजुर्बे के बिलकुल खिलाफ है। अगर उन्हें यह बदगुमानी है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसको दूर करने की कृपा करें।

एक बात बड़े दुख की है। कुलपति को हमारे देश में स्वराज्य होने के बाद बिल्कुल सरकार की राय से काम करने वाला बना दिया गया है। भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है कि चांसलर जो राज्यपाल होता है अपनी सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह से विश्वविद्यालय के सिलसिले में काम करेगा लेकिन ऐसी परम्परा यहां बदकिस्मती से कायम हुई कि जहां-जहां चांसलर शब्द आता है वहां समझना चाहिये कि गवर्नर और गवर्नर के मानी समझने चाहिये कि सरकार।

जहां तक सिफारिश की बात है एक भी इस वर्तमान मंत्रिमंडल का मंत्री नहीं होगा जिसको इस बात की खुद शिकायत न हो कि आये दिन लोग आते है और इस बात का तकाजा करते है और कभी-कभी मजबूरन उनको वे काम करने पड़ते है। जहां सिफारिश नहीं होनी चाहिये, वहां सिफारिश करते हैं। इसके लिये कांग्रेस सरकार पूरी तौर से जिम्मेदार है और वर्तमान मंत्रिमंडल भी किसी तरह से उसके लिये रत्ती बराबर भी कम जिम्मेदार नहीं है। सिफारिश का दौर इन्होंने चलाया और आज शिकायत करते हैं। यह कम नहीं होगी

[श्री त्रिलोकी सिंह]

बल्कि बढ़ेगी और कौन लोग उपकुलपति होंगे ? वही उपकुलपति होंगे जो हाजिरबाशी कर चपरासी की इजाजत से घंटों मिनिस्टरों के घर में दरबारगीरी करेंगे और इसके अलावा कोई दूसरा नतीजा नहीं निकल सकता ।

यह संशोधन कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को वाइस चांसलर बना दिया जाय ठीक है । आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे बताया गया यही दस्तूर है । क्या बात है कि उसको उत्तर प्रदेश की सरकार मानने को तैयार नहीं है ।

मैंने अर्ज किया कि ६ बार संशोधन किये । जब इतना अहम विधेयक लाया गया तो कोई बात विश्वविद्यालयों से भी की गयी कि उनकी क्या राय है ? आज सरकार की हालत यह है कि वह इसकी भी कट्टर विरोधी है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । माना कि प्रस्ताव आये थे कि एक महीने के लिये जाय लेकिन सरकार की तरफ से प्रस्ताव हो सकता है कि तीन दिन या सात दिन के लिये जाय । जल्दी हो जाती । लेकिन असली बात यह है कि वह तड़पड़ इस विधेयक को पारित कराना चाहती है । ठीक है, बहुमत है, पारित करा लें । मुझे किसी के साथ हमदर्दी नहीं है । मैं उन लोगों के सदा खिलाफ रहा हूं कि जो इतने बड़े ओहदे के लिये दौड़धूप करें । लेकिन यह परम्परा चली किस के जमाने में ? यह उपकुलपति का पद, जिसके लिये चीफ जस्टिस आफ इंडिया होना अपना गौरव समझते है, यह उपकुलपति का पद, जिसके लिये लोग बुलाये जाते हैं, यह उपकुलपति का पद, जिसको महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुशोभित किया, उस पद की पिछले दस साल में छीछालेदर हो गई । इस छीछालेदर का जिम्मेदार कौन है ? इसकी जिम्मेदार कांग्रेसी सरकार है और मैं वर्तमान सरकार को, जो पुरानी कांग्रेसी सरकार थी, उससे किसी तरह से यकीन में, ईमान तथा अमल में भिन्न नहीं मानता हूं ।

श्रीमन्, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है । पुलिस की मदद किसने भेजी ? पुलिस की मदद विश्वविद्यालयों के कार्य के संचालन के लिये कांग्रेस सरकार ने भेजी । उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त था कि टीचिंग यूनिवर्सिटी का तजुर्बा यहां पर किया गया । कोई बुरा मानें यह उस आदमी की बदौलत था, सर हार कोर्ट बटलर कि जिसने अपने कार्यकाल में जब वह एजुकेशन सेक्रेटरी थे तो बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कानून बनाया और बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के कानून बनवाये । मदद दिलवाई, चन्दा जमा करवाया और उसके बाद ये चार की चारों यूनिवर्सिटीज जो टीचिंग यूनिवर्सिटीज थीं, इस देश में सबसे पहले कायम की गयीं । इन सब की छीछालेदर हुई और किसके जमाने में ? कांग्रेसी सरकार के जमाने में हुई । सन् १९१५, २०, २१, २२ से लेकर सन् ५० तक, ३३ साल में कोई बुराई नहीं हुई । छीछालेदर तब हुई जब कांग्रेस पार्टी के हाथ में इस देश का शासन आया । तो मैं अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा यदि उनको इस बात का गुमान है कि विश्वविद्यालयों में जो दिक्कतें है उनको वे दूर कर देंगे तो मुझे शुबहा है ।

तजबीज है कि शिक्षा संचालक एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य बना दिये जायं । चार-चार विश्वविद्यालय हैं और शिक्षा संचालक एक हैं । साधारणतया एक महीने में एक बैठक होती है। शिक्षा संचालक क्या ४८ बैठकों को अटेन्ड किया करेंगे आज गोरखपुर में, कल आगरा में, परसों इलाहाबाद में, नरसों लखनऊ में ? यह केवल इस बात के लिये किया जा रहा है कि सरकार का प्रभाव विश्वविद्यालयों पर बढ़े । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये विश्व-विद्यालय, जो तहजीब और तमद्दुन के अड्डे हैं, जहां से रोशनी निकलती है, जहां से देश को ज्ञान मिलता है, यह तो बड़ी प्रगतिशील सरकार है, सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी में इसका विश्वास है, चर्चिल ऐसे दकियानूस आदमी ने भी कहा है—

"The first duty of a University is to teach wisdom not a trade".

यूनिवर्सिटी का काम है कि वहां ज्ञान की शिक्षा दे, व्यापार सिखाए। लेकिन आज क्या दशा है लड़के भरती होते चले जा रहे हैं, सज्जा वहां नहीं ह, भवन नहीं हैं तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री से जो मेरे भाग्य से इस समय उपस्थित है, नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह जो उनका इरादा है, करना चाहते है तो यह तरीका नहीं है। पुराने तजुर्बे से यह सीखिये कि इस तरह से कोई काम किया जाता है तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। किसी भी वाइस चांसलर को निकालते हैं तो मुझे उससे कोई मलाल नहीं है। एक योग्य व्यक्ति के निकालने के लिये कानून में गुंजाइश होनी चाहिये। लेकिन धन्य है उन लोगों की अक्ल को, जो आज यह कहत ह, कि दिवालिया होगा तो निकाल दिया जायगा। वाइस चांसलर जो कानून में दो हजार रुपया माहवार वेतन पाता है उसके लिये मालूम नहीं किस कानूनी सलाहकार ने सलाह दे दी कि उसको भी अदालत दिवालिया करार दे सकती है। जहां तक दिमाग के खराब होने का सवाल है और जहां जहां ऐसी बात है वहां ऐसा निर्णय अदालत द्वारा होगा। हमें मालूम होता है कि आगरा मेंटल हास्पिटल के बजाय अब उत्तर प्रदेश की सरकार इस वात का सर्टिफिकेट देगी किसका दिमाग खराब है ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में है।

एक तरफ तीन आदमियों की सिफारिश होगी ; एक चांसलर का होगा, एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल का होगा और एक हाई कोर्ट जज के द्वारा होगा। फिर भी खयाल है कि जो खलल-दिमाग है, वह वाइस चांसलर हो जायगा। बात यह है कि इस सरकार में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि खलल दिमाग है फिर भी हटाया नहीं गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ भी कीजिये मगर प्रदेश के कानून को कलंकित मत कीजिये क्योंकि वह ५० -१०० साल चलेगा। इस तरह से अगर आप किसी को निकालेंगे तो वह दावा करके हर्जाना ले लेगा। सरकार ने ऐडीशनल गवर्नमेन्ट एडवोकेट को निकाला। उन्होंने दावा दायर कर दिया और हाई कोर्ट से जीत गये और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। यह सरकार यही चाहती है।

श्रीमन्, देखना यह चाहिये कि चीज असल में क्या है? सरकार कहने को तो कहती है कि हम विश्वविद्यालयों में दखल नहीं देना चाहते है। लेकिन उधर से कहा यह जाता है कि जब सरकार रुपया देती है तो उसका दखल होना चाहिये। क्या प्रदेश की सरकार तैयार है कि भारत सरकार से ५० फीसदी जो इमदाद के तौर पर रुपया आता है इसलिये उसका नियंत्रण उस पर हो और वह कानून बना दे कि मिनिस्टर खराब ह या महकमा ठीक काम नहीं करता है और उन्हें सस्पेन्ड कर दें। रुपये के देने से हक हासिल नहीं हो जाता है कि उसके ऊपर पूरे तौर पर नियंत्रण हो जाय। विश्वविद्यालयों का काम ठीक तरह से संचालन करना है तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जहां स्वत: ठीक काम हो और अगर गलत होता है तो सारे प्रदेश की जनता की निगाह न जाय यह असंभव है। लेकिन इस सरकार को जनता पर भरोसा नहीं है, इस सरकार को जनमत पर भरोसा नहीं है। इस सरकार को केवल अपने बहुमत पर भरोसा है जो इस समय सदन में इसको प्राप्त है। जो चाहे कीजिये लेकिन विश्वविद्यालय की समस्यायें बजाय कम होने के, कायम रहेंगी।

कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई भी उपकुलपति बना दिया जाय या शिक्षा संचालक को एक्जीक्यूटिव कौंसिल में रख दिया जाय, वहां के कार्य में किसी प्रकार कोई तरक्की या कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी। आज जरूरत इस बात की है कि इस मामले पर गंभीरतापूर्वक गौर किया जाय, ठंडे दिल से गौर किया जाय और अपने को छोड़ कर सारे समाज को दृष्टि में रखा जाय और विश्वविद्यालय जिस नीयत से कायम किये गये थे उस पर गौर किया जाय। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि १९०४ में लार्ड कर्जन ने जब इम्पीरियल कौंसिल में एक विधेयक पेश किया था तो देश का कोई भी ऐसा गणमान्य नेता नहीं था, जिसने उसका विरोध न किया हो। श्रीमन्, विरोध करने का कारण क्या था? कारण केवल यह था कि इस प्रकार से हस्तक्षेप करके वह अंग्रेजों का बहुमत चाहते थे और वर्तमान सरकार अपनी पार्टी के आदमियों का या सरकारी आदमियों का बहुमत विश्वविद्यालय के संचालन में चाहती है।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसी कालेज को अगर मान्यता देनी है तो अभी तक आगरा में यूनिवर्सिटी देती थी । जो विधेयक प्रस्तुत है उसके अन्तर्गत उसकी मान्यता उत्तर प्रदेश की सरकार देगी । चांसलर तो महज एक कानूनी लिखापढ़ी की बात है । गौर करें मान्यवर, कि वहां सज्जा है या नहीं, वातावरण है या नहीं, वहां योग्य अध्यापक हैं या नहीं, वहां कोष है या नहीं, पूरा धन है या नहीं, साधन हैं या नहीं, इसका फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। इसका निर्धारण अब आइन्दा से विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कौंसिल, एकेडेमिक कौंसिल, जो कोई भी करता हो वह नहीं करेगा ।

पवित्रता, किसी व्यक्ति विशेष ने एग्जीक्यूटिव कौंसिल में कोई गलत काम किया नहीं, समाप्त हो जाती है तो एसी अनेक मिसालें उस तरफ के माननीय सदस्यों के खिलाफ और वह जो मंत्री के पद पर सुशोभित हैं, एक नहीं अनेक मिसालें पेश की जा सकती हैं जो मेरे पेशेनजर भी हैं, लखनऊ शहर में एक मुद्दत से रह रहा हूं विश्वविद्यालय की तरफ हालांकि वह गोमती पार है लेकिन पार की भी खबरें कभी-कभी आ जाती हैं और उसका थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी है । इसलिये मत जाइये इन झंझटों में, मत देखिए उनकी तरफ, देखिए अपने दिल की तरफ, देखिए अपने अपने दिमाग की तरफ, देखिए देश की तरफ, देखिए नवजवान विद्यार्थियों की तरफ,जो आज ऐसे लोगों के हाथ में हैं, जिनके हाथ में कि सारा काम उलटा चल रहा है, देखिए उस लक्ष्य की तरफ जो इस सरकार का यूनिवर्सिटीज के बारे में होना चाहिये । क्या उन लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है या इस विधेयक से हो सकती है ? मैं अदब के साथ यह गुजारिश करूंगा कि नहीं हो सकती और इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि देर आयद दुरुस्त आयद । अभी समय है, सेलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को वह मान ले और सेलेक्ट कमेटी में आमने सामने बैठकर इतने बड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार हो जाय। विश्वास है कि जो शकल इस विधेयक की इस प्रवर समिति द्वारा निकलेगी वह इससे कहीं अच्छी होगी और उन लक्ष्यों की पूर्ति में कहीं ज्यादा सहायक होगी कि जिन लक्ष्यों को सामने रखकर यह सरकार इस विधेयक को इस आदरणीय सदन के सामने लायी है । इन शब्दों के साथ मान्यवर, जो प्रवर समिति का प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, श्री मोतीलाल जी अवस्थी ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ को उसकी परिधि को विस्तृत करते हुए प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, एक बात की मुझे प्रसन्नता है कि लगातार ९ वर्ष तक इस सदन में विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हमने जो मत व्यक्त किये हैं, उस मत की पुष्टि, आज सरकार ने अपने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को प्रस्तुत करके कर दी । यह बात सही है कि वर्तमान विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है । यह बात सही है कि वर्तमान विश्वविद्यालयों में आज अनेक प्रकार का वितंडावाद प्रस्तुत है । यह बात सही है कि वर्तमान विश्वविद्यालयों में आज जो उपकुलपति लोग विराजमान हैं उनके प्रति विद्यार्थियों की श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति अधिकांश अध्यापकों की भी श्रद्धा नहीं है । श्रद्धा और भक्ति श्रीमन् ऊपर से लादी नहीं जाती है । यह तो पैदा होती है उसके गुण विशेष को देखकर, जो कि श्रद्धेय होता है, और जो श्रद्धालु होता है, श्रद्धेय कौन सा पात्र है जिसमें हमको अपनी श्रद्धा रखनी है उसी को देखकर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को रखता है और वापस लेता है । यहां पर आज जो बहुत चर्चा चल रही है इस संशोधन विधेयक को लेकर और पुराना जो कानून चल रहा है उसको लेकर वह मेरी समझ में बात कुछ आ नहीं रही है । इस संशोधन विधेयक के दो रूप हैं । श्रीमन्, एक रूप है वर्तमान विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को हटाने का और दूसरा इसका रूप है नये उपकुलपतियों को बैठाने का तो मैं बिना किसी हिचक के और बिना देर किये हुये यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को हटाने की बात अच्छी है और बिना एक मिनट की देर किये उनको हटा दिया जाय तो अच्छा है । मैं कहना चाहता हूं आपके द्वारा कि क्या मैं सांप हूं

या इन्सान हूं। सांप के दो जीभ होती हैं और इन्सान के एक जीभ होती है। यह सारी फाइल हमारे सामने रखी हुई है। इसको पढ़ने में समय लगेगा। मैं राज्यपाल महोदय, माननीय सम्पूर्णानन्द तथा अन्य दूसरे माननीय विश्वविद्यालय के नेताओं को लिखते-लिखते थक गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर जो वर्तमान सज्जन सुशोभित हैं उनको हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप किसी का नाम न लें।

श्री राजनारायण—मैं नाम नहीं लेता हूं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पहला ऐक्ट था, जो पहला कानून था जिसके जरिये से एलेक्शन होता था उसमें एलेक्शन की क्या परिपाटी थी ? क्या जो आज विश्वविद्यालय कानून विद्यमान है उसके द्वारा सरकार जिसको चाहे उपकुलपति बना सकती है? निश्चित ही बना सकती है। लखनऊ विश्विद्यालय की जो एक्जिक्यूटिव बाडी है उसमें कौन है ? उसमें १२ आन्तरिक हैं और १० बाह्य हैं। जो १० बाह्य है उनमें ५ सरकार के द्वारा नामिनेटेड थे, नामांकित थे। बहुगुणा जी, बेगम अली जहीर, उपाध्याय मुनीश्वर दत्त, श्री त्रिलोकीसिंह और प्रोफेसर दास ये सरकार के नांमाकित थे। ५ कार्यकारिणी के चुने हुये और अगर ट्रेजरार और उपकुलपति को इनमें और मिला दिया जाय तो ये १२ हो गये। उपकुलपति अपना चुनाव अपने आप करता है। तो यह कैसी इन्टरनल डेमोक्रेसी है ? आज जो मौजूदा ऐक्ट चल रहा है उसमें यह आन्तरिक डेमोक्रेसी कहां है ? आज जिस तरह से उपकुलपति की नियुक्ति होती है उसको हम कैसे जनतान्त्रिक कहते है ? सारी जनता चिल्लाती रह गई, हम माननीय सदन के सदस्य चिल्लाते रहे, विरोधी पार्टी के उपनेता और नेता चिल्लाते रहे मगर जिसको उपकुलपति बनाना था और जिसको बनाने के लिये सरकार इच्छुक थी उसको कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। उसमें अब वह नहीं है। साथ ही मुझे आज यह भी खुशी है कि हमारे मित्र नारायणदत्त तिवारी जी यहां पर विराजमान है। आज गोविन्दसिंह जी विष्ट यहां पर विराजमान हैं। झारखंडेराय जी और गौरीशंकर राय जी भी विराजमान है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या हमारा प्रतिनिधिमंडल लोगों से नहीं मिला था ? क्या हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की दयनीय स्थिति को बतलाने का प्रयत्न नहीं किया था ? क्यों हमारे कानों के परदे नहीं फट गये जब हमको इसी सदन में वह वाक्य सुनने को मिला कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आन्दोलन को खड़ा करने के लिये खरीदकर बाहर से लोग आये थे। वह गौरव हमे ही हासिल था कि तीन महीने की जेल हमको काटना पड़ा लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आन्दोलन का समर्थन करने के लिये। राज्यपाल महोदय, श्री सम्पूर्णानन्द और कमलापति जी सबसे सिफारिश की गई कि स्थिति को समझ लिया जाय और हर तरह से प्रार्थना की गई जिससे गोली चलानी न पड़े। अन्त में हमने विद्यार्थियों से अपील की कि बाहरी लोग आन्दोलन में आ रहे हैं तुम इसको वापस लो और मुझे खुशी है कि जिस दिन मैं जेल गया उसके दूसरे दिन ही विद्यार्थियों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया। अब बतायें गौरीशंकर राय जी कि क्या हमारी भावनाओं की कदर की गई ? मैं आज भी इस निश्चित मत का हूं कि अगर आज जनमत लिया जाय तो वर्तमान उपकुलपति के विरुद्ध ही जनमत आयेगा।

श्री अध्यक्ष—आप फिर वैयक्तिक बात कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—मैं जनमत की बात कह रहा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक्जिक्यूटिव में आन्तरिक ९ हैं और वाह्य ८ हैं। इन ८ में उपकुलपति और ट्रेजरार को यदि और मिला दे तो ये १० हो जायं और वे ९ ही रह गये। उपकुलपति और ट्रेजरार राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते है। इस वर्तमान एक्जीक्यूटिव में बहुमत किसका है? हमारे सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि वही प्रणाली चलती रहे। अगर गोरखपुर को देखा जाय तो उसमें आंतरिक ९ और वाह्य ९ और अगर उसमें उपकुलपति और कोषाध्यक्ष को जोड़ दिया

[श्री राजनारायण]

जाय तो ९ और ११ हो जायंगे। आगरा को देखा जाय, वहां १३ और १२ हैं। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय को देखा जाय तो ७ और ७ हैं, उपकुलपति और कोषाध्यक्ष को जोड़ दिया जाय तो ७ और ९ हो जायंगे। जो वर्तमान कानून विद्यमान है उसके अनुसार इन सभी में सरकार के पक्ष का बहुमत है। सरकार जिसको चाहे जिस क्षण और जिस घड़ी चाहे, उसे उपकुलपति के पद पर विराजमान करा सकती है इन एक्जीक्यूटिव कौन्सिलों के जरिये, जिनको कि कहा जाता है कि वे डेमोक्रेटिक है, जनतांत्रिक हैं।

श्रीमन्, मैं इस मत का हूं कि चाहे कौन्सिलों के जरिये चयन हो या तीन आदमियों की कमेटी बना कर उनका चयन कराया जाय, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं श्री त्रिलोकीसिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि इस लखनऊ में कौन्सिल के जरिये चुनाव होता है और गोरखपुर में ३ आदमियों की कमेटी द्वारा चयन होता है, गोरखपुर के लिये अभी हाल का ही तजुर्बा है कि उपकुलपति के विरुद्ध पर्चे बांटे गये कि इनको हटा दिया जाय, लेकिन सरकार जिस प्रणाली को आज लाना चाहती है उस के द्वारा विराजमान उपकुलपति आज वहां तमाम वितंडावाद पैदा कर रहा है। मैं बतलाना चाहता हूं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मुझे अफसोस है कि इस समय यहां हमारे माननीय कमलापति जी विराजमान नहीं है। मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसे उपकुलपति भी विराजमान हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी यह बातें कमलापति जी के कानों में पहुंचें इसलिये कि वे साक्षी हैं उस बात के, कि मैंने रात को ११ और १२ बजे के बीच फोन किया उनको कि हमारे एक वाइस चांसलर शराब के नशे में चूर एक होटल में ठहरे हुए हैं और वे एक बारात के सिलसिले में लखनऊ आये हुये थे। मैंने प्रार्थना की थी कि उनकी कोई व्यवस्था कराइये। उन्होंने कहा कि अफसोस है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। दूसरे दिन जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कहना सही था और उसके बाद कितने ही दिन वे होटल में पड़े रहे। ऐसे उपकुलपति हमारे विश्वविद्यालयों में विराजमान हैं और उसके बाद कहा जाता है कि उनको टिकने दिया जाय....

एक सदस्य—वह इलाहाबाद में थे या लखनऊ में ?

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय रोक देंगे, लेकिन थे इलाहाबाद के।

मैं निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं आदर्णीय मंत्रियों से कि क्या ऐसे वाइस चांसलर्स को एक सेकिंड, एक मिनट के लिये भी बैठाये रखना चाहिये ? मैं धन्यबाद देना चाहता हूं अपने शिक्षा मंत्री जी को जिन्होंने कि आज यह हिम्मत की है कि ऐसे वाइस-चांसलर्स को जो विराजमान हैं, उनको हटा दिया जाय, लेकिन उनको हटाने की बात तो सहरानीय है, किन्तु उसके बाद जहां तक नये वाइस चांसलर्स को बैठाने का सवाल है उसमें क्या होगा ? उनको कैसे बैठाया जायगा ? इसको देखा जाय। परस्पर विरोध है। राज्यपाल आखिरी चयन करेगा और जो तीन आदमियों की कमेटी बनायी जा रही है उसमें भी उसका एक प्रतिनिधि रहेगा। अगर राज्यपाल का प्रतिनिधि रहेगा उसमें, तो वह अपने प्रतिनिधि के जरिये जिसको चाहेगा रखवा देगा। यह तो बिल्कुल अनर्थ हो जायगा और ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो आज विश्विद्यालयों में स्थिति है उस से भी भंयकर विषम और गलाघोंट स्थिति वहां उत्पन्न हो जाय। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज जो तीन आदमियों की बात की गयी है उसी के सिलसिले में मैं माननीय नारायणदत्त जी को कोट करना चाहता हूं। नारायणदत्त जी उस समय हमारी पार्टी के सदस्य थे जब कि पिछले संशोधन विधेयक के सिलसिले में हमने अपनी पार्टी के दो सदस्यों को सेलेक्ट कमेटी में भेजा था।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

श्रीमन्, यह व्यवधान का समय तो हम को मिल जायगा न ? तो उस समय हमारी पार्टी ने सेलेक्ट कमेटी में अपने दो आदमियों को भेजा था। एक थे नारायणदत्त तिवारी जी और

दूसरे थे माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी। इन दो त्रिपाठी बंधुओं ने सेलेक्ट कमेटी के लिये क्या लिखा है उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं कि वाइस चांसलर का चुनाव कैसे हो और मुझे यह बतलाने में हिचक नहीं है कि जिस समय यह सुझाव दिया गया था उस समय आचार्य नरेन्द्रदेव जी जीवित थे और यह सारी रपट उनको दिखा दी गयी थी। उसमें लिखा है :—

"We recommend that clause 8 of the Bill be suitably amended to incorporate the formation of a Select Committee as above consisting of two nominees of the Reformed Executive Council and one nominee of the Reformed Academic Council not being connected with the University, which would recommend a panel of not more than three names to the Executive Council, which might thereafter send a unanimous recommendation to the Chancellor for appointment. As we have already accepted the principle of recommendations by Selection Committees of Professors and Readers, we do not understand why we should not apply the same principle to secure the unanimous appointment of an authority which has to give a lead in creative educational thought."

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो माननीय नारायणदत्त जी की सिफारिश है सेलेक्शन के बारे में, यदि वह ठीक है और आपने जो ढंग अपनाया है वह गलत है तो वह नहीं होना चाहिये। माननीय नारायणदत्त जी जिस ढंग को बताते हैं वह ज्यादा व्यापक है। अगर आप उस ढंग को अपनायेंगे तो नारायणदत्त जी भी आपको मुबारक बाद देंगे। (हंसी)

श्रीमन्, मुझे याद है कि जब आचार्य नरेन्द्रदेव जी लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, हमारे मित्र माननीय नेकराम शर्मा जी मौजूद हैं उन्हें भी याद होगा जब वह काशी विश्वविद्यालय में उस पद पर जाने लगे उनके सामने उनके बंगले पर कुछ विद्यार्थी गये और उन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल करेंगे। तो उन्होंने उनको डाट कर गुस्से में कहा कि तुम हमारे कामों को रोकना चाहते हो, हड़ताल मत करो। उनकी सांस फूलने लगी। वे योग्य तथा प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे और अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने उनको समझाया और फिर लोगों ने हड़-ताल नहीं की। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही विद्वान व्यक्तियों को उपकुलपति के स्थान पर लाना चाहते हैं तो उसके लिये आप जो उपयुक्त प्रणाली हो उसे ही अपनायें। आपने गोरखपुर में इसी प्रणाली को अपनाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर कम खराबियां हैं। वहां पर भी तमाम खराबियों ने अपनी जड़ जमा ली है और धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। जहां तक इन उपकुलपतियों को हटाने की बात है, मैं इस राय का हूं कि उन्हें तुरन्त हटाया जाय और जितनी देर एक पल मारने में लगती है उतनी ही जल्दी हटाया जाय। लेकिन उनके स्थान पर जो नये व्यक्तियों को रखने की बात है उस संबंध में जो तरीका उचित हो, उसे अपनाया जाय। माननीय नारायणदत्त जी ने जो तरीका बताया था वह अधिक उपयुक्त मालूम होता है।

अब आगे और चीजों को देखा जाय। यह जो कौन्सिल होगी उसमें डाइरेक्टर आफ एजूकेशन और डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हेल्थ को रखा है। क्यों इनको रखा है? यह क्या वहां नाड़ी देखेंगे? इनको क्यों वहां पर भेजा जाय? क्या यह इसलिये जा रहे हैं कि वे वहां जाकर माननीय त्रिलोकीसिंह जी या माननीय चन्द्रभानु गुप्त के मर्ज की दवा करें ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं तो बहुतों की दवा करता हूं। (हंसी)

श्री राजनारायण—अधिष्ठात्री महोदया, हमने बराबर यह मांग की है कि आइ० जी० पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, गोविन्दनारायण आदि को हटाया जाय। हम अब भी यही चाहते हैं कि अगर उनको न हटाया हो तो फौरन हटाया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें अनेक

[श्री राजनारायण]

कारण है। आई० जी० माथुर के विरुद्ध १९५४ में हमने माननीय संपूर्णानन्द को लिखा, पंत जी को लिखा। लिखते-लिखते लेखनी थक गयी। वह एक नहीं अनेक दुगुणों से युक्त हैं। हमने माननीय सम्पूर्णानन्द को लिखा था कि प्रोफेसर साहब, तीन कारणों से उनको आई० जी० मत बनाइये। एक तो बनारस के रहने वाले हैं दूसरे कायस्थ आपकी जाति के है तीसरे अनेकों को रोक रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य, जरा ....

श्री राजनारायण—हां, मैं कहना नहीं चाहता, ३ कारण पहले हमने बतलाये थे अध्यक्ष महोदय के सामने, बनारस का रहना, कायस्थ होना और कायस्थ होने के नाते कुनबापरस्ती, इसलिए उनको हटा दिया जाय। कालीप्रसाद अगर हट जायें तो अच्छा है। इलाहाबाद, गोरखपुर शुद्ध हो जायं, बनारस शुद्ध हो जाय तो अच्छा है। मगर गारंटी क्या है कि आगे भी अच्छे रहेंगे? तो वाग्जाल में न फंसाएं। हमारा शिक्षा का आदर्श स्पष्ट हो, स्पष्ट करके उसके तदनुरूप इस विधेयक को यहां अच्छी तरह से प्रस्तुत करें।

इस वर्तमान विधेयक में अनेक खामियां है। जिस ढंग से एक्जिक्यूटिव कमेटी बन रही है, उसमें खामियां हैं। एक एक्जिक्यूटिव कमेटी का, एक चीफ जज और एक राज्यपाल का नामिनी मिलकर जो समिति बने वह वाइस चांसलर को चुने, मैं इसका घोर विरोधी हूं कि चांसलर का नामिनी रखा गया और एक्जीक्यूटिव से एक ही क्यों रखा गया। अगर सरकार इंटरनल आटोनामी को कायम रखना चाहती है तो सेलेक्टिंग बाडी के स्कोप को बढ़ायें। ऐसे लोगों को रखे जिन पर जनता की आस्था हो, जिससे यह न हो पाये कि सरकार अपने ढंग से सेलेक्ट करा सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने लगातार सदन से कहा है कि राज्यपाल की चांसलर के पद पर नियुक्त नहीं की जानी चाहिये। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि जब तक चांसलर के पद पर राज्यपाल रहेंगे तबतक झगड़ा होगा, वितंडावाद होगा, तिकड़म होगा और सरकारी हस्तेक्षेप होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे भाषण के अन्त में माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर विराजमान हैं। श्रद्धेय आचार्य नरेन्द्र देव को जिन स्थितियों के कारण काशी विश्वविद्यालय से इस्तीफा देना पड़ा, क्या उसमें सरकार की नालायकी नहीं थी? क्या सरकार का नापाक हाथ वहां के आन्तरिक प्रश्नों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था? लोगों को उभारा गया और ऐसी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति जिसने कहा कि अगर एक आदमी भी आवाज उठाये तो हम इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं, ऐसा कोई उपकुलपति आज भी मौजूद है? आज भी हम चाहते है कि ऐसे सदाचारी, विद्वान, त्यागी, मनस्वी लोग आवें जो कि दूसरों की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दें, ऐसे लोग आयें। कैसे आयेंगे? क्या वर्तमान ढंग से जो चयन प्रणाली हो जायगी, उससे आयेंगे? मेरा विश्वास है कि नहीं आयेंगे। अगर सरकार हमारे सुझाव को मानती है तो खुल कर कहे। तमाम बातों पर सोच विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाया जाय। उसकी अवधि चाहे थोड़ी कर दीजिये। हमारा संशोधन एक महीने का है। १ महीना नहीं, १५ दिन, १५ दिन न सही ७ दिन और माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने जैसा कहा कि ३ दिन का समय नियत कर दिया जाय, तो हम उसको मानने को तैयार हैं। अधिष्ठात्री महोदया, इस बारे में मैं स्पष्ट हूं।

(लाल बत्ती बुझने पर)

केवल ५ मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

*शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, ४ दिन से इस विधेयक के संबंध में विचार किया जा रहा है और इस ४ दिन के बीच में जो भाषण हुये, विशेषतौर से विरोधी दल की तरफ से, यद्यपि मुझे आये दो ही दिन हुये हैं और दो दिन का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि उनके भाषणों को सुनूं, मगर जो पहले भाषण दिये गये, उनके बारे में मैंने जानकारी हासिल कर ली है । मुझे खेद है कि मैं, जब यह विधेयक इस सदन में पेश किया गया, कुछ मजबूरियों के कारण यहां मौजूद नहीं था । लेकिन जो कुछ भी यहां पर कहा गया है उसको मैंने काफी गौर से देखा है और कुछ ध्यान से सुना भी है । मुझे एक बात पर आश्चर्य भी हुआ । इस छोटे से विधेयक में, छोटा-सा इसलिये कहता हूं क्योंकि इसमें कुछ ही धारायें ऐसी हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल ऐक्ट में संशोधन करती हैं और जिनका सम्बन्ध इस बात से है कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति कैसे हो । केवल दो, चार धारायें ही ऐसी हैं । मुझे मालूम नहीं कि क्यों यहां पर ये आशंकायें प्रकट की गई है, क्यों उनके दिलों में गलतफहमियां हैं जिसके लिये यह प्रस्ताव किया गया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय । वहां पर हम भेजने की क्या आवश्यकता है, इस बात का मुझे आभास नहीं हो सका । प्रवर समिति में भेजने की बात तो तब उठती जब उसमें बहुत-सी धारायें होतीं जिनके संबंध में शंका पैदा होती कि अगर प्रवर समिति के दुबारा विचार नहीं किया गया तो सम्भव है कुछ ऐसी बातें इस विधेयक में रह जातीं जिनसे हमारा जो मूल उद्देश्य है वह पूरा न हो पाता ।

इस बिल में जो धारायें हैं उनके बारे में शंका पैदा की गई है और यह कहा गया कि इस बिल के द्वारा यूनिवर्सिटी आटोनामी पर आघात होगा । मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर स्पष्ट तरीके से अपनी गवर्नमेन्ट की राय आपके सामने रखूं । मैं समझता हूं कि हम सभी जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं इस बात के इच्छुक हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियों का स्तर ऊंचा रहे । वहां की व्यवस्था ऐसी हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ नवयुवकों और नवयुवतियों को पहुंच सके । किसी का भी यह खयाल नहीं हो सकता है कि यूनिवर्सिटियों को एक ऐसा केन्द्र बना दिया जाय जिसके जरिये से गवर्नमेन्ट लाभ उठा सके या जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, वह प्राप्त न हो । इसलिये ऐसा खयाल दिमाग में नहीं आना चाहिये कि गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई ऐसा इरादा हो सकता है कि विश्वविद्यालय की आटोनामी को खत्म करके उनको अपने कब्जे में कर लें ।

आखिरकार विश्वविद्यालयों को जो आटोनामी दी जाती है वह इसी विधान सभा के द्वारा दी जाती है । अन्य देशों में जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी कार्पोरेशन की हैसियत है । उन कार्पोरेशन्स के लिये ऐक्ट बनते हैं और उनके द्वारा कुछ नियम बनाये जाते हैं जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अपना संचालन करते हैं। उन नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि नवयुवक अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और आगे चलकर देश की सुव्यवस्था कर सकें । विश्वविद्यालयों का यही उद्देश्य है । इसी उद्देश्य से इस विधान सभा ने भी ऐसे ऐक्ट बनाये हैं जो यूनिवर्सिटी ऐक्ट कहलाते हैं । उस यूनिवर्सिटी ऐक्ट में जो खराबियां पैदा हो गई हैं उसको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है और वह भी एक खास बात के लिये । इस समय वाइस-चांसलर के चुनने की जो पद्धति है उसके सम्बन्ध में दो, तीन सालों में जो अनुभव प्राप्त हुये हैं उससे ऐसा मालूम हुआ कि हमारा जो उद्देश्य था कि अच्छे से अच्छे वाइस-चांसलर को चुन सकें, उसमें दलबन्दी न होने पावे, कोई ऐसा कैन्डीडेट न हो जो जाकर वोट मांगे या कन्वेंसिंग करे, इसका कैसे दुरुपयोग हुआ है, मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य जानते होंगे जिनका कि थोड़ा बहुत भी सम्बन्ध यूनिवर्सिटी से रहा है । जो थोड़ी बहुत भी जानकारी इस सम्बन्ध में रखते हैं उनको मालूम होगा कि जो पद्धति रखी गई थी यानी एक्जीक्यूटिव कौन्सिल यूनानिमसली, एक मत से किसी व्यक्ति को चुनती है तब चांसलर को ऐसे व्यक्ति का नाम स्वीकार करना पड़ता है और उसकी नियुक्ति हो जाती है । यदि ऐसा न हो तो दूसरी हालत में नियम यह है कि तीन नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल पश कर दे, उनको भेज दे और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[आचार्य जुगलकिशोर]

उन तीन नामों में से चांसलर किसी एक नाम को चुन लेंगे और उसकी नियुक्ति कर देंगे । इसका दुरुपयोग कैसे हुआ कि बजाय तीन नाम के यह कोशिश की गई कि ४ नाम रख दिये जायें । क्यों कोशिश की गई ? इसलिये कि ४ नाम होने से वोटिंग होने की नौबत आयेगी और उस हालत में जिनको ज्यादा वोट मिलेगा उनको चांसलर को मजबूर हो कर चुनना पड़ेगा । जैसा कि हम चाहते थे कि वहां पर दलबन्दी न हो और वोटिंग के साथ वाइस चांसलर न चुना जाय परन्तु एक ऐसा व्यक्ति, जिसको एक्जीक्यूटिव कौंसिल ठीक समझती है, लेकिन चांसलर ठीक नहीं समझता है, चुना जाता है । तो यही नतीजा हुआ कि ४ आदमियों के नाम आने लगे और उन पर वोटिंग होने लगी और बजाय इसके कि वह वोटिंग भेज देते तो चांसलर उसमें से अपना आदमी रख देते, लेकिन उन्होंने वोटिंग को शाया कर दिया और चांसलर के पास उस वोटिंग का नम्बर भेज दिया । अब चांसलर के लिये मजबूरी की बात हो गई कि किस तरह से, जो नाम भेजे गये हैं, उसकी पब्लिसिटी भी हो गई, उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को चुने जिसको कि वोट कम मिले हैं । आखिरकार जो धारा का उद्देश्य था वह यही कि चांसलर को एक्जीक्यूटिव कौंसिल की राय मालूम हो जाय और तीन नाम ऐसे मालूम हो जायं जिनमें से वह चुन सके । लेकिन नतीजा यह हुआ ।

इसलिये आज इस बात की आवश्यकता समझी गई कि बजाय उस पद्धति के यह अच्छा होगा कि चयन हो । ऐप्वाइंट तो आज भी चांसलर करते हैं । आज भी उनको अख्तियार है मौजूदा धारा के मुताबिक तीनों नामों को वापस कर सकते हैं । ऐप्वाइंटिंग अथारिटी तो चांसलर आज भी है और जो विधेयक की धारा आज गवर्नमेन्ट की तरफ से आई है उसमें भी यही है । लेकिन चांसलर को ऐप्वाइंट करने में एक दूसरा तरीका भी उनके सामने रखना चाहते हैं कि तीन ऐसे व्यक्ति जिन पर किन्हीं को शक न हो वे मिलकर के तीन व्यक्तियों के नाम जो गुप्त रूप से विचार करेंगे बिना इस बात को जाहिर किये हुये कि किसके लिये विचार कर रहे हैं तीन नाम चांसलर के पास भेजेंगे और उसमें से चांसलर को अधिकार होगा कि किसको चुनना सम्भव है । अब चांसलर के पास जो नाम जायेंगे उनमें से पहले से चांसलर पूछेंगे कि क्या आप तैयार हैं और अगर वह न हुये तो दूसरे से और फिर तीसरे से पूछेंगे । इरादा यह है और इस बात की कोशिश की जायगी कि इसमें कोई कन्वेंसिंग न करेंगे । यह भी नहीं मालूम होगा कि किन के नाम कमेटी के समक्ष हैं और वह कमेटी किनको रिकमेंड कर रही है । एक हाईकोर्ट के जज की हैसियत वाला व्यक्ति जिसको हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद करेगा, दूसरा चांसलर का रिप्रेजेंटेटिव और तीसरा एक्जीक्यूटिव कौंसिल का, इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो व्यक्ति चुने जायेंगे उनके बारे में यह शक पैदा होना कि वह गवर्नमेन्ट के ही व्यक्ति होंगे या गवर्नमेन्ट जिसको कराना चाहती है वह होगा, मैं समझता हूं कि बहुत दूर की बात सोची गई है जो वास्तविकता से बहुत दूर । मैं कह सकता हूं जो अनुभव मेरा है यूनिवर्सिटी के बारे में और अन्य यूनिवर्सिटियों में जो हो रहा है उसको देखते हुये, कि इस पद्धति के द्वारा अच्छे से अच्छे आदमी वाइस चांसलर के पद पर आ सकेंगे और आज किस तरह से होता है चुनाव उसमें कोई भी अच्छा आदमी जो कि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक न रखता हो और वह दलबन्दी में नहीं पड़ना चाहता, खड़ा भी नहीं होना चाहता, दलबन्दी में पड़ जाता है । इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर बनावें जो कि दलबन्दी में न पड़े और ऐसे तीन व्यक्तियों के द्वारा चुना गया हो तो उसको चांसलर वाइस चांसलर बना दें । मैं समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति जब इस कमेटी के द्वारा चुनकर चांसलर द्वारा नियुक्त होगा तो स्वाभाविक बात है कि वह यूनिवर्सिटी में दलबन्दी नहीं होने देगा । कम से कम स्वयं उसमें नहीं फंसेगा । यह कोई पेंचीदा बात नहीं है और मैं नहीं समझ सकता कि इसके लिये सेलेक्ट कमेटी में क्यों यह विधेयक भेजा जाय । साधारण सी बात है, इसे मंजूर कीजिये या नामंजूर कीजिये । मैं समझता हूं कि गोरखपुर और दिल्ली में ऐसा है और अलीगढ़ इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी ऐसा ही सुना है । सम्भव है कि और जगह भी ऐसा हो ।

माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने शिकायत की कि क्या बात है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में यह पद्धति होते हुये भी ऐसा व्यक्ति आज वाइस चांसलर है जिसके बारे में शिकायतें आती हैं और अखबारों में भी निकलती हैं । लेकिन जैसा बतलाया गया, वहां के वाइस-चांसलर इस पद्धति द्वारा नहीं चुने गये हैं । इसलिये यह नहीं कह सकते कि हमारे प्रदेश में इसका ट्रायल हो चुका है या यह नाकामयाब रही है । मैं समझता हूं कि इससे अच्छी पद्धति हमारे प्रदेश में इस समय हो नहीं सकती । आखिरकार, गवर्नमेन्ट तो ऐसे ही व्यक्ति को चाहती है जो सचमुच विश्व-विद्यालय के संचालक के योग्य हों । जिसके ऊपर टीचर्स और स्टूडेन्ट्स की भी श्रद्धा हो । ऐसे व्यक्ति को कैसे लाया जाय, यही इस विधेयक का मंशा है । सम्भव है कि यह पद्धपि फेल हो जाय, मैं नहीं कहता कि यह नाकामयाब नहीं हो सकती, लेकिन अगर इसे ट्रायल दिया जाय तो मौजूदा पद्धति में जो चुनाव का सिलसिला आ गया है वह नहीं रहेगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि संशोधन करने वाले माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लें ।

दूसरी बात यह कही गई है कि इस विधेयक द्वारा जो एक्सटरनल मेम्बर्स एक्जूक्यूटिव कमेटी में होते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जायगी, बमुकाबले इन्टरनल मेम्बर्स के, यानी टीचर्स के । लेकिन मैं समझता हूं कि इस संशोधन को अगर पेश किया गया तो उस पर विचार करके गवर्नमेन्ट को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी । यों तो मैं समझता था कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन और डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड हेल्थ का होना हमें काफी मदद देता है लेकिन, खैर, अगर माननीय सदस्यों को एतराज है तो वह इस तरह का संशोधन पेश करें और गवर्नमेंट को कोई आपत्ति उसे मानने में नहीं होगी यद्यपि जब मैं वाइस-चांसलर था तो मुझे भी उनसे काफी सहायता मिलती थी ।

यह भी आपत्ति की गई, कल तिवारी जी ने व और भी माननीय सदस्यों ने कहा कि चांसलर अपने हाथ में कालेजेज को एफीलियेशन देने की पावर ले रहे हैं । मौजूदा विधेयक में ऐसी बात नहीं है । इसका जिक्र इस सिलसिले में है कि जैसे लखनऊ में होम्योपैथिक कालेज हैं या कोई और कालेज अपना सम्बन्ध आगरा यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो आज के कानून के अनुसार वह यह नहीं कर सकता । लेकिन इस विधेयक से यह हो सकेगा । अगर कोई मांग ऐसी आवे कि आगरा यूनिवर्सिटी के जुरिस्डिक्शन के बाहर का कोई कालेज अपना सम्बन्ध उससे रखना चाहता है तो चांसलर की इजाजत के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता । तो ऐसी बात नहीं है कि चांसलर ने ऐफीलिएशन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है । यों तो एफीलियेशन की स्वीकृति देने का अधिकार चांसलर के हाथ में है चूंकि सरकार से रिकगनाइज्ड कालेजेज को अनुदान मिलता है । तो गवर्नमेन्ट पहले ही से अधिकार रखना चाहती है कि ऐसा एफिलियेशन न दिया जाय जिससे कालेज अपना काम न चला सके और गवर्नमेन्ट के पास उसे देने के लिये अनुदान न हो । मैं समझता हूं कि किसी को यह शिकायत नहीं होगी कि चांसलर ने इस पावर का दुरुपयोग किया है । यह शिकायत हो सकती है कि चांसलर ने ज्यादा कालेजों को एफीलियेट होने की इजाजत दी हो ।

इसमें एक धारा है कि बैंक्रप्ट या पागल व्यक्ति वाइस-चांसलर नहीं होगा । मैं मानता हूं कि ऐसा आदमी अपने आप ही अलग हो जायगा और अगर इसका संशोधन आवेगा तो हमें उसे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होगी ।

यह भी शिकायत है कि वाइस-चांसलर का टैन्योर आफ आफिस ५ साल से ३ साल कर दी गई है और उसके दोबारा भी नियुक्ति होने की बात रख दी है । आज के कानून से कोई दोबारा वाइस-चांसलर नहीं हो सकता और उसकी टर्म ५ साल की है । जब वाइस-चांसलर की नियुक्ति एक कमेटी द्वारा होगी तो कोई अपने आपको दोबारा चुने जाने की कोशिश नहीं करेगा । आप जानते हैं कि मदरास में श्री लक्ष्मीस्वामी मुदालियार २५ साल से या ज्यादा से वाइस-चांसलर ह । तो मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये अगर वाइस-चांसलर कमेटी की सिफा-रिश से नियुक्त हो ।

[आचार्य जुगल किशोर]

दूसरी बात यह है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों पर अभी तक यह प्रतिबन्ध है कि वे २ टर्म से ज्यादा मेम्बर नहीं रह सकते। हमने जरूरी समझा कि यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । अगर कोई अच्छी सेवायें करता है तो कोई कारण नहीं है कि उसे हटा दिया जाय जबकि एक्जीक्यूटिस कौंसिल को वाइस-चांसलर चुनने का अधिकार नहीं है । खतरा यह था कि वाइस-चांसलर चुनने का अधिकार एक्जीक्यूटिव कौसिल को हो और वह ऐसे व्यक्तियों की हो जाय जो हमेशा क लिये उसमें बैठ जावें । लेकिन अब चूंकि वाइस-चांसलर की नियुक्ति एक कमेटी द्वारा होगी, इसलिये यह खतरा नहीं है । तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल के दोबारा चुने जाने का प्रतिबन्ध भी हटा लिया गया है ।

इस विधेयक में जो इस प्रकार की बातें हैं उसको देखकर मुझे इस बात का बिलकुल भी विश्वास नहीं होता कि किन कारणों से इसको प्रवर समिति में भेजे जाने का आग्रह किया जा रहा है । गवर्नमेन्ट किसी खराब इंटेंशन से नहीं बल्कि निष्पक्ष भावना से, इस बात की कोशिश में है कि यूनिवर्सिटीज में अच्छे वाइस-चांसलर लाये जायं, यूनिवर्सिटीज को कब्जे में रखने की हमारी कोई मंशा नहीं है । उससे हमें कोई राजनैतिक फायदा नहीं उठाना चाहते । जब तक यह बात माननीय सदस्यों के दिमाग में रहेगी तब तक उन्हें हमारी बात पर विश्वास न होगा कि हम इसके द्वारा यूनिवर्सिटीज के वातावरण को और अधिक शुद्ध बनाना चाहते हैं ।

टीचर पोलीटिशियन्स का जिक्र राधाकृष्णन् कमीशन ने किया है। उन्होंने लिखा है कि डेमोक्रेसी के बाद कुछ ऐसे टीचर पोलीटिशियन्स पैदा हो गये हैं जिनका ध्यान, अध्ययन, पढ़ाने और अनुसंधान की ओर कम जाता है लेकिन पोलीटिक्स की तरफ अधिक रहता है । वाइस-चांसलर का यूनिवर्सिटी के वातावरण पर बहुत प्रभाव रहता है अतः अगर कोई वाइस-चांसलर अच्छा आ जाता है, वह वहां के वातावरण को बहुत कुछ संभाल सकता है और आजकल जो समस्यायें यूनिवर्सिटीज में हैं वे बहुत हद तक समाप्त हो जायंगी । हमें आशा है कि अगर इस विधेयक को इस सदन ने स्वीकार कर लिया तो हम ऐसे वाइस-चांसलर द्वारा यूनिवसिटी में सुधार करा सकेंगे जिनकी नियुक्ति कमेटी के द्वारा होगी और जिस पर हमें विश्वास होगा कि वह अपनी योग्यता से यूनिवर्सिटी के वातावरण को अपने प्रभाव से ठीक कर सकेगा । इन शब्दों के साथ जो संशोधन पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, अभी आदरणीय शिक्षा मंत्री जब बोल रहे थे तो मैं उनसे आशा करता था कि इस विधेयक के बारे में जो जो शंकायें लोगों को हुई हैं उन शंकाओं का स्पष्टीकरण वे अपने भाषण में कर देंगे । लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आचार्य जी ने अपने भाषण में उन शंकाओं को तीव्रतर कर दिया । उदाहरणार्थ मैं यह बताऊं कि उन्होंने अध्यापकों के ऊपर तो प्रतिबंध लगा दिया कि वे एक या दो टर्म से ज्यादा एक्जीक्यूटिव के सदस्य नहीं रह सकते । परन्तु जो पुराने राय बहादुर और राय साहब हैं, जो सन् १९३० से और सन् १९४२ से एक्जीक्यूटिव के सदस्य चले आते हैं और जिनके द्वारा सन् १९५९ से गुटबंदी चली आती है, उनके ऊपर क्यों प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया ? यह कहा गया कि काम अच्छा करते हैं तो क्या अध्यापक सब के सब ऐसे निकम्मे हैं जिनको नहीं रखा जा सकता ? अब उस अच्छे काम का मापदंड क्या है ? उसका एक ही मापदंड है—दलबन्दी । अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उन लोगों के नाम भी पढ़ दे सकता हूं । वहां आज भी एक दल विशेष के एम० एल० ए० और एम० एल० सी० हैं । हमें तो यह विश्वास है कि यूनिवर्सिटी का सुधार तभी हो सकेगा जब ये राजनैतिक अखाड़े वाले लोगों को वहां से अलहैदा कर दिया जायगा । जब तक एक्जीक्यूटिव में राजनीतिक लोग यूनिवर्सिटी के मामलों में एक्टिव पार्ट लेते रहेंगे और एक्जीक्यूटिव के सदस्यों के लिये सरकार के पोलीटिकल मेंबरान नियुक्त होंगे, तब तक वहां की दलबन्दी कभी दूर नहीं हो सकती। चाहे आप वाइस-चांसलर का चुनाव करें, चाहे निर्वाचन करें । निर्वाचन करेंगे तो गुटबन्दी होगी, चुनाव करेंगे तो पैट्रोनाइज होगा । तो यूगिवर्सिटी की हालत को सुधारने की जो मूलभूत नीति थी, जहां गांठ थी उस गांठ को ठीक

नहीं किया गया है परन्तु उस गांठ को और दृढ़तर किया जा रहा है लोगों पर से एक प्रतिबन्ध को हटा कर। अधिष्ठात्री महोदया, आप विचार करें कि उन्होंने २० वर्ष काम किया और बहुत अच्छा काम किया तो क्या उनके अतिरिक्त और कोई देश में अच्छा काम करने वाला शिक्षाविद् या शिक्षा विशेषज्ञ है ही नहीं ? जितने भी हैं सब सरकार के नामिनी हैं । लखनऊ यूनिवर्सिटी को ले लें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ले लें, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को ले लें या कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें सब जगह पोलीटिशियन्स भरे पड़े हैं और एक दल विशेष से सम्बन्धित हैं ।

श्रीमन् मेरा कहना यह है कि चाहे भूतपूर्व मंत्रिमंडल का गुट रहा हो, चाहे मौजूदा मंत्रिमंडल का गुट हो, दोनों गुट अपने-अपने आदमियों को वहां भरने के लिये कानून में परिवर्तन के बाद परिवर्तन लाये हैं और फिर आप आशा करते हैं कि गुटबन्दी न हो । जब काबे से कुफ उठेगा तो यह कैसे हो सकता है कि वहां गुटबन्दी न हो ? शिक्षा मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से कही और इस तरह से वहां गुटबन्दी की बात स्पष्ट हो गई । मैं इस मत का हूं कि शिक्षा संस्थाओं को गुट और राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिये क्योंकि यह वह पवित्र स्थान है जहां हम बालकों के भविष्य और बुद्धि के निर्माण करने की कोशिश करतें हैं । अगर हमारे बालकों के भविष्य और बुद्धि का निर्माण नहीं हुआ तो इस तरह से गुटबन्दी बढ़ेगी और उसका बहुत ही भीषण परिणाम होगा ।

मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जब लखनऊ में विद्यार्थियों के ऊपर विद्यार्थी आन्दोलन के सिलसिले में गोली चलाई गई थी तब मैंने यहां स्पष्ट रूप से बोलते हुये कहा था कि अकेले विद्यार्थी ही अनुशासनहीनता और गुटबन्दी बढ़ाने के दोषी नहीं हो सकते हैं, अध्यापक भी दोषी हो सकते हैं । शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमाण दिया जाता है, मैं कहता हूं कि शिक्षा का स्तर भी अध्यापकों की गुटबन्दी के कारण ही गिरा है और उसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है । शिक्षा का स्तर इस समय भी गिरा है, उससे कोई भाग नहीं सकता है । तो आवश्यकता इस बात की थी कि इसका हल कैसे हो, इस दृष्टि से संशोधन न करके आमूलचूल संशोधन किया जाता ।

अभी आचार्य जी ने कहा कि वाइस-चांसलर के लिये गोरखपुर यूनिवर्सिटी वाली पद्धति हम लागू करने जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी पद्धति है लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी अभी यह पद्धति लागू नहीं है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपने इसका कोई अनुभव प्राप्त ही नहीं किया है कि यह पद्धति अच्छी है या बुरी तो यह कैसे मालूम हो सकता है कि वही पद्धति अच्छी है । माननीया, आप इस पर विचार करें कि अपने मन से तथा एक दल विशेष के चांसलर को रखना बड़ा ही गलत है । आप देखें कि आज सारे हिन्दुस्तान में जितने राज्यपाल हैं वे ही अपने-अपने क्षेत्र के यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं और एक दल विशेष के पराजित व्यक्ति हैं जिनको राज्यपाल के जैसे पवित्र स्थान पर बैठा कर के, भ्रष्टाचार करके उनके भोजन आदि का प्रबन्ध किया गया है । वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जनता ने ठुकरा दिया और उन्हीं से आप अपेक्षा करते हैं कि वे राजनीति के बाहर जाकर किसी योग्य वाइस-चांसलर का चयन करेंगे ? "कोदों बोकर गेहूं नहीं काटा जा सकता है ।" जो व्यक्ति राज्यपाल के स्थान पर हो उसे किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होना चाहिये । दुनिया के किसी देश में भी सरकार से सम्बन्धित, सरकार के सिम्बल के रूप में, स्टेट पावर की ओर से, ऐसा व्यक्ति किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं है, केवल हिन्दुस्तान में ही यह चीज है । और आप परिपाटी पीट रहे हैं उसी की ।

राज्यपाल का नामिनी कौन होगा, यह समझने की बात है । कहा गया कि दूसरा नामिनी चीफ जस्टिस का होगा, मैं आदर करता हूं चीफ जस्टिस का परन्तु इस सूबे के चीफ जस्टिस का आदर्श जैसा रहा जिन्होंने कि अपने लड़के की नौकरी के सिलसिले में सारी गड़बड़ी की, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, दैव योग से अगर ऐसा चीफ जस्टिस हुआ तो कौन नामिनी होगा। और एक्जीक्यूटिव कौंसिल में एक्सटर्नल मेम्बर जिस स्थिति में भरे हुये हैं, सारे राजनीतिक दल के भरे हुय हैं तो कौन नामिनी होगा ? इस सम्बन्ध में जैसा कि माननीय त्रिलोकीसिंह ने कहा कि

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

राजनीतिक सत्ता के मूर्त्त व्यक्ति का जो सबसे खुशामदी होगा वही चुना जायगा । तो क्या आप वाइस-चांसलर के पवित्र स्थान को खुशामदियों का स्थान बना देना चाहते हैं ? फिर आप आशा करें कि आप की शिक्षा अच्छी हो । चयन में आप किस प्रकार ऐसी आशा कर सकते हैं ? क्या इसमें राजनीतिक पेटरोनाइजिंग न होगा ? मुझे दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां से चले गये, उन्होंने परिपाटी की दोहाई दी और कहा कि हम अपने यहां एक अच्छी परिपाटी डाल रहे हैं । अब आप उन की इस बिल की परिपाटी को देखें कि यह हमें कहां ले जा रही है ।

जुडीशियरी के बारे में यह माना जाता है कि वहां हर व्यक्ति को न्याय पाने का मौका होता है, कोई भी कानून बनता है तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह उसकी वैधता को चैलेन्ज कर सके और वहां से एक सही न्याय पा सके लेकिन वह अधिकार भी इस कानून में ले लिया गया है। आप हिन्दी के विधेयक के पृष्ठ १७ के नीचे देखें उसमें लिखा है कि "उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश पर किसी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई भी कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा ऐसी किसी कठिनाई को हटाना अपेक्षित नहीं था।" इस तरह से जुडीशियरी से हर मामले में बिलकुल छुट्टी ले ली गई है। क्यों डरते हैं न्याय का अधिकार देने से, कोर्ट के फैसले से भागती क्यों है सरकार ? इस डरने का कारण एक ही है कि ऐसा न करने से सरकार की स्वार्थ सिद्धि न होगी, जो कानून सरकार द्वारा उसकी स्वार्थ की सिद्धि के लिये बनाये जाते हैं, जिनके पीछे उसका राजनैतिक दृष्टिकोण होता है और जिन के बारे में उस को डर होता है कि वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेन्ज हो जायेंगे और उसके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास हो जायेंगे और उसका क्रिटिसिज्म होगा या जिन के बारे में उस को जरा भी सन्देह होता है कि वह न्यायालय में जाकर उलट सकते हैं उन में वह इस अधिकार को नहीं देना चाहते। वह डरते हैं कि कहीं कोर्ट में जाकर बात खुल न जाय और इसीलिये इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। मैं तो इस बात का पक्षपाती हूं कि आज प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जो वाइस-चांसलर हैं उनमें से एक भी उस पद के लिये उपयुक्त नहीं हैं, हर एक को हटना चाहिये और उन के स्थान पर शिक्षा के विशेषज्ञ को आना चाहिये, जिनको कि विद्यार्थियों से प्रेम है ऐसे उपकुलपति आयें, जो चरित्रवान व्यक्ति हैं, जो सज्जन हैं वही लोग इस पद के लिये रखे जायं। यह न किया जाय कि एक पाप को दुरुस्त करने के लिये दूसरा पाप किया जाय। जानबूझ कर इस को जुडीशियरी के परिधि से बाहर निकाला जा रहा है अन्यथा इस का कारण है क्या ? आज के कानूनों के साथ इधर एक रोग सा लग गया है कि हर कानून जो बनता है वह जुडीशियरी में जाकर चैलेन्ज हो जाता है और कभी-कभी वह अवैध भी हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि आप ऐसे गलत कानून बनाते ही क्यों हैं ? गणतन्त्र की यह एक प्रमुखता है कि उस में हर प्रणाली को न्याय पाने का अधिकार है तो आप क्यों इस तरह की क्लाज बिल में जोड़ते हैं।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह तो एक छोटा सा बिल है । हम उन की बात में इतना और जोड़ दें कि यह एक छोटा सा खोटा बिल है और इस सरकार का यह पहला राजनैतिक कदम है कि जिस के द्वारा वह धीरे-धीरे नागरिकों के अधिकार पर आघात कर रही है और सम्भव है कि आगे आने वाले और तमाम कानून भी इसी तरह से कोर्ट की परव्यू से धीरे-धीरे निकाल लिये जायं। गणतन्त्र में गलती को ठीक कराने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार न देना और उससे वंचित करना तानाशाही है और एक टोटेलीटेरियन पद्धति का द्योतक है। आज आप यह कर रहे हैं और कल दूसरी सरकारें दो कदम और आगे बढ़ी तो क्या होगा ? आज बांध में छेद करना आसान है लेकिन धारा के वेग को रोका नहीं जा सकता । भविष्य को कोई नहीं जानता कि आप रहें, यह आयें या कौन सत्ता में रहे यह निश्चय नहीं कहा जा सकता लेकिन आप का यह कदम क्या संविधान की मर्यादाओं और गणतन्त्र की मर्यादाओं का सीमोल्लंघन नहीं है ? अगर आज वह थोड़ा है तो कल अवश्य ही बड़ी मात्रा में होगा और सम्भव

है कि ऐसे मार्ग पर चलने वाली कोई सरकार आई तो वह अवश्य ही संविधान को कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ कर फेंक देगी। इस भविष्य पर हमें विचार करना चाहिये परन्तु इस पर मंत्रिमंडल ने और इस सरकार ने विचार नहीं किया। क्या सरकार ने विचार किया कि इस तरह के कदम का आगे परिणाम क्या होगा? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने विचार नहीं किया। उन्होंने विचार एक बात का अवश्य किया कि हमारे आदमी घूम फिर कर हर जगह कैसे पावर में रह सकते हैं और किस आधार पर हम अपनी सार्वभौम सत्ता को अधिक दिन तक परपिचुएट कर सकते हैं लेकिन भविष्य के लिये वह एक बड़े खतरे की बात है।

मैं यह जानना चाहता हूं और मुझे आशा थी कि शिक्षा मंत्री जो विद्वान हैं, उनको इस विषय में क्या आपत्ति थी कि अगर चीफ जस्टिस वाइस-चांसलर हो या हाई कोर्ट का जज वाइस-चांसलर हो? आप एलेक्शन समझते हैं बुरा है, खत्म करें। यही कर दीजिये कि हाई कोर्ट के जजेज वाइस-चांसलर हों। आपको क्या आपत्ति है? चांसलर को हटायें और चांसलर को पोलिटिकल परसन न रखें। यह संशोधन अगर होता तो मैं समझता कि हां कुछ विचार हैं। लेकिन संशोधन आया है अपने आदमी को बिठलाने का, एक्जीक्यूटिव कौन्सिल में, वाइस चांसलर के पद पर, नामीनेशन में, सब में प्रेट्रोनेज का दृष्टिकोण है। इसलिये इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये।

आचार्य जी नें कहा छोटा सा बिल है, इसके भेजने की क्या जरूरत है। लेकिन इसके क्या इम्पलीकेशन्स होंगे, क्या परिणाम होंगे या हो सकते हैं उन पर अगर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो भविष्य में खतरा हो सकता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मान लिया जाय कुछ समय बाद ऐसी सरकार आती है जो चाहती है देश में तानाशाही होनी चाहिये। आपने जो रास्ता खोला है कल इसी पर चलकर दूसरी सरकार तानाशाही स्थापित करती है तो क्या होगा? दूसरा विचार यह है कि शिक्षा को स्वतन्त्र होना चाहिये, शिक्षा के ऊपर, मस्तिष्क के विकास के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिये। जहां बन्धन किया गया मस्तिष्क पर, विचारों पर, शिक्षा को राजकीय दृष्टिकोण दिया गया जिसे स्टेट एजूकेशन कहते हैं वहां शिक्षा का उदय नहीं हुआ। आज जब आप अपना आदमी बैठायेंगे शिक्षा संस्थाओं में एक दल विशेष के, एक आइडियोलाजी विशेष के लोग बैठायेंगे तो हमारे दश की बौद्धिक स्वतन्त्रता कहां जायगी? फिर जो राज्य चाहेगा पढ़वायेगा, वही पढ़ाया जायगा। फिर तो इतिहास भी राज्य का इतिहास होने लगेगा "History according to State's whim"। जैसे दुनिया में होता है तानाशाह के नाम से पुस्तकें लिख डाली गईं, दूसरे आदमी आये उन्होंने उनको जलवा दिया। कोई आदमी आज सत्ता में है, जैसे रूस में है, आज सत्ता में हैं गुणगान होता है, कल का स्टालिन आज राक्षस हो जाता है, इतिहास उसका बदल जाता है। आप न करें भले ही आप अपने को रोक लें। अगर कोई दल इस दृष्टि से आता है, वह इसका लाभ लेता है तो क्या होगा? तो जो कदम आज उठायें भविष्य को सोच कर उठायें।

मैं मानता हूं कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी से समहत हूं कि वाइस-चांसलर का चुनाव गुटबाजी है। इस रोग को रोका कैसे जाय, भविष्य में यह रोग न उठे और सम्भावना भी न हो सके? इसका उत्थान हो और ऐसे लोग जो शिक्षा से सम्बन्ध रखते हों, समाज में जिनका स्थान हो वही आवें। इस दृष्टि से विचार किया जाय इस विधेयक में। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है इस दृष्टि से विचार नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो जो मैंने पहले कहा था वह इस संशोधन में पहले आना चाहिये था। जो प्रतिबन्ध लगा था एग्जीक्यूटिव के मेम्बर होने पर उसको न हटाया जाय। पर उसका हटाना ही साफ करता है दलगत विचार हैं। विश्वविद्यालय के उत्थान की बात नहीं है।

मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं उन्होंने यह कहा कि हमने क्लाज ५ जो इसमें रखा है कि गोरखपुर और आगरा यूनिवर्सिटी में जो कालेजेज अटैच होना चाहते हैं वे चांसलर की इच्छा से अटैच हो सकते हैं और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि इसमें यह शिकायत हो

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

सकती है कि कुछ जगह के बहुत से कालेजेज अटैच कर दिये जायं। अटैच करने की आवश्यकता है उतने की कि जितना बोझ विश्वविद्यालय ले सकती है न कि इतना जिसका वह बोझ सम्हाल न सके। अगर मान लिया जाय बलिया, जो प्रदेश के एक किनारे है और आगरा दूसरे किनारे, में ५० कालेज होते हैं और वह आगरा यूनिवर्सिटी से एफीलियेट होना चाहते हैं और चांसलर ने परमिट कर दिया तो इतने बड़े सूबे में आगरा यूनिवर्सिटी से हर जिले में १०, १० एफीलियेशन होने लगे तो क्या यूनिवर्सिटी का स्टैन्डर्ड स्थिर रहेगा? क्या उसका इंस्पेक्शन प्रापर और उचित होगा? नहीं हो सकता है यह विचार करने की आवश्यकता है कि यूनिवर्सिटी के जं। जोन बने थे इसी दृष्टि से बनाये गये थे लेकिन उस पर आज विचार नहीं किया गया।

दूसरी बात क्लाज ५ पर विचार करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में है उसे मैं पढ़े देता हूं :–

"Provided further that the appointment so made shall determine an appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections."

अगर आदमी फेल हो गया है फिर भी आप उसे डिग्री देते हैं तो क्या स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिरेगा? मैं चाहता था कि हमारे शिक्षा मंत्री उस पर प्रकाश डालते, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने प्रकाश नहीं डाला।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)––ओपनिंग स्पीच में कहा था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––उप–शिक्षा मंत्री ने कहा था। मैं चाहता था कि शिक्षा मंत्री भी कुछ कहते। हो सकता है कि दोनों ने डिवीजन आफ लेबर कर लिया हो। मुझे एक शंका है कि इस प्रकार का प्राविजन करने से शिक्षा का स्तर गिर सकता है। अगर नहीं गिर सकता तो कोई बात नहीं लेकिन अगर गिरता है तो उसकी दोषी सरकार है। स्तर गिरने का परिणाम भीषण होता है, उस भीषणता का दोषी सिवा सरकार के कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिये अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता तो ज्यादा अच्छा होता।

एक बात कही गयी कि यूनिवर्सिटी कमीशन बैठा है, तो क्या जल्दी थी, उसकी रिपोर्ट आने दें। अगर आप चाहते हैं व्यक्ति विशेष को हटाना और वह व्यक्ति विशेष इतना खराब है कि वह वास्तव में हटाया जाय तो आप दूसरा मार्ग अपनायें। परन्तु इस मार्ग को अपना कर हमारी यह शंका और बढ़ती जा रही है कि व्यक्ति विशेष को हटाने की आड़ ले कर आप अपना लाभ करना चाहते हैं अपने आदमियों को बैठाने के लिये। इस दृष्टि से मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप पुर्नविचार करें इस बात पर और विचार करके इस बिल को जल्दी में पेश न करके इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दें जहां इसके ऊपर गंभीरता से विचार हो सके।

(इस समय २ बज कर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

विचार करने के बाद तब इसको एक रूप में विधान सभा के सामने लायें तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि जो बिल आया है उसे एक सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय।

***श्री रामायण राय** (जिला देवरिया)––मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। दो, तीन बातों पर उधर के बोलने वालों ने जिन्होंने माननीय गौरीशंकर राय जी के संशोधन का विरोध किया विशेष रूप से चर्चा की और उस चर्चा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सिलसिले में एक बात जो सबसे अधिक भयानक प्रतीत होती है उसके सम्बन्ध में प्रारम्भ में ही मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं।

एक सज्जन यूनिवर्सिटीज में फैली हुई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में जब अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज विश्वविद्यालयों में जो कुछ बुराइयां हैं उसका सबसे बड़ा कारण ऐसे अध्यापक हैं जो राजनीति में हिस्सा लेते हैं। उनके विचार आज के युग के अनुरूप नहीं हैं और कम से कम उन लोगों के अनुरूप नहीं हैं जो लोग समाजवादी समाज बनाने की कल्पना करते हों, क्योंकि कोई भी समाजवादी यह मानता है कि हम क्रमशः समाज को विकसित करते-करते एक ऐसी अवस्था में ले जाना चाहते हैं जहां पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शासन की विशेष आवश्यकता नहीं होगी। मैं प्राचीनकाल की बात क्या कहूं, आप स्वयं जानते हैं कि नालन्दा तथा तक्षशिला की यूनिवर्सिटियों ने राष्ट्रनायकों का निर्माण किया और वक्त आने पर उन्होंने स्वस्थ नेतृत्व प्रदान किया और वर्तमान काल में भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले आचार्य कृपलानी और भूतपूर्व मुख्य मंत्री क्या अध्यापक नहीं थे ? कोई व्यक्ति अध्यापक है केवल इसीलिये उसे राजनीति में हिस्सा लेने का हक नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं कि इससे ज्यादा भयावह विचार और कोई हो नहीं सकता।

बहुत से विचारकों और विद्वानों के विचार इस सदन में व्यक्त किये गये विभिन्न प्रश्नों के सम्बन्ध में। अगर आपकी आज्ञा हो तो चार लाइनें श्रद्धेय आचार्य नरेन्द्रदेव जी की मैं इस विषय के ऊपर सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनकी रिपोर्ट की चर्चा की गयी और उनके सुझावों को बड़े ही महत्व के सुझाव माने गये लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर उनके क्या विचार थे यह मैं बतलाना चाहता हूं। उनका कहना था—

"किसी अध्यापक को अपने देश के सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने से रोकना नहीं चाहिये। मैं जानता हूं कि मैं यहां जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा हूं उसमें खतरा भी सन्निहित है। कुछ अध्यापक इस सुविधा का दुरुपयोग करेंगे और सैद्धान्तिक विचार-विमर्श के मान्य स्तर की रक्षा नहीं कर सकेंगे। वे अपने विद्यार्थियों को सिद्धांत विशेष की दीक्षा देने लगेंगे। किन्तु स्वतन्त्रता के दुरुपयोग की आशंका से उसका अपहरण नहीं होना चाहिये। उल्लंघन होने पर उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये उचित कार्यवाही की जा सकती है। इस उल्लंघन के बहाने वैचारिक स्वतन्त्रता में ही कमी नहीं होनी चाहिये। और यह स्वतन्त्रता केवल विश्वविद्यालय के अध्यापकों को ही नहीं मिलनी चाहिये, बल्कि यह निम्नतम श्रेणी के अध्यापकों तक को भी प्राप्त होनी चाहिये।"

देश के एक माने हुए विचारक के ये विचार देने के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि इस विषय पर मेरे पास जैसा कि आपने बताया समय कम है और कुछ कहना श्रेयस्कर न होगा।

इसके बाद एक दूसरा प्रश्न जिसकी तरफ हमारा ध्यान बार-बार आकर्षित किया गया वह था शासन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किस हद तक हस्तक्षेप होना चाहिये। अभी हमारे पूर्व वक्ता शिक्षा मंत्री जी जिस उपकुलपति के बारे में कह रहे थे कि वह बड़े सफल उपकुलपति हैं उन्होंने शासन की ओर से कितना अधिक हस्तक्षेप आज विश्वविद्यालयों के मामलों में हो रहा है इसका जिक्र करते हुए कहा है—

"Dr. A. L. Mudaliar of Madras, has said that he had been 'distressed' by the number of communications sent to the University on various topics by Secretaries or Under-Secretaries at the Central or State level. The reforming Zeal of Governments and Legislatures and the dependence of universities on Government grants have combined to accentuate this interference. That it is undesirable is beyond question, to the extent that it hampers the growth of sound academic traditions. It is also clear that if a university has these traditions it can often successfully resist encroachments whatever its formal relationship with the Government."

[रामायणराय]

मान्यवर, तीसरी बात जिसकी चर्चा ग्रामतौर से सरकारी पक्ष की ग्रोर से की गयी यह थी कि हम लोग किसी खास नीयत से, किसी संदेह के वशीभूत हो कर इस बिल की ग्रालोचना कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि संदेह इधर के लोगों के मन में नही है ग्रौर न विचारों में कोई ग्रवरोध या दुराव है। इसके विपरीत संदेह उधर के लोगों में ग्रधिक है ग्रौर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि "we see things as we are not as they are" ग्रौर मैं सरकार को इस बात से ग्रागाह कर देना चाहता हूं कि संशय ग्रगर ज्यादा हुग्रा तो जैसा कि कहा गया है कि "संशयात्मा विनश्यति" तो उनका विनाश ग्रवश्यम्भावी है। हमारे विचारों का जहां तक ताल्लुक है पिछले दिनों में जब भी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कोई विधेयक सदन में लाया गया तो हमारे वक्ताग्रों ने एक स्वर से सरकार के इंटर फियरेन्स को बुरा कहा ग्रौर एक स्वर से यूनिवर्सिटी ग्राटोनामी की रक्षा करने की बातें कहीं। बार-बार उनका यह ग्राग्रह रहा है कि गवर्नमेंट शिक्षा के मामले में कुछ कृपा करे ग्रौर ग्रपना हाथ विश्वविद्यालयों के ऊपर न बढ़ाये।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधेयक के ऊपर जब यहां बहस हो रही थी तो मुझे स्मरण है कि जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उन्होंने उसे शैशवकालीन व्यवस्था माना था। उन्होंने कहा था कि ग्रभी तो एक यूनिवर्सिटी को बनाना है इसलिये प्रयोगात्मक ग्रवस्था में यह व्यवस्था कर रहे हैं ग्रौर ग्रागे चल कर संभव है कि हम इस व्यवस्था को बदल सकें। तो उदाहरण लेना चाहिये उनका जो काफी प्रयोग कर चुके हों ग्रौर फिर कोई नतीजा निकाला हो।

कहा गया कि यह पद्धति संसार के किसी देश में नहीं है। मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी मैलबोर्न यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिसर्वासिटी, यह दोनों यूनिवर्सिटी कम्युनिस्ट चीन की हैं, लंदन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्राफ वेल्स तथा नाटिंघम यूनिवर्सिटियों को देखें कि इनके यहां किस तरह से चांसलर ग्रौर वाइस–चांसलर का चुनाव होता है, इसको देखने की कृपा करेंगे। हम ऐसे देश के रहने वाले हैं जिस देश के लोग, गांवों के उन लोगों में जो ग्रशिक्षित हैं, उनमें चुनाव की पद्धति को पवित्र मानते हैं। राष्ट्रपति भी चुनाव की पद्धिति से ग्रपने पद को सुशोभित करते हैं ग्रौर सभी लोग चुनाव से चुने जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि उपकुलपति ग्रौर कुलपति के लिये चुनाव की पद्धति को स्वीकार न करना कहां तक हितकर होगा ?

मान्यवर, ग्रन्त में मैं ग्रापके द्वारा मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उसको व्यक्त करना चाहता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने जिस हथियार से ग्रंग्रेजों को हमारे देश से भगा दिया गलतफहमी से ग्रौर नासमझी से उसी हथियार से राजनीति में हारने के बाद पुनः सत्तारूढ़ होने के लिये ग्रख्तियार कर रहे हैं ग्रौर उनका यह प्रयास देश को बनाने वाला नहीं बल्कि देश को बिगाड़ने वाला है।

मान्यवर, मैं शिक्षा के सम्बन्ध में क्या कहूं वह तो हमारा जो प्राचीन ग्रादर्श है उसकी ग्रोर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देश के मनीषियों ग्रौर चिन्तकों ने कहा है "ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रम्, समस्ततत्वार्थविलोक दक्षा" ग्रौर शंकराचार्य जी ने कहा है––

"सा विद्या या विमुक्तये" यानी विद्या मुक्ति का साधन है।

"नास्ति विद्या समंचक्षुर्नास्ति सत्यं समतपः"

इस तरह से हमारा विचार रहा है। जिस शिक्षा को हम जीवन बनाने वाला मानते हैं ग्रौर जिस शिक्षा को हम मानते हैं कि समाज के लिये नागरिकों का निर्माण करेगी उस पर ऐसी संस्था का ग्राधिपत्य हो जो स्टेट्स को मेनटेन करने के लिये बनाई गई हैं, मैं समझता हूं कि यह भयावह है। इसलिये मैं गौरीशंकर राय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह विश्वास इस आदरणीय सदन को दिलाया है कि इस बिल का जो सब से ज्यादा घिनौना रूप था वाइस-चांसलर के रिमूवल का, उसको वह इस बिल में से हटा लेंगे। इसके अतिरिक्त जो डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ऐन्ड मेडिकल सर्विस तथा डायरेक्टर आफ एजूकेशन को इस बिल के द्वारा यूनिवर्सिटीज की एक्जीक्यूटिव कौंसिल में रखा जा रहा था उनको रखना जरूरी नहीं समझेंगे। वह इस क्लाज को इस बिल में से हटा लेंगे।

मान्यवर, एक बात का मुझे बड़ा अफसोस रहा है और उधर के लोगों की मैं प्रतीक्षा करता रहा कि वह उत्तर देंगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इमर्जेंसी का जो एप्वाइंटमेंट का क्लाज है उसके सम्बन्ध में हमारे भाई नवलकिशोर जी को राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट तथा मूथम कमेटी की रिपोर्ट में शायद कुछ नहीं मिला। वैसे यह ईश्वर विराट स्वरूप की तरह से हैं। इसमें जिस रूप की कल्पना करें वह मिल सकता है। लेकिन इसकी कल्पना शायद उनको नहीं मिली अन्यथा वह अवश्य पेश करते।

मान्यवर, एक बात मुझे कहनी है कि हमारे देश और प्रदेश में जहां कहीं भी किसी एप्वाइंटमेंट का सवाल आता है तो इम्पलायमेंट ऐक्सचेंज से नाम मांगे जाते हैं। लेकिन अगर वाइस–चांसलर का अप्वाइंटमेंट छै महीने के लिये करना हो तो जैसे एक डोमेस्टिक सरवेंट का एप्वाइंटमेंट होता है उसी तरह होगा। यह एक ही एप्वाइंटमेंट है। मैं कल से ढूंढ़ता रहा, लेकिन मुझे मूथम कमेटी या राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला। अगर हमारे भाई को मिला हो तो अवश्य कहे होते। घर के नौकर का जब एप्वाइंटमेंट हो जाता है तो असेम्बली में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

श्रीमन्, आज तक तो सबका उद्धरण दिया गया, राधाकृष्णन् का और मूथम का, लेकिन आज मैं माननीय चन्द्रभानु गुप्त के शब्दों को कोट करना चाहता हूं। मान्यवर, मुझे अफसोस है कि जो आज के मुख्य मंत्री हैं और जो सन् १९५४ में हमारे मंत्रिमंडल के एक बड़े मजबूत मंत्री थे और जिनका कि प्रभुत्व उस समय एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर भी पूर्ण रूप से था, उनकी उस समय की राय आज बदल गई। उनकी उस समय की राय को मैं पढ़ देना चाहता हूं। १९५४ में २० दिसम्बर को, श्रीमन्, आप भी उस सेलेक्ट कमेटी में थे, आपकी भी राय मौजूद है और उसकी रिकमेंडेशन भी मौजूद है, वह भी मैं बाद में बतलाऊंगा। तो आज के जो मुख्य मंत्री हैं जो उस समय किस चीज के मंत्री थे, मुझे मालूम नहीं, उन्होंने कहा था—

"इस सदन में बहुत सी आलोचनायें आटोनामी के विषय में की गयीं और बहुत सी अलोचनाएं विभिन्न अधिकारों के विषय में की गयीं कि जिसको सरकार लेना चाहती है और जिनके लिये कहा जाता है कि विश्वविद्यालय को वंचित किया जाने वाला है। मैं पहले वाइस-चांसलर की नियुक्ति के विषय में कहना चाहता हूं जिसके लिये इस सदन में बहुत से सुझाव दिये गए हैं। मौजूदा जो धारा इस सदन में बिचारार्थ वाइस–चांसलर की नियुक्ति के विषय में रखी गयी है और उसके विषय में जो विभिन्न मत यहां पर प्रकट किये गए हैं उनके विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो धारा हमने वाइस–चांसलर के संबंध में रखी है वह तो एक ही भावना से प्रेरित होकर रखी है और वह यह है कि विश्वविद्यालय स्वयं ही अपने व्यक्तियों की नियुक्ति करने की सिफारिश करे और चांसलर का उसमें कोई दखल न हो।"

यह यही श्री चन्द्रभानु जी गुप्त उस समय बोलते रहे थे और फिर क्या कहते हैं—

"हम चाहते भी नहीं है कि चांसलर का दखल वाइस–चांसलर की नियुक्ति में हो। उस परम्परा को, जिसको विश्वविद्यालय ने अब तक बनाये रखा है उसी को इसमें रखने का प्रयत्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[गौरी शंकरराय]

किया गया है कि एक मत से एक नाम वह चांसलर के पास भेज दे। कार्यकारिणी को अधिकार था कि वह जिस नाम को भेजें उस व्यक्ति को ही चांसलर महोदय स्वीकार कर दें यानी उसी व्यक्ति को वाइस-चांसलर नियुक्त कर दें। मान्यवर, बड़े जोर के साथ उन्होंने कहा है "इन ३४ वर्षों में जो एक्जीक्यटिव कौंसिल ने निर्णय किया उसी निर्णय को चांसलर ने स्वीकार किया और वही व्यक्ति वाइस–चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया। आज हम उसी चीज को कानून के रूप में रख रहे हैं। वही स्थिति ऐसी है जिसको राधाकृष्णन् कमीशन ने सिफारिश की है कि एक मत से एक्जीक्यूटिव कौंसिल की राय जानी चाहिये और उसके लिये ही चांसलर महोदय को अपनी स्वीकृति दे देनी चाहिए।"

श्रीम ा,इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि राधाकृष्णन् साहब की भी यही राय है, और मूथम कमेटी की भी यही राय है और बदकिस्मती से राधाकृष्णन् की राय और मथूम कमेटी की राय और आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की राय भी उन्होंने बतलायी है। यह सबकी राय भगवान के विराट रूप की तरह से है लेकिन वह न माननीय नवलकिशोर जी को दिखाई दी, न शिक्षा मंत्री जी को दिखाई दी। यह गुप्त जी का मत है लेकिन इसको उन्होंने बड़े यत्न से गुप्त रखा है इस विधेयक को लाने के संबध में। इसके भी आगे है श्रीमन्, और बहुत ही स्पष्ट कहा है —

"तो हमने इस धारा में यह बात लिख दी है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल पहले ही इस बात की चेष्टा करे कि वह एक नाम चांसलर महोदय के पास भेजे। तो कहां हमने चांसलर महोदय को नियुक्ति के विषय में अधिकार दिया है और कहां उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है? वह एक्जीज्यूटिव एक ही दफा अपनी सिफारिश इस तरह से करे यह भी हमने उसको अधिकार नहीं दिया है। यदि पहली दफा एक मत से निर्णय नहीं हो सका तो हमने फिर यह मौका दिया है कि वह १० दिन के बाद फिर बैठे और फिर एक मत से नाम भेजने की कोशिश करे। यदि वह दूसरी दफा भी मिलकर एक मत से निर्णय नहीं कर सके तो हमने यह सिफारिश की है कि तब वह तीन नाम चांसलर महोदय के पास भेजे तो चांसलर महोदय उन तीन नामों को फिर से एक्जीक्यूटिव के पास वापस कर दें ताकि वह उस पर फिर से विचार करे और तब भी अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक मत से एक नाम भेज दें तो चांसलर महोदय उस पर स्वीकृति प्रदान करेंगे और चांसलर महोदय उसको ही वाइस-चांसलर नियुक्त कर देंगे।"

दिल्ली की पद्धति की यहां बड़ी चर्चा हुई। उसके बारे में भी श्रीगुप्त जी कहते हैं :—

"मैं उन आलोचकों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पद्धति क्या अधिक आटोनामी प्रदान करती है? यदि बाहर के तीन व्यक्ति एक्जीक्यूटिव के सामने किसी नाम की सिफारिश करें और एक्जीक्यूटिव उसको चांसलर के पास भेज दे तो क्या उससे विश्वविद्यालय की जो आटोनामी है वह अधिक सुरक्षित होती है? तीन व्यक्ति जिनका विश्वविद्यालय से संबंध नहीं है वह उस व्यक्ति की सिफारिश करें और एक्जीक्यूटिव के द्वारा उस नाम को भेजा जाय तो क्या इसमें विश्वविद्यालय को ज्यादा आटोनामी मिलती है और इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है? मैं कहता हूं कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के ऊपर, कार्यकारिणी के ऊपर और उनकी इज्जत पर इससे बड़ा धक्का नहीं हो सकता कि उन्हें अपने वाइस-चांसलर के नाम से सुझाव पर बिचार करने का मौका ही न दिया जाय। जो धारा और सिफारिश वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बारे में रखी गयी है वह विश्वविद्यालय की आटोनामी की रक्षा करती है और उसकी कार्यकारिणी को अपने विषय में अपना निर्णय करने का अधिकार देती है। तो मदन मोहन जी का सुझाव कि दिल्ली की प्रणाली को हमें अपने बीच में जगह देनी चाहिए, उचित नहीं है।"

मदनमोहन जी ने इधर से दिल्ली की प्रणाली का सुझाव दिया था तो उसी पर उन्होंने कहा था कि इसमें तो प्रजातंत्र ही टूट जायगा। आगे चलकर फिर कहते हैं—

"वाइस-चांसलर की नियुक्ति का जहां तक प्रश्न है वह अलावा राधाकृष्णन् कमीशन के, आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने भी सन् ३८ और ४० में वही दिया था जो आज हम यहां रखना चाहते हैं। यह संशोधन अधिक उत्तम और विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा करने वाला है। उसके स्तर को ऊंचा करने वाला है बनिस्बत उस सुझाव के कि ३ बाहर के आदमी सुझाव दें।" तीन यूनिवर्सिटीज के बाहर के रखें। इतना कहकर विरोध किया था। यह उनका संशोधित भाषण है। जो संशोधित भाषण नहीं होते हैं उनमें चिन्ह लगा दिया जाता है। यह उनका समझकर दिया हुआ भाषण है। मैं समझता हूं, मूथम साहब से शायद मुलाकात न हो, राधाकृष्णन् साहब से मुलाकात न हो, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने सारी शक्ति के साथ इस विधि का विरोध किया था।

मान्यवर, एक बात इसी सिलसिले में और कहना चाहता हूं। भाई राजनारायण जी ने मेरी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह भी यही चाहते हैं कि जो वाइस–चांसलर नैतिक दृष्टि से गिर गया हो–शराब का भी कुछ उन्होंने जिक्र किया–उसको हटाया जाय। ऐसी उनकी राय रही और मेरी भी ऐसी राय है किन्तु मेरी राय में और उनकी राय में थोड़ा सा मतभेद है। इस प्रकार से जिनका चरित्र कलंकित हो उनको वहां पर न रखा जाय लेकिन कानून के अन्दर उसकी मर्यादा है। हमारे शरीर पर अगर मक्खी बैठ जाय तो मक्खी को मारने के लिये आदमी को न मारा जाय। सारे कानून में जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसके आधारभूत सिद्धान्तों में ही परिवर्तन करने का प्रयास न करें। उसके लिये उनकी खुली जांच की जाय। किसी प्रकार से उस पर जनमत लिया जाय। कोई तरीका अख्तियार किया जाय जिससे उस पर जनमत लिया जा सके। तब उस पर निर्णय हो जिसमें वहां की स्वतंत्रता स्थिर रहे। इतना हमारा उनकी राय से मतभेद है।

दो दिन से जितनी बहस यहां पर हुई है उसमें कोई नया तर्क हमारे सामने नहीं आया। चुनाव के सिलसिले में लोगों ने काफी कहा। आज चुनाव के विरोध में वही तर्क दिये गये हैं जो कभी डिक्टेटरशिप के जमाने में दिये जाते थे। समय नहीं है नहीं तो मैं बताता कि वे लोग क्या कहते थे। हमारे भाई चन्द्रजीत यादव जी ने भी कुछ तर्क दिये और कुछ तर्क दूसरे लोगों ने भी दिये किन्तु उन सबके अलग अलग पैटर्न हैं और उन्होंने अपने आधार पर ही चुनाव का विरोध किया है। उन्होंने वही कहा है जो संसार के डिक्टेटर कहते थे और एलेक्शन का विरोध करते थे। उसमें दोष हैं लेकिन उन दोषों के जानते हुए भी, उपेक्षा करके संसार के बिचारकों ने उस सर्वग्राह्य प्रणाली को स्वीकार किया है। उसके बाद प्रजातन्त्र की जो कमजोरी है उसके होते हुए भी उस प्रणाली को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। जनरल मुसोलिनी ने इस संबंध में क्या कहा है वह भी बतलाना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि हम क्वालिटी चाहते हैं क्वान्टिटी नहीं चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमको भेड़ियों की जरूरत है। गीदड़ की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह कहा था कि डिक्टेटरशिप एक जगह जायज है। किस व्यवस्था में? जब कि टोटलिटेरियन सरकार हो। मैं कहना चाहता हूं कि जो उनका भाव है उसमें दुनियां में सब से पहले इस संसार के इतिहास में ट्राटस्की और बेरिया ने अपने विचार प्रदान किये हैं। मैं दो लाइन पढ़ना चाहता हूं कि हिटलर का क्या दृष्टिकोण था, इसमें इनके स्टैलिन का क्या दृष्टिकोण था। उन्होंने एक पत्रकार मित्र से बात करते हुए कहा है कि—

"Come, says Stalin, clapping him on the shoulder' We must get together, you and I, we are the Himalayas. The rest are nothing. When Bukharin, still unconvinced, refers to this Himalaya phrase a few days later in the presence of some of 'the rest' Stalin angrily raises his right fist, cuts him short with a brutal 'Liar', you invented that just to try and stir up trouble."

[श्री गौरीशंकर राय]

सारी दुनिया में वे अपने को महान मानते थे। जो भी तर्क अपने समर्थन में बताये जाते हैं वे सब उन्होंने दिये हैं किन्तु संसार में प्रजातन्त्र के अनुयायियों ने भी प्रजातन्त्र के समर्थन में समय-समय पर तर्क दिये हैं और समय-समय पर दिये जाते रहेंगे। मैं मानता हूं कि ट्रान्जीशन पीरियड में एलेक्शन में कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन उनको बर्दाश्त करते हुए उसी रास्ते पर चलने में ही प्रजातंत्र की मान्यता है और यही सर्वोत्तम प्रणाली है। इसलिये मैं चाहूंगा कि उपकुलपति के लिये चुनाव की इस गलत प्रणाली को समाप्त किया जाय और जो मैलोडीज हैं जिनको माननीय मंत्री जी ने माना है और जिनके लिये हमने इस रूल विधेयक में चार पांच बार संशोधन किये हैं, उन सबको पुनर्विचार करके उनमें सुधार करने के हेतु इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी, जिनकी दुहाई हमारी मौजूदा सरकार हर बात में देती है, उनका यह कहना था कि गलत चीज के खिलाफ गलत तरीकों का इस्तेमाल करना हमारी परंपरा और सभ्यता के विरुद्ध है। मैं श्रीमन्, एण्ड और मीन्स के झगड़े में तो पड़ना नहीं चाहता क्योंकि यहां आब्जेक्टिव्ज पर मतभेद है और मीन्स तो गलत हैं ही। लेकिन अगर सरकार-वाइस चांसलरों के खिलाफ कुछ करना चाहती थी तो जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह गये हैं, उसे मक्खी को मारने के लिये जिस पर मक्खी बैठी हो उसी को नहीं खत्म कर देना चाहिये था। अगर उनको कुछ करना ही था तो उसके लिये चांसलर के जरिये से इशारा करवा सकते थे मेरे खयाल से उनको संदेह था कि शायद चांसलर के कहने को वाइस-चांसलर मानेगा नहीं उनका संदेह इस कारण हो सकता है। जो लोग आज मंत्रिपद पर सुशोभित हैं उनके वाइस चांसलरी काल में गोलियां चल चुकी हैं, और उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के डिसीजन को ठुकराया है और इसलिये इस बात में सरकार को संदेह हो सकता है कि चांसलर की बात वाइस-चांसलर नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा कहना तो यह है कि उसे कर के तो देखा होता। राजनीतिज्ञ और शिक्षा विशेषज्ञ में बड़ा अन्तर होता है।

श्रीमन्, मेरा जो संशोधन था कि इस विधेयक को जनमत संग्रह हेतु घुमाया जाय उसके कारण यह थे। पहली बात तो यह कि जो पार्टीज कंसर्न्ड हैं उनसे सरकार को पूछना चाहिये था। आपने उनसे कभी नहीं पूछा। वाइस-चांसलर को आप हटाते हैं, एक्जीक्यूटिव काउन्सिल को आप रद्द नहीं करते मगर दो सरकारी मेम्बर बढ़ाते हैं। उससे सरकार ने पूछने की कभी जहमत गवारा नहीं की।

दूसरे जो एजूकेशन स्टैंडिंग कमेटी है उसके सामने भी यह मसला कभी नहीं रखा गया "अहम ब्रह्मास्मि" हम जो समझते हैं वह ठीक है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, यह भावना सरकार को उन्नति के रास्ते पर चलने नहीं देगी। मुझे आप के द्वारा सरकार से यही कहना है।

तीसरी बात, हममें से कई ने, केवल मैंने ही नहीं, कही थी और यह सजेशन दिया था कि यूनिवर्सिटी के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को वाइस-चांसलर बनाया जाय। श्रीमन्, गौर फरमायेंगे कि उत्तर में किसी ने इस बात को छुआ भी नहीं है। न मंत्री ने न उप-मंत्री ने, न माननीय सदस्य बरेली अथवा मेरठ ने, किसी ने भी इस बात को नहीं छुआ। तो इसका मतलब यह है कि वह इस बात पर खामोश हैं और समझते हैं कि यह ठीक है। अगर यह ठीक है तो आपका यह फर्ज है कि एक्जीक्यूटिव कौन्सिलों या और दूसरी जगहों पर इस बात को आप राय लेने के लिये भेजें और लोगों की इस पर राय लें। श्रीमन्, मैं यह भी कह चुका हूं कि यह कोई नयी बात नहीं होगी। सन् १९५२ में इसी सरकार के मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय विधेयक पर जो यहां आया था, उसे जनमत संग्रह हेतु भेजा था।

श्रीमन्, अब मैं दो, तीन वक्ताओं के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। माननीय श्रम मंत्राणी जी ने अपने भाषण में कहा था यूनिवर्सिटी में पार्टी पालिटिक्स लाना नहीं चाहिये अन्यथा उनका बड़ा सीरियस रिपरकशन होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पार्टी पालिटिक्स किसने वहां तक पहुंचाई है ? किसने माल ढोने वाले ठेलों में प्रोफेसरों को भर भर कर कांग्रेस के पक्ष में एलेक्शन के वक्त नारे लगवाये थे ? मौदहा के एलेक्शन में बिना छुट्टी लिये प्रोफेसरों को प्रचार हेतु किसने भिजवाया था ? श्रीमन्, इस सरकार ने उनकी एक अजीब दुर्दशा कर रखी है। एक ओर तो माननीया श्रम मंत्री यह कहती हैं कि वहां पर पार्टी पालिटिक्स आनी नहीं चाहिये और दूसरी ओर उन्हीं के दल के और मंत्रिमंडल के लोग प्रोफेसरों की यह दुर्दशा करें ?

श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह फरमाया है कि विलायत में यूनिवर्सिटी कारपोरेशन के रूप में बनायी जाती है। उन्होंने आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की है, उनको यह मालूम होना चाहिये कि कारपोरेशन के रूप में वहां की यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाती है बल्कि वहां यूनिवर्सिटी एप्लाई करती है चार्टर (They seek charters) के लिये। आगे शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा था कि इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता क्या है? मैं समझता हूं कि आवश्यकता है । जो आपने रिस्ट्रक्शन्स लगा रखे हैं उनको देखते हुए यह आवश्यकता है कि इसको प्रवर समिति के सामने भेजा जाय । रिमूवल आफ वाइस-चान्सलर की जो बात इसमें है, उसके लिये भी इसको प्रवर समिति में भेजने की जरूरत है । मैं भी विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कमेटी का बाहरी मेम्बर हूं और मैं चाहता हूं कि बाहरी मेम्बरों पर रिस्ट्रशन हो लेकिन क्या कारण है कि सरकार उन मेम्बरों पर रिस्ट्रक्शन हटाना नहीं चाहती है? कारण यह है कि जो भी २०–२५ साल से उनके पिट्ठू वहां पर काम कर रहे हैं अगर उन पर रिस्ट्रक्शन लगायेगी तो वे नहीं रह पायेंगे और एलेक्शन में भाग नहीं ले पायेंगे । अपनी मुश्किलों को हल करने के लिये सरकार ने यह कर दिया है । मुझे यह देखकर अफसोस होता है और इस सरकार पर संदेह होता है।

श्रीमन्, अक्तूबर से इस सरकार के आने के बाद ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जिन्हें देखकर बड़ा दुख होता है। इस सरकार ने जो १५–१५, २०–२०, वर्ष तक मेम्बर रहे हैं, उन्हीं को फिर से मनोनीत कर दिया है। यह सब क्या इन्डीकेट करता है? इसका इशारा केवल एक तरफ होता है। येनकेन प्रकारेण यह अपनी गुटबन्दी को कायम रखना चाहते हैं ।

माननीय सदस्य आंवला, जिला बरेली, ने तथा सरधना जिला मेरठ ने, अपने भाषणों में मेरे ऊपर संकेत किया। मैं आपके सामने नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने पिट्ठुओं को भेजने के लिये यह सरकार क्या-क्या तरीके अपनाती है। २८ तारीख जनवरी, १९६१ को कोषाध्यक्ष का एलेक्शन हुआ था। उसमें इनके आदमी को काफी प्रीफरेन्स नहीं मिले। इनके आदमी का नाम नहीं लूंगा मगर उनके मुकाबले में मुझे भी अधिक वोट मिले थे। सब से ज्यादा प्रीफरेन्स या मत ऐसे व्यक्ति को मिले थे जिसने कभी इस यूनिवर्सिटी में तालीम नहीं पाई अतः यहां की पालिटिक्स या गुटबन्दी से परे था जो केवल इस देश ही में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी मशहूर है और जो कि इन्टरनेशनलिस्ट है, जिनके विषय में बाहर के बड़े बड़े स्टेट्समैन और ऐकेडेमीशियन ने बड़ी अच्छी राय कायम की है, उनका नाम, इतने बहुमत के होते भी कनफर्म नहीं किया जाता है और दो-दो एक्जीक्यूटिव मीटिंगों के ४–४ घंटे पहले चांसलर द्वारा मनोनीति किये हुए सज्जनों के नाम यूनिवर्सिटी को भेजे गये हैं मगर २८ जनवरी से अब तक कोषाध्यक्ष को नहीं बनाया गया जिसके पक्ष में बहुमत है। इसका एक ही कारण है कि सरकार हर एक चीज में हस्तक्षेप करना चाहती है । मजबूरी यह है कि जब हम कोई सलाह देते हैं कि रोटेशन से कोई प्रोफेसर हो तो उसका जवाब तक नहीं दिया जाता ।

[श्री सुरथबहादुर शाह]

अब मैं केवल यह कहूंगा कि मैंने जो शब्द कहा था जिसके लिये माननीय सदस्य आंवला, बरेली, ने एक्सेप्शन लिया कि ठीक नहीं था "मुसाहबीन" का शब्द वह अब्बल तो अश्लील है नहीं, दूसरे किसी की मर्यादा के खिलाफ नहीं होता है वह तो मेरे खयाल से इनके लिये बड़ा ही मौजूं था, लेकिन उसको उन्होंने दूसरे ही रूप में ढालने की कोशिश की। खैर, मैं उसको वापस लेने के लिये तैयार हूं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि शायद वह मुझ पर ताल्लुकेदार होने के भ्रम में पड़ कर लांछन लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं कब ताल्लुकेदार था ३–४ पुश्त पहले मेरे पुरखे भी नहीं थे अगर आधुनिक कांग्रेसी ताल्लुकेदार बनाया जा रहा हूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप जनतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात करते हैं। उसके लिये मैं सिर्फ एक शब्द राधाकृष्णन् कमीशन का पुनः पढ़ देना चाहता हूं।

"We cannot preserve real freedom unless we preserve the values of democracy, justice, liberty, equality and fraternity in the Universities."

श्रीमन्, जिस जनतांत्रिक प्रणाली को हम पुरःस्थापित करना चाहते हैं उसमें हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते अगर हम प्रजातंत्र और बंधुत्व के मूल पर ही कुठाराघात करते हैं जिस प्रकार सरकार अब यूनिवर्सिटियों पर करना चाहती है। अगर यही तरीका कायम रहा तो इन विश्वविद्यालयों से जो शिक्षित समाज निकलेगा उसका क्या हश्र होगा इसको परमात्मा ही जान सकते हैं।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस सदन में इस ४ दिन के विवाद में भाग लिया, चाहे आलोचना की दृष्टि से उन्होंने अपने विषय को रखा या समर्थन में।

मैंने माननीय पद्माकरलाल जी और श्री सुरथबहादुर शाह के भाषणों को सुना, मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि उनके हृदय में एक विशेष पीड़ा है, वेदना है। मुझे उनसे बड़ी सहानुभूति है।

श्रीमन्, जहां तक उद्देश्य और कारण इस विधेयक के हैं, मेरा ऐसा खयाल है, मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना है, एक, दो सज्जन को छोड़कर, सब ने इस बात को स्वीकार किया है कि आजकल विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था है। मैंने इस वजह से इससे शुरू किया कि विधेयक लाने का कारण क्या था। कारण अव्यवस्था थी और जैसा घटनाचक्र चल रहा था पिछले कई वर्षों के आधार पर, तो क्या इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को चिन्ता नहीं थी? चिन्ता थी और आज भी है। इसलिए जो हमारा उद्देश्य था, जिन कारणों से हम यह विधेयक लाये हैं वह सही है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं और उसी का इजहार हुआ है। यही नहीं सरकार की ओर से विधेयक लाया जाता है इसी वजह से साधारण आलोचना हो सकती है लेकिन इस बिल के लाने की आवश्यकता थी। विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था थी या नहीं, मैं यह निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के नेता किसी विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य थे उन्होंने भी उससे इस्तीफा दिया। सब कारणों को तो मैं नहीं जानता, वह कुछ भी हों लेकिन वह असंतुष्ट थे जिस प्रकार से कि यूनिवर्सिटी का कार्य चल रहा था और उन्होंने त्याग-पत्र दिया। जहां तक विधेयक लाने के जो कारण हैं वह सभी मानते हैं कि आज की स्थिति में आवश्यक था शासन के लिये कि विश्वविद्यालय अधिनियमों में कुछ तब्दीली करे।

श्रीमन्, अभी माननीय गौरीशंकर जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी की सन् ५४ के वक्तव्य की बात कही। एक बड़ा साधारण सा जवाब है, शुरू में मैंने निवेदन कर दिया था कि सन् १९५४ में एक प्रयोग के लिये विधेयक आया और वह अधिनियम बना और उसके अनुसार नियुक्तियां हुईं और इन ६–७ वर्षों में हमने देखा कि उससे विश्वविद्यालयों की व्यवस्था में सुधार

हुआ या नहीं। उस समय वह राय थी लेकिन आज तब्दीली की जरूरत मालूम पड़ी। पिछला इतिहास भी बतलाता है। मान्यवर, जब गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया था उसी समय अन्दाज हो गया था कि ५४ वाला जो प्रयोग है, वह सफल नहीं हुआ और उसमें तब्दीली की आवश्यकता है। श्रीमन्, प्राचीन संस्कृति का आज के युग से मुकाबला नहीं कर सकते। आज के युग में अगर हम प्राचीन काल की बातें सोचें तो मैं नहीं समझता कि यह कहां तक सही होगा। आज हम दूसरे देशों की परम्पराओं से प्रभावित हो रहे हैं। हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जो अच्छी से अच्छी हो।

श्रीमन्, तीन प्रकार के आक्षेप हुये। एक तो वाइस-चांसलर के चयन के सम्बन्ध में और दूसरे यह कि वाइस-चांसलर का टर्म खत्म कर दिया गया। कुछ और आपत्तियां थीं जिनका जिक्र आगे करूंगा। चयन आज तक कौन करता था और अब कौन करेगा? श्रीमन्, आज भी चांसलर करेंगे और इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चांसलर पहले करते, वही फिर करेंगे। फर्क यही रहेगा कि चांसलर के पास किस तरह से नाम भेजे जायं। जिस कमेटी में एक हाई कोर्ट जज का प्रतिनिधि हो, एक एग्जीक्यूटिव कांउसिल का प्रतिनिधि हो और एक चांसलर का प्रतिनिधि हो, उसके द्वारा नाम भेजे जायं या एग्जिक्यूटिव कमेटी के द्वारा भेजे जायं। श्रीमन्, उस दिन भी मैंने निवेदन किया था कि वैसे तो साधारण सा नियम है कि तीन आदमी अगर होंगे तो वोटिंग नहीं होगी। लेकिन मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, उन माननीय सदस्यों को, जिनको इस विधेयक के लाने से सबसे ज्यादा पीड़ा है कि क्या कुछ ही महीने पहले एक विश्वविद्यालय में चौथा नाम इसलिये नहीं रखवाया गया कि एलेक्शन हो जाय। माननीय सदस्य शायद बोलते समय इस बात को भूल गये। श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया कि जहां तक चयन करने का अधिकार है वह तो चांसलर को रहेगा। गवर्नमेंट का असर है या नहीं इसमें मैं नहीं जाता कि इस अधिकार में कोई तब्दीली नहीं हुई है।

श्रीमन्, काफी जिक्र हुआ कि विश्वविद्यालय की आटोनामी पर हस्तक्षेप सरकार कर रही है। मुझे, श्रीमन्, बड़ा दुख है कि राज्य व्यवस्था को विश्वविद्यालय से अलग नहीं किया जा सकता। आज अगर शिक्षा की उचित व्यवस्था विश्वविद्यालयों में नहीं है, आज वहां पर डिसिप्लिन नहीं है, आज वहां के अध्यापकों को वह स्थान जो उनको मिलना चाहिये नहीं मिलता है तो क्या उस प्रदेश की सरकार को बुरा नहीं कहा जायगा कि उस प्रदेश का शासन इतना खराब है जिसके विश्वविद्यालय इतने खराब हैं। इसी सदन में प्रश्न उठाया जाता है कि सरकार जहां तक विश्वविद्यालय की शिक्षा का सम्बन्ध है, नाकामयाब हुई है। ठीक है नागरिक जीवन से तो शिक्षा संस्थाओं को अलग नहीं किया जा सकता। साथ-साथ जो २३–२३ और २४–२४ लाख सरकारी कोष से उनको धन मिलता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां की व्यवस्था ठीक हो। फिर कैसे इस तरह से छोड़ा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अपने तरीके से जैसा चाहे काम करें। छोड़ सकते हैं अगर इस तरह के आदर्श विश्वविद्यालय हों जो प्राचीन संस्कृति के अनुसार कार्य चलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है लेकिन क्या सिर्फ अगर एक चयन की पद्धति, वाइस चांसलर के चुनाव की पद्धति को बदल देते हैं तो उससे यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर असर पड़ता है? असर तो पड़ता है लेकिन क्या यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर कोई आघात होता है। वाइस-चांसलर एक उच्च अधिकारी होता है, उसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके कार्यों को करने के लिये हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का तरीका अपनाया है। थोड़ा सा फर्क है। हमने उसमें सुधार किया है और जब कि करीब-करीब सभी ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल में गुटबाजी है तो ऐसी हालत में उनका नामिनी होता है वह भी उसी गुटबाजी से होकर आयेगा। इसीलिये हमने नया तरीका रखा है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल का एक आदमी। कहा यह जाता है कि उसके दो आदमी, जो एग्जीक्यूटिव कौंसिल गुटबाजी से भरी हुई है वहां से दो, दो आदमी रखे जायं यह क्या उचित है। इसीलिये एक हाई कोर्ट का आदमी रखा गया जो हर तरह से उससे बेहतर आयेगा उस आदमी से जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल से आता है।

[श्री राम स्वरूप यादव]

श्रीमन्, दुबे जी ने सुझाव दिया कि हाई कोर्ट के जज को वाइस-चांसलर बना दिया जाय। यह एक नया सुझाव है। हाई कोर्ट के जज को गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐप्वाइंट करती है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि देश भर में एक पैनल रहे और उसमें सीनियारिटी से प्रोफेसर्स बनाये जायं। यह विदेशों में बनाये जाते हैं। जरूर बनाये जाते हैं, लेकिन क्या आज इस प्रदेश में वह सम्भव हो सकता है? जहां पर सीनियारिटी से लिया जायगा तो सेवा काल से लिया जायगा न कि उसकी योग्यता की बेसिस पर लिया जायगा। शिक्षा विशारद ही वाइस-चांसलर हो सकते हैं, अब अगर हर हेड आफ दि डिपार्टमेंट वाली बात जो कही गयी है कि सीनियारिटी से जितने ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति हो सकते हैं बनाये जायं, लेकिन क्या उससे विश्वविद्यालय का काम चल सकता है? अगर इस तरह से हो और हर हेड आफ दि डिपार्टमेंट को हम वाइस-चांसलर बनानें लगे तो काम सिवाय खराब होने के और होगा क्या? इसके अलावा हमारे प्रदेशीय स्तर पर यूनिवर्सिटियां हैं। क्या आल इंडिया के स्तर की बातें हम कर सकते हैं, जब तक केन्द्रीय सरकार इस विषय पर बातें न करे?

श्रीमन्, कमीशन में तीन आदमियों के नाम बढ़ाये गये उनके बारे में आपत्ति की गयी। वे शिक्षा विशारद थे और शिक्षा के कार्य में उनका विशेष अनुभव था। उनके अनुभव से लाभ उठाने के लिये यह किया गया था।

अब जो तरमीम वाली बात कही गयी है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। १९५८ में अवश्य इसमें एक संशोधन हुआ था। इस संशोधन में यह है कि १०–१० और १५–१५ साल तक के आदमी जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर रह चुके थे उनसे हम चुनाव में आने का अधिकार नहीं छीनना चाहते थे। ऐसे आदमी अब भी उनमें मौजूद हैं जिनको कि यूनिवर्सिटी से स्नेह है, जिनकी सेवायें हैं, उनको यूनिवर्सिटी में रहना चाहिये था। सन् १९५८ में एक प्रयोग किया गया था। उसमें तब्दीली की गई थी।

(इस समय २ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, वैसे माननीय मंत्री जी ने इसको साफ कर दिया था, लेकिन मेरा खयाल है कि उनकी बात समझ में नहीं आई। चांसलर को जो एफीलिएशन के अधिकार दिये जा रहे हैं वे लखनऊ और इलाहाबाद में अब भी मौजूद हैं, लेकिन यह जो अधिकार लिया जा रहा है वह लखनऊ की होमियोपैथिक कालेज को आगरा से एफीलिएट कराने के लिये लिया जा रहा है। होमियोपैथिक कालेज के विद्यार्थियों की और इस सदन में भी यह मांग थी कि उसको डिप्लोमा के बजाय डिग्री कर दिया जाय।

जहां तक इमर्जेन्सी पावर्स का सम्बन्ध है बिहार और बाम्बे में चांसलर को यह अधिकार है कि वह पूरे टर्म के लिये वाइस-चांसलर का चयन करे, लेकिन हमने थोड़े समय के लिये ही इसको रखा है। १–२ महीने रहेगा या एक-दो दिन भी रह सकता है। इसके साथ ही साथ उसको फौरन ही स्थायी चांसलर नियुक्त करने का भी इन्तजाम करना होगा। कम से कम बाम्बे तो प्रगतिशील स्टेट है ही। हां, बिहार के लिये कहा जा सकता है कि वह हमारे मुक़ाबले में आगे बढ़ा हुआ नहीं है।

इन शब्दों के साथ जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है, उसका विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी परिधि को विस्तृत कर सके और जो अपना प्रतिवेदन आगामी एक माह में प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अयध्क्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ को जनमत संग्रह हेतु घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में— परिभाषायें

(क) "मूल अधिनियम" का तात्पर्य, यथास्थिति, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० या वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ से है; यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६, यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९२१, उ०प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६, यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९२०, उ० प्र० अधिनियम संख्या २८, १९५६

(ख) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य, यथास्थिति, आगरा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी या वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से है; और

(ग) उन शब्दों तथा पदों के, जो यहां पर परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिनियम में दिये गये हैं।

श्री रामायणराय—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (C) में शब्द "Act relating to the university" के स्थान पर शब्द "Principal Act" रख दिया जाय।

श्री रामस्वरूप यादव—मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री रामायणराय—मान्यवर, मेरा इस संशोधन से तात्पर्य यह है कि आज जो हमारे सामने बिल लाया गया है, उस बिल में जो विभिन्न यूनिवर्सिटियों के लिये व्यवस्था की गयी है उससे एक भ्रामक स्थिति पैदा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह तो है नहीं इसमें कहीं।

श्री रामायणराय—अंग्रेजी वाले में है।

श्री अध्यक्ष—विधेयक तो हिन्दी में ही पेश किया गया है, अंग्रेजी में नहीं पेश किया गया है।

श्री रामायणराय—मान्यवर, हम लोगों के पिजन होल में पहले अंग्रेजी की प्रति ही रखी हुई मिलो थी और बाद में बड़े प्रयास के बाद हिन्दी की प्रति मिल सकी। श्रीमन्, जो हिन्दी वाला विधेयक है उसके भी भीतर देखें तो अंग्रेजी हिन्दी से अधिक है।

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है, लेकिन इसमें २–(ग) इस प्रकार दिया हुआ है—"उन शब्दों तथा पदों के, जो यहां पर परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिनियम में दिये गये हैं।"

लेकिन आपने यहां पर अंग्रेजी के शब्द दिये हैं, इस तरह से आपने गलत तरीके से संशोधन दिया है।

श्री रामायणराय—श्रीमन्, अंग्रेजी में जो शब्द दिये गये हैं उनको आप देख लें।

श्री अध्यक्ष—अंग्रेजी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आपका जो संशोधन है वह अवैधानिक है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता। अब यह खत्म हो गया।

श्री रामायणराय—मुझे आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आपका संशोधन ही गलत है और अवैधानिक है। मैं समझता हूं कि अब अगले दिन आप कोई बात कहें।

१९६१–६२ का आय-व्ययक

श्री अध्यक्ष—अब माननीय वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष १९६१–६२ का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९६१–६२ का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब आप जरा ठहर जायं और सदन में आय-व्ययक की प्रतियां बंटने दें।

(आय-व्ययक की प्रतियां बांटी गयीं।)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय यह जो बजट की किताबें प्रस्तुत हैं इसके १२ पृष्ठ के बाद आप देखें कि आधा पेज फटा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि यह निकाल दिया गया है या क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष—वह एक दो प्रतियों में होगा वह बदल दी जायगी और सब में वह मौजूद है।

(कुछ ठहर कर)

मैं समझता हूं कि अब बजट की प्रतियां सब को मिल गई होंगी, शायद सब को मिल गई हैं इसलिये अब माननीय वित मंत्री जी अपना भाषण जारी रक्खें।

श्री हरगोविन्द सिंह—यह बजट तृतीय पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है, इसलिये पहले के बजटों की अपेक्षा इसका महत्व कुछ विशेष है। इस बजट में हमें नई नीतियां अपनानी होंगी, विशेषकर जिनका संबंध अगले पांच वर्षों में राज्य में होने वाले विकास कार्यों से हो। इसी बजट से आपको इस बात का भी प्रमाण मिलेगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल बनाने के लिए हमें किस प्रकार साधन एकत्रित करने होंगे और उसके

लिये कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस बजट को बनाने में यह आवश्यक था कि निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मितव्ययिता के साथ-साथ उपयोगिता में कोई कमी न होने पाये तथा योजनाओं के चलाने में कोई त्रुटि भी न रहने पाये। इसलिये यह सोचा गया कि इस बजट में शामिल की जाने वाली नई मदों और योजनाओं की जांच यथासंभव पहले ही कर ली जाय। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि हाल में ही सरकार में भी परिवर्तन हुआ। इन कारणों से हमेशा की भांति यह बजट फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जाहिर है कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले सदन को बजट पर यथोचित विचार करना और अनुदानों की मांगों को स्वीकार करना असम्भव होगा। साथ ही माननीय सदस्य इस बात को भी समझेंगे कि इस दौरान में मौजूदा सेवायें जारी रखने के लिये प्रशासन को धन की जरूरत होगी, इसलिये मेरा सदन से अनुरोध है कि विनियोग विधेयक पास होने तक के समय में जितना व्यय होने की सम्भावना है उसके लिये लेखानुदान यानी Vote on Account को स्वीकृत कर लिया जाय।

लेखानुदान यानी Vote on Account को पास कर देने से विधान मंडल व्यय की किसी ऐसी मद की स्वीकृति के लिये वचनबद्ध नहीं होता जिस पर उसने विचार न किया हो और जिसे उसने किसी अनुदान की मांग के अंगभूत स्वीकृति न दी हो। लेखानुदान की प्रक्रिया के अनुसार केवल ऐसी मदों पर व्यय किया जा सकता है जिनके लिये सदन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि योजना के नये प्रोजेक्टों को शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय जिससे उनके लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कसर न रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये लेखानुदान की अवधि केवल अप्रैल, १९६१ तक ही रक्खी गई है।

जैसा कि मैंने अभी बतलाया, तृतीय पंचवर्षीय योजना का पहला बजट होने के कारण इस बजट का विशेष महत्व है। योजना के बीच वाले वर्षों के बजटों में केवल यही सुनिश्चित किया जाता है कि योजना की स्कीमों को उसी आधार पर चलाया जाय जो पंचवर्षीय लक्ष्य के अन्तर्गत निश्चित किया गया हो। किन्तु योजना के प्रारम्भिक वर्ष का बजट उससे भिन्न होता है क्योंकि उसमें पांच वर्षों की अवधि की समस्त आवश्यकताओं तथा साधनों की जांच-पड़ताल की जाती है जिससे कि योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सभी उपलब्ध साधनों को पूरा-पूरा उपयोग में लाया जा सके।

अर्द्ध-विकसित तथा पिछड़े हुये देशों की अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिए लम्बे अर्से तक लगातार प्रयत्न करने पड़ते हैं। ऐसे देशों में दरिद्रता के कारण उन्नति के कार्यों में लगाने के लिये यथावश्यक धन नहीं मिलता। फलतः लोगों की आमदनी का स्तर बहुत ही कम रहता है। ऐसी दशा में योजनाओं का सर्वप्रथम उद्देश्य यह होता है कि किस प्रकार दरिद्रता के चक्र को तोड़ा जाय। योजनाबद्ध विकास की सफलता केवल इस बात से ही आंकी जायगी कि किस मात्रा में और कितनी शीघ्रता से इस कुचक्र को तोड़ा जा सकता है। इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि हमें अपनी सभी शक्तियां इसी उद्देश्य की पूर्ति में लगानी चाहिये; और यह प्रयास कुछ वर्षों तक ही नहीं, किन्तु कुछ पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति तक जारी रखना पड़ेगा।

परतंत्रतावश हमारी जनता जिस आर्थिक दुरवस्था को पहुंच गई थी उसका पुनर्वर्णन यहां जरूरी नहीं है। समाजवादी व्यवस्था पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हम वचनबद्ध हैं। अतः सरकार के सामने जनता से अनेक प्रकार की मांगें प्रस्तुत होना स्वाभाविक है, किन्तु इसी के कारण हमारी समस्या जितनी बड़ी हो जाती है उतना ही उसे हल करना आवश्यक भी हो जाता है।

फिर भी इसमें दो रायें नहीं हैं कि ऐसी दशा होते हुए भी हमारे देश ने प्रशंसनीय प्रगति की है। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता कि ब्योरेवार उन सभी बातों का वर्णन करूं जिनकी चर्चा विशद् रूप से अन्यत्र की गई है। संक्षेप में इतना कहना काफी होगा कि हमारी प्रगति के अनेक क्षेत्रों में से औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय वृद्धि हुई है; खासतौर पर इस्पात और इंजी-

[श्री हरगोविन्द सिंह]

निर्यारिंग के उद्योगों में, जिनमें मशीन बनाने का उद्योग भी है, बड़ी तरक्की हुई है । देश में इन बुनियादी उद्योगों के बढ़ने से भविष्य में लघु उद्योगों को निश्चय ही प्रोत्साहन मिलेगा । कृषि के क्षेत्र में यद्यपि इतनी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है फिर भी पैदावार में करीब ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा परिवहन और प्राविधिक शिक्षा सुविधाओं के प्रसार से यह बात साफ हो जाती है कि प्रगति की ठोस बुनियाद पड़ गई है और भविष्य में योजनाओं की प्रगति और भी तेजी से होगी ।

केवल उत्तर प्रदेश में ही देखा जाय तो आप पायेंगे कि पिछले दस वर्षों में नियोजन के फलस्वरूप हिसाब लगाने की वर्तमान प्रणाली तथ १९४८–४९ के भावों के अनुसार राज्य की कुल आमदनी जो १९५०-५१ में १,६३२ करोड़ रुपये थी, १९५९–६० में बढ़कर १,८६४ करोड़ रुपये हुई है। इसी अवधि में कृषि की पैदावार ८६७.६ करोड़ रुपये से बढ़कर १,००५.९ करोड़ रुपये की हो गई है। यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि दूसरी योजना के पहले तीन वर्षों में हमें दुर्भाग्यवश भयंकर बाढ़ों और सूखे का सामना करना पड़ा, तो यह प्रगति संतोषजनक ही समझी जानी चाहिए ।

हमारी सिंचाई योजनाओं की भी प्रगति संतोषजनक रही है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में कुल सिक्त क्षेत्र ९३ लाख एकड़ था । द्वितीय योजना के आखीर तक यह बढ़कर १०७ लाख एकड़ हो जायगा । इसके अतिरिक्त १४ करोड़ ३० लाख रुपयों की धनराशि अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई के छोटे निर्माण-कार्यों के लिए काश्तकारों को उधार दी गई है ।

औद्योगिक क्षेत्र (industrial sector) में, बिजली की कमी से इस राज्य की उन्नति में भारी बाधा पड़ी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में बिजली की हमारी अधिष्ठापित क्षमता (installed capacity) लगभग ३७० मेगावाट थी । द्वितीय योजना के अन्तर्गत पूरे किये गये निर्माण कार्यों से इस राज्य की बिजली पैदा करने की क्षमता ६८ मेगावाट और बढ़ जायगी । विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों से बिजली के हमारे सभी बड़े प्रोजेक्टों के पूरे होने में बाधा पड़ी, किन्तु अब यह आशा की जाती है कि वे तीसरी योजना की अवधि में कार्य करने लगेंगे । इन कठिनाइयों के बावजूद, प्रदेश की कारखानेदारी बढ़ाने के लिए मिर्जापुर जिले में पिपरी के निकट एक अल्मूनियम प्लांट और बरेली में एक कृत्रिम रबर प्लांट लगाने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निश्चय किये गये हैं । तीन सहकारी शुगर मिलें स्थापित की गई हैं । चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और लखनऊ में प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री के विस्तार कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं । यद्यपि विभिन्न औद्योगिक प्रोजेक्टों का इस राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर उतना अच्छा प्रभाव न पड़ा हो कि जिसकी आशा की जाती थी, फिर भी इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस अवधि में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण निश्चय किये गये हैं जिनकी वजह से इस राज्य की औद्योगिक तथा आर्थिक व्यवस्था की प्रगति में तेजी आ जायगी ।

जहां तक कि यातायात के साधनों का सम्बन्ध है, इन पांच वर्षों में बनी हुई नई सड़कों की लम्बाई २,१०० मील होगी, सुधार की गई कच्ची तथा पक्की सड़कें १,१६७ मील होंगी और ९० पुल बने होंगे । इस प्रकार द्वितीय योजना के अन्त में हमारे यहां १४,००० मील पक्की तथा २४,९०० मील कच्ची सड़कें होंगी ।

पहली दो योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य समाज सेवाओं की सुविधाओं में हर तरह से बढ़ती हुई है। आशा की जाती है कि प्राइमरी स्कूलों की संख्या, जो १९५५–५६ में ३१,८९८ थी, १९६०–६१ में बढ़कर ३९,६८९ हो जायगी । इसके फलस्वरूप ६ से ११ वर्ष तक के विद्यार्थियों का प्रतिशत ३५.४५ से बढ़कर ४३.४७ हो जायगा । माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है । इसी अवधि

में सिविल, मिकैनिकल तथा एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कालेजों तथा टेक्निकल इंस्टीट्यूट की डिग्री कक्षाओं में सालाना भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या १२० से बढ़कर ३६० हो गई है और डिप्लोमा कक्षाओं में यह संख्या १,०६६ से बढ़कर २,३१५ हुई है। आशा की जाती है कि अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या, जो १९५५–५६ में १,१२८ थी, १९६०–६१ में बढ़कर १,१८० हो जायगी और अस्पतालों में रोगी-शय्याओं की संख्या इसी अवधि में १६,४९७ से बढ़कर १७,७०० हो जायगी। वर्ष १९६०–६१ के अन्त तक ५५९ प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित हो जायेंगे और परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत १५० ग्रामीण और २५ शहरी केन्द्र खुल जायेंगे।

विकास की प्रगति का मूल्यांकन करते समय यह भूलना न चाहिये कि जिस समय योजनाओं को राज्य में चलाना शुरू किया गया था उस वक्त राज्य की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति बहुत ही असन्तोषजनक थी। इस राज्य की जन-संख्या देश के सभी राज्यों की जन-संख्या से अधिक थी और यह बराबर बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण हमारे राज्य की प्रगति और प्रदेशों की अपेक्षा कुछ धीमी गति से होती रही है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि विकास के कामों में खर्च होने वाली धनराशि बहुत ही कम रही और इसके फलस्वरूप राज्य की कुल आमदनी इतनी नहीं बढ़ पाई कि प्रति व्यक्ति की आमदनी में सामान्य वृद्धि होने पर इसका कोई प्रभाव पड़ सके। इस सम्बन्ध में आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से उत्तर प्रदेश में दूसरी योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति व्यय केवल ३७ रुपये २७ नये पैसे रहा, जबकि दूसरे समस्त राज्यों के ऐसे व्यय का औसत ५६ रुपये था। यदि राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं पर किये गये खर्चों पर सम्मिलित रूप से विचार किया जाय, तो देश में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पूंजी की लागत लगभग १२० रुपये पड़ती है जबकि उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में यह संख्या ३७ रुपये से कुछ ही अधिक है। इन चीजों का प्रतिविम्ब हमारी प्रगति की गतिविधि पर पड़ना स्वाभाविक ही है।

जाहिर है कि इस परिस्थिति को बदल देना अत्यावश्यक है। यदि राज्य की अर्थ-व्यवस्था की परिस्थिति का विश्लेषण किया जाय और साथ ही यह भी देखा जाय कि बढ़ती हुई जन-संख्या का खयाल करते हुये प्रति व्यक्ति की आमदनी में उचित वृद्धि कराने के लिए कितनी लागत जरूरी है, तो यही विदित होगा कि उत्तर प्रदेश के लिए एक व्यापक और साहसी योजना की आवश्यकता है। इसके अनुसार ही राज्य सरकार ने योजना आयोग के सामने लगभग ७२४ करोड़ ६० लाख रुपयों की योजना का एक आलेख्य प्रस्तुत किया जिसे योजना आयोग ने घटा कर ४९७ करोड़ रुपयों का कर दिया। यह धनराशि हमारी अर्थ-व्यवस्था को, जिसकी प्रगति रुकी हुई है, स्वतः उत्पादक अर्थ-व्यवस्था (self-generating economy) बनाने के लिए काफी नहीं है और हमें इस बात की बड़ी आशंका है कि इस ४९७ करोड़ रुपये की लागत से भी हम आत्म-निर्भरता की अवस्था से दूर ही रहेंगे। साथ ही मैं यह भी बता दूं कि ४९७ करोड़ रुपयों की इस योजना को भी तब मंजूरी मिली जब राज्य सरकार की तरफ से यह विश्वास दिलाया गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए राज्य भी स्वयं अपना हिस्सा जुटायेगा। हमारे हिस्से की रकम १४७ करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। यह कोई छोटी रकम नहीं है और माननी पड़ेगा कि इससे हमारे ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि इस समय हमारी अर्थ-व्यवस्था को इस भारी बोझ के सहन करना आसान नहीं है। साथ ही जाहिर है कि हम अपने हितों को धक्का पहुंचाये बिना तीसरी पंचवर्षीय योजना के विस्तार या लागत को कम नहीं कर सकते। हमारे लिए यह अत्यावश्यक हुआ है कि योजना में हमारे लिये जितनी धनराशि निर्धारित की गई है उसी के अन्दर अधिक से अधिक फायदा उठाने का प्रयत्न हम करें। मुझे इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं कि अगर हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हम सबको इस योजना से अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना होगा। माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा कि जो तखमीने मैं पेश करने जा रहा हूं उन पर वे इसी दृष्टिकोण से विचार करें।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

बजट के आंकड़े

१९५९–६० में राज्य की वास्तविक आय तथा व्यय सम्बन्धी बजट के आंकड़े, १९६०–६१ के संशोधित (revised) तखमीने और १९६१–६२ के बजट के तखमीने, वित्त सचिव के बजट मेमोरेन्डम में विस्तार से समझाये गये हैं और मैं यहां पर उनका केवल संक्षेप में ही उल्लेख करूंगा ।

१९५९–६० के मूल बजट में राजस्व की प्राप्तियों और व्यय के तखमीने क्रमशः ११९ करोड़ ६१ लाख रुपये और १२१ करोड़ ४७ लाख रुपये थे जिससे राजस्व में १ करोड़ ८६ लाख रुपये का घाटा पड़ता था । तथापि वर्ष में वास्तविक कार्य-सम्पादन के फलस्वरूप १ करोड़ ३९ लाख रुपये की बचत हुई क्योंकि राजस्व की प्राप्तियां बढ़कर १२९ करोड़ ५५ लाख रुपये हो गईं और राजस्व व्यय १२८ करोड़ १६ लाख रुपये ही हुआ । व्यय के इस आंकड़े में ६०० लाख रुपये की वह धनराशि भी शामिल है जो भारत सरकार से लिये गये ऋणों के प्रतिदान के लिये, राजस्व की वास्तविक स्थिति को देखने के बाद, निक्षेप निधि (Sinking Fund) में जमा की गई है ।

१९६०–६१ के मूल बजट में राजस्व की प्राप्तियों और व्यय के तखमीने क्रमशः १३० करोड़ ९० लाख रुपये और १३३ करोड़ २३ लाख रुपये थे जिससे राजस्व में २ करोड़ ३३ लाख रुपये की कमी की सम्भावना दीखती है । इस वर्ष के संशोधित तखमीनों में राजस्व की प्राप्तियां १३८ करोड़ ५५ लाख रुपये और व्यय १३८ करोड़ २६ लाख रुपये होने का अनुमान लगाया गया है । इस प्रकार राजस्व में जिस कमी की पहले आशंका की गई थी, वह अब न होगी । उसके बदले सम्भवतः राजस्व में २९ लाख रुपये की छोटी-सी बचत हो जायेगी ।

राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों और अग्रऋणों के संवितरण और पूंजीगत व्यय के शुद्ध तखमीने १९६०–६१ के मूल बजट में ३६.१७ करोड़ रुपये थे । संशोधित तखमीनों में अब यह ३५.७७ करोड़ रुपये होते हैं ।

१९६१–६२ के लिए राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के तखमीने क्रमश १४५ करोड़ ६३ लाख रुपये तथा १५४ करोड़ १३ लाख रुपये होते हैं, जिससे ८ करोड़ ५० लाख रुपयों के राजस्व के घाटे का अन्दाज आता है । राजस्व की कुल प्राप्तियों में १४ करोड़, रुपयों की वह धनराशि भी सम्मिलित है जिसकी योजना के कार्यक्रमों के निमित्त भारत सरकार से अर्थ सहायता (subvention) के रूप में मिलने की आशा की जाती है । इसी प्रकार कुल राजस्व व्यय के आंकड़े में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों में व्यय के लिए २७ करोड़ ४१ लाख रुपयों की व्यवस्था सम्मिलित है । यदि योजना की कार्यक्रम सम्बन्धी प्राप्तिय और व्यय दोनों ही अलग कर दिये जायें तो कुल राजस्व प्राप्तियां १३१ करोड़ ६३ लाख रुपये हो जायंगी और योजना से बाहर का साधारण राजस्व व्यय १२६ करोड़ ७२ लाख रुपये होगा । इस प्रकार साधारण राजस्व संसाधनों से ४ करोड़ ९१ लाख रुपये की बचत होगी जो योजना के खर्च के लिए उपलब्ध होगी । इन ४ करोड़ ९१ लाख रुपयों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यक्रमों के लिए दिये गये १४ करोड़ रुपये का प्रत्याशित अनुदान जोड़ दिया जाय तो कुल १८ करोड़ ९१ लाख रुपये हो जायेंगे, किन्तु योजना पर राजस्व व्यय का तखमीना २७ करोड़ ४१ लाख रुपये है । अतएव ८ करोड़ ५० लाख रुपये का राजस्व घाटा होगा । पूंजीगत व्यय और राज्य सरकार द्वारा ऋणों और अग्र-ऋणों के संवितरण के लिए कुल शुद्ध व्यवस्था ५६ करोड़ ४९ लाख रुपये की है, जिसमें ४३ करोड़ ८१ लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के लिए होगी । पूंजी के लेखे में, योजना के अतिरिक्त १४ करोड़ ३५ लाख रुपये का व्यय होगा और ऋणों पर ४ करोड़ ३० लाख रुपये व्यय होंगे । इस प्रकार

१९६१-६२ में योजना सम्बन्धी व्यय ७१ करोड़ २२ लाख रुपये होगा, जिसमें से २७ करोड़ ४१ लाख रुपये राजस्व में से और ४३ करोड़ ८१ लाख रुपये ऋणों को सम्मिलित करके पूंजी लेखे में से होगा ।

चालू तथा बजट वर्ष के कार्य

यह प्रथा है कि विभिन्न विभागों द्वारा चालू वर्ष में की गई कार्यवाहियों और बजट वर्ष में की जाने वाली कार्यवाहियों की समीक्षा बजट भाषण में की जाय। मैंने पहली दो योजनाओं के कार्य का पहले ही संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। मुझे उम्मीद है, मेरे माननीय सहयोगी, अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करते समय अपने-अपने विभागों की कार्यवाहियों का अधिक विस्तृत विवरण सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे । अतएव मैं तीसरी योजना के उद्देश्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करने से पूर्व चालू वर्ष में विभिन्न विभागों के कार्य और बजट वर्ष में की जाने वाली कार्यवाहियों का केवल संक्षेप में वर्णन करूंगा ।

पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कृषि के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई और खरीफ तथा रबी आन्दोलन संगठित किये गये । फलस्वरूप अनाज का उत्पादन १३५ लाख टन तक पहुंच जाने की आशा है । बजट वर्ष में खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य ८ लाख ७३ हजार टन नियत किया गया है जिससे कि कुल उत्पादन १४४ लाख १३ हजार टन हो जाय। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ५० लाख मन अच्छा बीज, ५ लाख १० हजार टन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और लगभग १ लाख टन फास्फेट फर्टिलाइजर बांटने का प्रस्ताव है। कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान के अपने कालेजों के साथ, जुलाई, १९६० से कार्य करना शुरू कर दिया है और इस समय उसमें २५० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं।

सीमेंट, लोहे का तार और कोयला जैसे आवश्यक इमारती सामान पाने में कठिनाई होने पर भी सिंचाई सम्बन्धी बहुत से मध्यम और छोटे निर्माण कार्यों की काफी प्रगति होती रही। ये निर्माण कार्य अब करीब-करीब पूरे होने को हैं । इनमें से बाल्मीकि सरोवर से १५,५०० एकड़, जिरगा जलाशय से ६४,००० एकड़ और तुमारी जलाशय योजना से ४०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है । अपर खजूरी जलाशय करीब-करीब बन कर तैयार हो गया है । इससे १८,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । १९६१-६२ में भांडर कैनाल पर २५० मील छोटी नहरें बनाने तथा माताटीला बांध पर बाढ़ के फाटकों (flood gates) को लगाने का काम हाथ में लिया जायगा । इसी वर्ष दोहरी घाट पम्प कैनाल तथा टांडा पम्प कैनाल का निर्माण कार्य भी पूरा किया जायेगा । मेजा जलाशय प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य बांध का निर्माण कार्य शुरू किया जायगा और यह आशा की जाती है कि मुख्य राम-गंगा प्रोजेक्ट का भी निर्माण कार्य शुरू करना सम्भव हो सकेगा । साथ ही रामगंगा की नहरों का भी निर्माण कार्य किया जा सकेगा ।

सहकारिता की प्रगति लगातार हो रही है और आशा है कि वर्ष के अन्त तक ५,००० और सेवा सहकारी समितियां बन जायेंगी जो लगभग ३० करोड़ रुपये तक उधार दे सकेंगी । उत्तर प्रदेश राज्य भूमि बन्धक बैंक तथा उसकी २९ शाखायें खोली जा चुकी हैं । बजट वर्ष में ४,००० सेवा सहकारी समितियां बनाने का विचार है। अंसरकारी स्रोतों से प्राप्य अतिरिक्त अंश पूंजी का लक्ष्य १३० लाख रुपये निर्धारित किया गया है और सहकारिता संगठन को आशा है कि उसमें लगभग ११६ लाख रुपये जमा हो जायेगा ।

अगले वर्ष के यातायात सम्बन्धी कार्यक्रम में २९८ मील नई सड़कों के निर्माण, तथा १६६ मील मौजूदा सड़कों के सुधार का कार्य शामिल है । अगले वर्ष २३ पुलों के बनाये जाने की भी सम्भावना है ।

औद्योगिक और विद्युत शक्ति के क्षेत्र में, चालू वर्ष में रिहन्द बांध के जलाशय में पानी एकत्र करना सम्भव हुआ है। इसके फलस्वरूप १९६१ के अन्त तक बिजली का उत्पादन

[श्री हरगोविन्द सिंह]

करने वाली कम से कम दो मशीनों का परीक्षण किया जा सकेगा और वे कार्य करने लगेंगी । मऊ तथा गोरखपुर के थर्मल स्टेशनों से रिहन्द को मिलाने के प्रोजेक्ट का कार्य भीशुरू किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप इस समय जितनी बिजली देने के वादे किये गये हैं उसके अलावा लगभग २०,००० किलोवाट अधिक बिजली जनता की आम मांगों को पूरा करने के लिए अन्ततः रिहन्द से सप्लाई हो सकेगी । रिहन्द को इलाहाबाद और कानपुर से मिलाने के लिए भी प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और आशा की जाती है कि बजट वर्ष में इस पर कार्य शुरू हो जायेगा । हरदुआगंज ऐक्सटेंशन प्रोजेक्ट में कार्य तेजी से हो रहा है और यह आशा है कि जून, १९६२ तक ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा होने लगेगी । यमुना जल-विद्युत योजना की प्रथम अवस्था का कार्य भी अभी हाल ही में शुरू किया गया है और अधिक से अधिक तेजी से किया जा रहा है । माताटीला जल-विद्युत् योजना में भी तेजी से कार्य हो रहा है और यह उम्मीद है कि वह अक्तूबर, १९६३ तक पूरी हो जायगी । इन बड़ी स्कीमों के अलावा, विद्युत् बोर्ड ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ५ छोटी जल-विद्युत् योजनायें स्वीकार की हैं । इनसे उत्तराखण्ड डिवीजन के नये जिलों के करीब ११ शहरों को बिजली मिलने लगेगी । विद्युत् बोर्ड ने प्रदेश के पूर्वी भाग की ३२ ग्रामीण बस्तियों में भी बिजली लगाने की स्वीकृति दे दी है ।

इस वर्ष में, फैक्ट्रीज ऐक्ट के अधीन ३२६ नये औद्योगिक यूनिट स्थापित किये गये हैं और इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन ऐक्ट, १९५१ के अधीन लगभग ५०० यूनिटों को लाइसेंस दिये गये हैं । इनमें कागज बनाने, इस्पात की ढलाई, दूध के पदार्थ, कास्टिक सोडा, सुपर फास्फेट और कन्डक्टर तैयार करने के लाइसेंस भी शामिल हैं । श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में भी काफी सफलता मिली है । उद्योगपतियों और श्रमिकों में सद्भावना की वृद्धि करने के लिए एक पर्सनेल एडवाइजरी सर्विस (Personnel Advisory Service) स्थापित करने और औद्योगिक झगड़ों में वालन्टरी आर्बिट्रेशन (voluntary arbitration) को बढ़ावा देने के लिए पंच नामावलि (panel of arbitrators) की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव है । रोजगार दिलाने के तीन कार्यालय उत्तराखण्ड डिवीजन के पहाड़ी जिलों में और रोजगार दिलाने के १७ सूचना केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे ।

विकास अन्वेषणालय ने केवल १ लाख २५ हजार रुपये की लागत से चीनी बनाने के एक छोटे यूनिट का विकास किया है । यह यनिट उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होगा जहां बैक्युअम शुगर फैक्ट्रियां नहीं हैं और परिवहन की सुविधायें कम हैं ।

मैजिस्ट्रेटों के न्याय सम्बन्धी कृत्यों को पृथक करने की योजना अप्रैल, १९६० में १४ और जिलों में लागू की गई और अगले वर्ष १३ और जिलों में इस योजना के लागू हो जाने पर, कुमायूं और उत्तराखण्ड डिवीजनों के पहाड़ी जिलों को छोड़कर, सारा राज्य इस योजना के अन्तर्गत आ जायेगा । अगले वित्तीय वर्ष में अनाथों तथा शिशुओं के लिए एक आदर्श-गृह, वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों के लिए एक आश्रम और अवेक्षा-गृहों (After-care Homes) में रखे गये व्यक्तियों के बच्चों के लिए एक आदर्श-गृह खोलने की योजना है ।

शिक्षा के क्षेत्र में, बजट वर्ष के दौरान में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल बालिकाओं के लिए १,००० जूनियर बेसिक स्कूल तथा बाल-बालिकाओं के लिए २,५०० जूनियर बेसिक स्कूल और शहरी क्षेत्रों में बालकों तथा बालिकाओं के लिए ४७० बड़े जूनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे । अध्यापिकाओं के लिए १,४०० क्वार्टर बनाने तथा बालिकाओं की शिक्षा की सुविधा के लिए ५०० विद्यालय मातृकायें (school mothers) नियुक्त करने की भी योजना है ।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मलेरिया निरोधक कार्यक्रम के अन्तर्गत निरीक्षण योजना लागू की गई जो इस वर्ष का एक उल्लेखनीय कार्य रहा है । चचक के रोग का उन्मूलन

करने के लिए पाइलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में उसका और भी विस्तार किया जायगा। डाक्टरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इलाहाबाद में एक मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव है और आशा की जाती है कि यह कालेज अगस्त, १९६१ से शुरू होगा। चालू वर्ष में ५ क्षय रोग क्लिनिक और ९ महिला औषधालय खोले जायेंगे और देशी चिकित्सा प्रणालियों के वर्तमान औषधालयों के अतिरिक्त २३ ऐसे औषधालय और खोले जायेंगे। साथ ही अस्पतालों में ११६ और रोगी-शय्याओं की व्यवस्था की जायगी ।

अन्त में, मैं यह भी कह दूं कि बाढ़ों तथा अग्नि-काण्डों से पीड़ितों की मदद करने के लिए सरकार को सहायता तथा रक्षा की कार्यवाहियां व्यापक रूप से करनी पड़ीं। ऐसे लोगों को मुफ्त सहायता देने, टेस्ट तथा सहायता सम्बन्धी निर्माण कार्य आरम्भ करने और तकावी बांटने के लिए दिसम्बर, १९६० तक १ करोड़ ३० लाख ५४ हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसके अलावा मालगुजारी में एक करोड़ रुपये से भी अधिक की छूट दी गई ।

तृतीय योजना

अब मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित प्रोजेक्टों का जिक्र करूंगा। स्पष्टतः हमारा सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि हम योजना की उत्पादक स्कीमों पर ज्यादा जोर दें जिससे कि हमारी प्रगति न केवल उस वेग से हो जिस वेग से देश में विकास हो रहा है, अपितु हमारी प्रगति उन्नतिशील राज्यों की प्रगति के समान हो जाय। प्रायः ऐसी सभी स्कीमों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं। हमारी यही कोशिश होनी चाहिये कि हम ४९७ करोड़ रुपयों के खर्च से ही निर्धारित लक्ष्यों से आगे बढ़ जायं और उन्हें प्राप्त तो हर हालत में कर ही लें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके लिए हमें काफी प्रयास करना पड़ेगा और यह तभी सम्भव होगा जब हमारी सारी जनता योजना के अधीन चलाई जाने वाली स्कीमों को कार्यान्वित करने में पूरा सहयोग दे। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसने इस प्रकार के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाये हैं। मसलन् देहाती क्षेत्रों की स्कीमों को चलाने में अब हम कहीं अधिक विश्वास से बढ़ सकते हैं। पिछले महीने में गांव पंचायतों के चुनाव हुए। मैं समझता हूं कि उसमें जनता ने काफी बुद्धिमानी तथा दूरदर्शिता से काम लिया और अधिकतर उसने ऐसे व्यक्तियों को गांव पंचायतों के प्रधान तथा सदस्य चुना है जो योग्य हैं और जिन पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वे विकास के कार्यक्रम में बहुत दिलचस्पी लेंगे। जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति विधेयक विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है और यह सम्भव है कि अगले चन्द महीनों में ही क्षेत्र समितियां स्थापित हो जायं जो एक ओर अन्तरिम जिला परिषदों को और दूसरी ओर ग्राम पंचायतों को सूत्रबद्ध करने में कड़ी का काम करेंगी। इस बात की पूरी आशा है कि स्थानीय स्वशासन के तीन स्तरों पर, इन परिनियत निकायों (statutory bodies) के बन जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यवाहियां अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हो सकेंगी।

अपनी अगली योजना को वास्तविक रूप से जनता की योजना बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव, खंड तथा जिले के लिए जनता और उसके प्रतिनिधियों के सहयोग से विकास की योजनायें तैयार की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप अब हमारे पास सभी स्तरों पर आरम्भ की जाने वाली विकास की कार्यवाहियों की रूपरेखायें तैयार हैं । इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि छोटे से छोटे निकाय की योजना में भी विकास की प्रत्येक मद शामिल हो, यदि वह निकाय उसे कार्यान्वित करने में समर्थ हो । सरकार को पूर्ण विश्वास है कि योजना के कार्यक्रमों को तैयार करने और उनको कार्यान्वित करने में जो इस प्रकार का बंटवारा किया गया है उससे तीसरी पंचवर्षीय योजना पहले की योजनाओं की अपेक्षा कहीं अधिक सफल हो सकेगी ।

विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को उनके महत्व की दृष्टि से प्रथम, द्वितीय इत्यादि के क्रम में रखना कुछ कठिन है । कृषि उत्पादन, औद्योगीकरण या समाज सेवा सम्बन्धी

[श्री हरगोविन्द सिंह]

हमारी सभी आवश्यकतायें एक समान महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक हैं । फिर भी चूंकि हमारे लगभग ८० प्रतिशत लोग काश्तकार हैं, इसलिये योजना के कृषि क्षेत्र को समग्ररूप से उच्च स्थान देना आवश्यक है । कृषि के उत्पादन को बढ़ाकर ही हम अपनी ग्रामीण जनता की "प्रति व्यक्ति आय" बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे । इसलिये इस राज्य ने तीसरी योजना की अवधि में १८२ लाख ९० हजार टन अनाज के उत्पादन का लक्ष्य स्वीकार किया है । इसका यह मतलब होता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के १३५ लाख ४० हजार टन के सम्भावित उत्पादन के अलावा हम ४७ लाख ५० ह ार टन और उत्पन्न कर लेंगे । यह उल्लेखनीय है कि गांवों ने अपने योजना कार्यक्रमों में जो लक्ष्य रखे हैं उनसे उत्पादन में ६५ लाख टन की और वृद्धि होने का अनुमान होता है । यह वृद्धि जांच के बाद यदि कुछ कम भी आंकी गई तो भी करीब ५३ लाख टन के होगी । इससे स्पष्ट है कि विकास के विषय में हमारे लोगों का कितना उत्साह है और मुझे इसमें सन्देह नहीं कि यदि गांव वाले उतने ही उत्साह से कार्य करते हैं तो हम नियत खर्च में ही ५३ लाख टन की अतिरिक्त पैदावार का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकेंगे ।

सरकार की यह पक्की धारणा है कि अब कृषि को केवल एक "आजीविका" न समझकर एक उद्योग समझा जाय । सरकार इस काम के लिए योजना खर्च के जरिये आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और टेक्निकल जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी । गन्ना, तिलहन और कपास जैसी नकदी फसलों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । यदि लोग अपेक्षित प्रयत्न करें तो इन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और वे ही लाभान्वित होंगे । सरकार छोटे पैमाने पर सिंचाई करने पर भी बहुत ज़ोर दे रही है और बजट वर्ष में सामुदायिक विकास तथा अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों के लिए १ करोड़ ७० लाख रुपये की धनराशि नियत की जा रही है ।

औद्योगिक क्षेत्र में भारी उद्योगों के लिए ३ करोड़ ६८ लाख रुपये और ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए १६ करोड़ ३७ लाख रुपये की लागत की व्यवस्था की गई है । इसमें से बजट में बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए ४५ लाख रुपये और लघु उद्योगों के लिए २ करोड़ १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । लघु उद्योगों के विकास की विशेषता यह है कि पांच वर्ष की अवधि में राज्य में उपयुक्त स्थानों पर बहुत से औद्योगिक आस्थान (इस्टेट) स्थापित किये जायेंगे जिनमें से चार बड़े, आठ मध्यम, पांच छोटे तथा छत्तीस ामीण होंगे । इन उद्योगों का विकास भारी उद्योगों के सहायार्थ होगा और ये कृषि के लिए भी उपयोगी होंगे । भारी उद्योगों के क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत सीमेंट और सूक्ष्म यंत्र (precision instruments) तैयार करने वाले सरकारी कारखानों का विस्तार किया जायगा, बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए विकसित स्थानों की व्यवस्था की जायगी और नये सहकारी चीनी के कारखानों की पूंजी में हिस्से लिये जायेंगे । यह भी सोचा गया है कि राज्य में भारी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक वृहद् उद्योग (Large Scale Industries) कारपोरेशन स्थापित किया जाय । इस राज्य ने उद्योग को पहले से ही यथोचित महत्व दे रखा है और मैं आशा करता हूं कि सरकार टेक्निकल शिक्षा द्वारा तथा ऋण, पूंजी इत्यादि की व्यवस्था करके जिस प्रकार उत्साह पैदा कर रही है उसके फलस्वरूप हमारे राज्य के लोग बहुत बड़ी संख्या में छोटे उद्योगों को, जहां कहीं भी सम्भव होगा, स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे । सरकार इस बात को भलीभांति जानती है कि राज्य में उद्योगों का तेजी के साथ विस्तार करने में सबसे बड़ी बाधा बिजली की कमी है । इसलिये उसने बिजली की सप्लाई के लिए एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम हाथ में लिया है । सरकार आशा करती है कि इस तीसरी योजना की अवधि में १,१८१ मेगावाट तक बिजली की अधिष्ठापित क्षमता (installed capacity) का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा । इसी अवधि में ऐसे नगरों तथा गांवों की संख्या, जिनमें बिजली लगाई जायेगी, ४,९२८ से बढ़कर ९,९२८ तक पहुंच जायेगी ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मंत्री जी पढ़ते पढ़ते थक गये होंगे, अब सांस तो ले लेने दीजिये; (हंसी)

श्री हरगोविन्द सिंह—शिक्षा के प्रसार की हमारी योजना भी उतनी ही विशाल है। यह प्रस्ताव है कि योजना की अवधि में प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या ३९,६८९ से बढ़ाकर ६३,५५९ कर दी जाय। ऐसा होने पर ६ से ११ वर्ष तक के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत ४३.४७ से बढ़कर ६३.१४ हो जायेगा। शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए भी व्यवस्था की गई है जिससे कि ११ से १४ वर्ष तक की उम्र के बच्चों का प्रतिशत १७.९१ से बढ़कर २२.८४ तक पहुंच जाय और १४ से १७ वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत ९.४५ से बढ़कर १२.९१ हो जाय। उच्च शिक्षा के लिए और विशेष रूप से टेक्निकल शिक्षा के लिए भी पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। अब डिग्री कोर्स के लिए प्रति वर्ष भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या ३६० से बढ़कर ९१० हो जायगी और डिप्लोमा के लिए भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या २,३१५ से बढ़कर प्रति वर्ष ४,२३५ हो जायगी। टेक्निकल शिक्षा के प्रसार में वृद्धि के अनुसार विभिन्न संस्थाओं में योग्यता पर आधारित छात्रवृत्तियां देने का भी विचार है। सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में विभिन्न कौशल (skills) और व्यवसायों में ट्रेन्ड व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए भिन्न-भिन्न कार्यवाहियाँ की हैं ताकि वे काफी अच्छी तरह जीवन-निर्वाह कर सकें। आशा है हमारे राज्य के उद्यमी नवयुवक, उन सुविधाओं से जो उपलब्ध कराई जा रही हैं, पूरा लाभ उठायेंगे।

मैं यहां पर विभिन्न स्कीमों के ब्यौरों की अधिक चर्चा करना अनावश्यक समझता हूं क्योंकि मेरे सहयोगी सदन में अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करते समय इनका वर्णन विस्तार से करेंगे। मेरे लिये इतना कहना काफी है कि योजना के अन्तर्गत स्कीमों के लिए व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि सब लोगों को समान रूप से प्रोत्साहन और अवसर मिल सके ताकि प्रतिभावान् और परिश्रमी व्यक्तियों का, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों में हों या शहरी क्षेत्रों में, उपयोग लाभप्रद कार्य के लिए हो सके। लेकिन साध्य की प्राप्ति के हेतु परिश्रम करने के लिए जोश पैदा करना बहुत आवश्यक है और इस सदन के सभी दलों के माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि वे इस काम में हमारा हाथ बटायें क्योंकि इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य की समस्त जनता की उन्नति हो।

विशेष बातें

अब मैं कुछ महत्वपूर्ण मदों का जिक्र करूंगा।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की दशा से माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं। ये अध्यापक राज्य में सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों में हैं। सरकारी तथा स्थानीय निकायों के अन्य कर्मचारियों के साथ साथ प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के महंगाई भत्ते में भी १ अप्रैल, १९६० से अतिरिक्त वृद्धि की गई थी। इस वेतन वृद्धि के बाद भी प्राइमरी स्कूलों के ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड अध्यापकों की तुलना इस राज्य के केवल निम्नतम वेतन भोगी निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही की जा सकती है। चूंकि राज्य के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए यह परमावश्यक है कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की आर्थिक दशा में तुरन्त ही सुधार किया जाय, इसलिये राज्य सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के, जिनमें प्रधानाध्यापक भी सम्मिलित हैं, वेतन-क्रम में ४ रुपये महीने की वृद्धि करने का निश्चय किया है। इसके फलस्वरूप अनट्रेन्ड अध्यापकों का वेतन ४० रुपये महीना हो जायगा और सहायक अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों के वेतन-क्रम क्रमशः ४५ रुपये से ६० रुपये तथा ५५ रुपये से ७० रुपये तक हो जायेंगे।

हमारे राज्य में महिला शिक्षा की दशा सम्भवतः सारे देश में सबसे खराब है। इस स्थिति को सुधारने में सबसे बड़ी बाधा अध्यापिकाओं की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में

[श्री हरगोविन्द सिंह]

अध्यापिकाओं का कार्य करने के निमित्त सुयोग्य महिलाओं को आकृष्ट करने के लिए सरकार ने एक योजना चलाने का निश्चय किया है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों की ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड अध्यापिकाओं को विशेष ग्रामीण भत्ता दिया जायेगा । यह रियायत उनके वेतन-क्रम में वृद्धि के अतिरिक्त होगी ।

महिला शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बालिकाओं को ८वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का भी निश्चय किया है ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ाने के उद्देश्य से सहायता-प्राप्त विद्यालयों के अनुदान की धनराशि में डेढ़ वर्ष पूर्व ही वृद्धि कर दी थी । वेतन में इस वृद्धि के बावजूद भी, सरकार को यह महसूस हुआ है कि इन शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें महंगाई भत्ता बहुत कम मिल पाता है । केवल उन अध्यापकों को ही, जिनकी उपलब्धियां ७० रुपये प्रतिमास तक हैं, कुछ महंगाई भत्ता दिया है । इसलिये सरकार ने ऐसे अध्यापकों को, जो १०० रुपये प्रतिमास तक वेतन पाते हैं, ४ रुपये प्रतिमास का अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का निश्चय किया है । इस सम्बन्ध में नियमों के अन्तिम रूप से बन जाने के बाद सहायक अनुदानों में समुचित वृद्धियां कर दी जायेंगी । लेकिन यह वृद्धि १ अप्रैल, १९६१ से लागू होगी ।

राज्य में मेडिकल अफसरों की बहुत कमी है, जिसके फलस्वरूप बहुत से अस्पतालों में आवश्यक योग्यता-प्राप्त डाक्टर नहीं हैं । सरकार ने इस प्रश्न पर भलीभांति विचार किया है और वह इस नतीजे पर पहुंची है कि इस स्थिति में सुधार तभी हो सकेगा जब मेडिकल अफसरों के वेतन-क्रम बढ़ा दिये जायं । तदनुसार प्राविन्शियल मेडिकल सर्विस और प्राविन्शियल हेल्थ सर्विस के द्वितीय वर्ग के डाक्टरों के वेतन-क्रमों को संशोधित करने का निश्चय किया गया है । पी० एम० एस० (द्वितीय) अधिकारियों का वेतन-क्रम जो २००–४०० रुपये तक है बढ़ा कर २३५–६०० रुपये और पी० एच० एस० (द्वितीय) का वेतन-क्रम २००–४५० रुपये से बढ़ाकर २५०–६०० रुपये कर दिया जायगा ।

हमारी पुलिस फोर्स ने हमारे राज्य के कुछ भागों में डाकुओं के आतंक का सामना करके सराहनीय कार्य किया है । उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है । डाकुओं का सामना करने में हमारे कई पुलिस कर्मचारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है । ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को इस समय मौजूदा नियमों के अनुसार केवल एक्स्ट्रा-आर्डिनरी पेंशन मिलती है । सरकार यह महसूस करती है कि जिस कोटि के त्याग की अपेक्षा हमारे पुलिस फोर्स के कर्मचारियों से की जाती है उसके मुकाबले में उन्हें या असल में उनके परिवारों को जो मुआविजा दिया जाता है वह बहुत ही कम है । इसलिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो पुलिस कर्मचारी डाकुओं से मुठभेड़ में घातक हथियारों से मारे जांय उन्हें इस समय दी जाने वाली पेन्शन के बदले एक विशेष पेन्शन दी जाय । इस विषय में नियम बनाये जा रहे हैं । इनसे लाभ वे १ अप्रैल, १९६१ से प्राप्त करेंगे ।

माननीय सदस्य कदाचित् जानते हैं कि हमारा राज्य ही ऐसा पहला राज्य है जिसने १९४७ में कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट-कम-पेन्शन-कम-इन्श्योरेन्स स्कीम को लागू करके पेन्शन के नियमों को काफी उदार बना दिया । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक स्थायी सरकारी कर्मचारी को इस निधि में अपनी मासिक उपलब्धियों के प्रत्येक रुपये के पीछे १ आना अंशदान देना होता है । इतना ही अंशदान इस निधि में कर्मचारी के हिसाब में सरकार जमा करती है । सरकार द्वारा जमा किये गये अंशदान का रुपया और उसका ब्याज ऐसे सरकारी कर्मचारी को उसके रिटायर होने पर या नौकरी के दौरान में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को दिया जाता है । सरकार द्वारा दी जाने वाली इस एक मुश्त रकम के बदले पेन्शन की वह रकम, जिसे ऐसा सरकारी

कर्मचारी अन्यथा पाने का हकदार होता, उसी अनुपात में कम कर दी जाती है । इस योजना के लागू किये जाने के बाद भारत सरकार ने भी पेन्शन के अपने नियमों को उदार रूप दिया और एक ऐसी प्रणाली लागू की जिसके अनुसार इसी प्रकार की एक रकम, जैसी कि इस राज्य में सरकार अपने अंशदान के रूप में देती है, स्थायी सरकारी कर्मचारी को उसके रिटायर होने पर या नौकरी के दौरान में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को ग्रेच्युटी के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मृत्यु हो जाने की दशा में स्थायी सरकारी कर्मचारी के परिवार को उसकी नौकरी की अवधि के आधार पर अधिक से अधिक १० वर्ष तक के लिए पेन्शन की एक छोटी रकम भी मंजूर की जाती है। सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली यह पेन्शन केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों की दशा में मंजूर की जाती है जिन्होंने २० वर्ष तक की योग्यकारी सेवा (qualifying service) पूरी कर ली हो । ग्रेच्युटी केवल ऐसे सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दी जा सकती है जिन्होंने मृत्यु के समय कम से कम ५ वर्ष की योग्यकारी सेवा कर ली हो । राज्य सरकार ने दोनों तरीकों पर विचार किया है और उसने अगले वित्तीय वर्ष से भारत सरकार की योजना के अनुरूप एक योजना यथोचित संशोधनों के साथ अपनाने का निश्चय किया है। सेवा-काल में ही मर जाने वाले अभागे स्थायी सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को ग्रेच्युटी देने के लिये न्यूनतम सेवा सम्बन्धी कोई शर्त नहीं लगाई जायगी। इस के साथ-साथ सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि सभी स्थायी राज्य कर्मचारियों के लिए प्राविडेंट फन्ड में रुपया जमा करना अनिवार्य कर दिया जाय ।

यहां पर मैं कुछ उन परिवर्तनों का भी उल्लेख कर देना चाहता हूं जो इस वर्ष बजट प्रस्तुत करने में किये गये हैं । अब तक प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत योजना सम्बन्धी व्यय के लिए व्यवस्था एक पृथक शीर्षक "विकास योजनायें" के अन्तर्गत दिखाई जाती थीं। किन्तु यह प्रबन्ध पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं पाया गया। "विकास योजनायें" शीर्षक के नीचे योजना सम्बन्धी व्यय का जो वर्गीकरण अभी किया जाता है वह लेखा के ढांचे में ठीक नहीं बैठता। इसके अनुसार यह आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं पर होने वाला व्यय निर्धारित लेखा शीर्षकों के नीचे अलग अलग दिखाया जाय । इसलिये सरकार ने १९६१-६२ से योजना सम्बन्धी व्यय का नये सिरे से वर्गीकरण करने का निश्चय किया है जिससे कि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के साथ ही साथ हो जाय । तदनुसार बजट में तीसरी योजना सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था, केवल एक छोटे शीर्षक के अधीन न दिखला कर, लेखे के लिए निर्धारित सम्बद्ध बड़े, छोटे तथा उप-शीर्षकों के अन्तर्गत दिखलाई गई है । माननीय सदस्यों ने समय-समय पर यह भी सुझाव दिया है कि योजना का पृथक बजट बनाया जाय । हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों के लिए १९६१-६२ के बजट में व्यवस्थित धनराशियों के ब्योरे एक पृथक खंड में देने का निश्चय किया है और मुझे विश्वास है कि सदन इस सुविधाजनक परिवर्तन का स्वागत करेगा । यहां पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों के सम्पन्न हो जाने पर उन पर होने वाले आवर्तक व्यय की व्यवस्था साधारण व्यय के रूप में की जा रही है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वर्तमान कार्यक्रमों के सम्बन्ध में १९५९-६० के वास्तविक आंकड़े तथा १९६०-६१ के संशोधित तखमीने खंड ४ की एक नत्थी में पृथक दिये गये हैं । यह प्रक्रिया इसलिये अपनाई गई है कि यद्यपि वर्तमान शीर्षक "विकास योजनायें" १९६१-६२ से तृतीय योजना के लिए अनुपयोगी हो जायेगा, तो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित तखमीनों तथा १९५९-६० के वास्तविक आंकड़ों को उसी शीर्षक में दिखाना और १९६१-६२ के बजट में सम्मिलित करना पड़ा है ।

बजट साहित्य के खंड ३ में व्यय की नई मदों की व्याख्यात्मक टिप्पणियों को नवीन रूप दिया गया है जिससे कि हर स्कीम के बारे में यथासम्भव अधिक से अधिक ब्योरे सुस्पष्ट हो सकें । बजट साहित्य में प्रयोग किये जाने वाले पारिभाषिक शब्दों तथा बजट की रूप-रेखा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से इन कागज-पत्रों के साथ एक छोटी पुस्तिका भी परिचालित

[श्री हरगोविन्द सिंह]

की जा रही है और मैं आशा करता हूं कि इस पुस्तिका से माननीय सदस्यों को बजट के तखमीनों की छानबीन करने में कुछ सुविधा अवश्य होगी ।

मितव्ययिता

अब मैं उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जिन्हें सरकार योजना सम्बन्धी व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यान्वित करना चाहती है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजस्व लेखे में ८ करोड़ ५० लाख रुपये की कमी होगी । यह स्पष्ट है कि राजस्व की यह कमी अतिरिक्त कर लगाये बिना पूरी नहीं की जा सकती । लेकिन मौजूदा करों की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव करने के पहले यह बता देना उचित होगा कि व्यय में कमी करने के लिए सरकार क्या उपाय काम में ला चुकी या लाना चाहती है ।

पद ग्रहण करने के बाद से ही, नई सरकार सार्वजनिक व्यय में किफायतशारी करने पर बराबर जोर देती रही है । किफायतशारी की आज जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी क्योंकि आज तीसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए हमें अपने सभी साधन जुटाने हैं। सरकार को इस बात का विश्वास है कि किफायतशारी के किसी नाममात्र प्रयत्न से हमारी समस्या हल नहीं होगी। हमें लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में किफायतशारी करने की बात सोचनी होगी । किफायतशारी खुद ही होने लगे, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि अनुत्पादक योजनाओं के स्थान पर उत्पादक योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय । साथ ही यह भी जरूरी है कि "उत्पादक" और "अनुत्पादक" शब्दों के वर्तमान अर्थ को अधिक व्यापक रूप से समझा जाय न कि सामान्य रूप से जिसमें उनका आशय केवल किसी प्रोजेक्ट या स्कीम से उत्पन्न प्रत्यक्ष लाभ से होता है । इसलिये सरकार ने एक ऐसी नीति अपनाने का निश्चय किया है जिसके अनुसार सार्वजनिक निधि से कम से कम व्यय करके अधिक से अधिक कार्य सम्पन्न किया जाय । इसके लिये यह जरूरी है कि कर्मचारियों पर होने वाला व्यय कम किया जाय तथा योजनायें कार्यान्वित करने वाली मशीनरी को यथासम्भव कुशल बनाया जाय । यह आवश्यक है कि सभी व्ययों का सम्बन्ध लक्ष्यों की प्राप्ति से हो और व्यय तभी किया जाता रहे जब तक वह लाभप्रद हो । इन सभी बातों पर और ऐसे अन्य मामलों पर भी, जिनका सम्बन्ध प्रशासन के विभिन्न स्तरीय संगठन तथा कर्मचारिवर्ग से है, सरकार बिचार कर रही है । साथ ही विभिन्न स्तरों के पदों तथा कार्यों को मिलाने की सम्भावना पर विचार हो रहा है । किफायतशारी के उपायों की यह खोज वस्तुतः बराबर जारी रहेगी और सरकार ने यह तय किया है कि वह इस विषय का लगातार और तफसीलवार परीक्षण करती रहेगी । इसके साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सरकार ने इधर हाल में थोड़े समय के भीतर ही ऐसे उपाय अपना लिये हैं जिनसे प्रति वर्ष ५२ लाख रुपये के आवर्तक व्यय की बचत होगी । इस धनराशि को अगले वर्ष का बजट तैयार करते समय हिसाब में ले लिया गया है । इस धनराशि की बचत करने के लिए कुछ पदों की कमी करने के अलावा सरकार ने यात्रिक तथा दैनिक भत्तों के नियमों में भी कुछ संशोधन करने का निश्चय किया है जिससे सालाना ३० लाख रुपये तक की बचत हो जायगी । रेल से यात्रा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वर्गीकरण में भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं और "एअर-कन्डीशन्ड कोचों" में सफर के लिए भत्ता बन्द कर दिया गया है। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि १२०—३०० रुपये के कतिपय ग्रेडों के अफसरों को इस समय जो अर्दली मिलते हैं उसकी आवश्यकता की पूरी तरह जांच की जाय। इस वर्ग में उस समय त ; और भर्ती रोक दी गई है जब तक इस प्रकार छटनी में आये व्यक्ति कहीं और काम में न लग जायें। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि किफायतशारी का जो भी उपाय अख्तियार किया जाय उससे सरकारी कर्मचारियों की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और साथ ही किफायतशारी के उपायों के फलस्वरूप, जहां तक हो सके, कोई भी मौजूदा सरकारी कर्मचारी नौकरी से अलग न किया जाय। सरकार का

विचार है कि किफायतशारी की वजह से जितने कर्मचारी अलग हों उन सभी को आवश्यकतानुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के भावी प्रसार में लगा दिया जाय ।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, सरकार ज्यादा से ज्यादा किफायतशारी करने के लिए उत्सुक है, फिर भी इस समय मितव्ययिता से कितनी कमी होगी यह यहां ठीक-ठीक बतलाना असम्भव है; तो भी बचत की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए खर्च के तखमीने तैयार करते समय सतर्कता बरती गई है ।

अतिरिक्त संसाधन (Additional Resources)

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि १९५४-५५ से अनाजों की गिरती हुई कीमतों के कारण सरकार ने सिंचाई की दरों में कुछ छूट देने का आदेश दिया था । किन्तु उस समय की अपेक्षा आजकल सभी अनाजों और कृषि की अन्य चीजों के भाव काफी चढ़ गये हैं और उस समय की विशेष परिस्थिति में जो छूट दी गई थी उसको अब भी जारी रखना अनुचित होगा । इसलिये सरकार का यह विचार है कि अगले वित्तीय वर्ष से यह छूट न दी जाय । इससे अगले वित्तीय वर्ष में सिंचाई विभाग की राजस्व की प्राप्तियों में लगभग २ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी ।

इस सदन ने चीनी, गुड़, राब और खांडसारी तैयार करने वालों द्वारा गन्ने की खरीद पर कर लगाने का विधेयक पास कर दिया है । चीनी के निर्माताओं को दी जाने वाली छूट के समायोजन (adjustment) से गन्ना की खरीद पर लगाये गये कर से आय में लगभग २१ लाख रुपये की वृद्धि होगी ।

डीजल आयल को मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट के अन्तर्गत लाने के लिए एक विधेयक विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है । इस विधेयक के पास होने पर डीजल आयल की बिक्री पर कर लगेगा जिससे प्रतिवर्ष ५० लाख रुपये की आय होगी ।

पिछले दो वर्षों से देशी तथा विदेशी शराबों की खपत बढ़ रही है । इसलिये देशी शराब तथा रम (Rum) पर शुल्क की दर तथा विक्रय फीस में सरकार कुछ तब्दीली कर रही है । साथ ही आमदनी की वसूली में ढिलाई रोकने के उपाय भी सरकार कर रही है जिनके फलस्वरूप लगभग १ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है ।

बिक्री-कर की दरों में हाल में जो जांच की गई उससे यह पता चला है कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में बिक्री-कर की दरें कम हैं और जिन वस्तुओं पर बिक्री-कर नहीं लगता है उनकी सूची भी सबसे बड़ी है । इसलिये यह प्रस्ताव है कि मौजूदा कानून की मर्यादाओं के भीतर ही कुछ वस्तुओं के बिक्री-कर की दरों में रद्दोबदल कर दिया जाय । इससे और साथ ही बिक्री-कर से सम्बन्धित मुकदमों की दरख्वास्तों पर फीस से तथा करापवंचन (tax evasion) को रोकने की समुचित व्यवस्था से १ करोड़ ५० लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की सम्भावना है ।

इन तमाम उपायों से ५ करोड़ २१ लाख रुपये की आमदनी होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन फिर भी लगभग ३ करोड़ २९ लाख रुपयों की कमी रह जायगी । इस कमी को अभी मैं यों ही रहने देना चाहता हूं । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सरकार इस बात का भरसक प्रयत्न करेगी कि ऐसे सभी व्यय कम कर दिये जायें जो अनिवार्य नहीं हैं । लेकिन मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इन सब उपायों से राजस्व की सारी कमी दूर हो जायगी । इन उपायों के अमल में लाये जाने के बाद, अगर जरूरी होगा, मैं अतिरिक्त धन की मांग सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा ।

यद्यपि अभी ठीक-ठीक यह बतलाना मुश्किल है कि सरकार बाजार से कर्जा लेगी या नहीं, और लेगी तो कितना, फिर भी माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं यह बता दूं कि

[श्री हरगोविंद सिंह]

सरकार लगभग ८ करोड़ रुपया बाजार से उधार लेना चाहती है। यह ऋण इस बात पर निर्भर करेगा कि उधार लेते समय परिस्थितियां कैसी हैं। राष्ट्रीय बचतों से लगभग ९ करोड़ रुपये की आय होने की आशा की जाती है। राज्य के राष्ट्रीय बचत आन्दोलन ने चालू वित्तीय वर्ष में सराहनीय प्रगति की है। यह आन्दोलन मुख्यतः जनता के निर्धन वर्गों के लाभ के लिए है। इन वर्गों में किफायतशारी की आदत पैदा करने का अन्ततः फल यह होगा कि वे स्वावलम्बी हो जायेंगे। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि वे राज्य के देहाती क्षेत्रों में इस आन्दोलन को तेजी के साथ चलाने में अपना सहयोग प्रदान करें। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि सदस्यगण जो व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे उसका जनता के सभी वर्गों के लोग काफी हद तक अनुकरण करेंगे।

अन्त में, मैं भारत सरकार के प्रति और विशेष रूप से योजना आयोग के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मुझे यह कहते हुये बड़ी प्रसन्नता है कि यद्यपि आयोग हमारी मांग को पूर्णरूप से स्वीकार नहीं कर सका है, फिर भी उसने यह माना है कि हमारी मांग उचित है और हमारे लिए ४९७ करोड़ रुपयों की योजना स्वीकार कर ली है। मगर मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि यह मंजूरी राज्य के इस स्पष्ट आश्वासन पर ही मिल सकी है कि वह स्वयं अपने हिस्से की रकम की व्यवस्था करेगा। इस तरह हमें योजना के व्यय के लिए १४७ करोड़ रुपये की बड़ी रकम की व्यवस्था करनी है और मैं जानता हूं कि इसका हमारी जनता पर काफी भार पड़ेगा। जो थोड़ा-सा ही समय मुझे मिला है उसमें मैंने राज्य की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था का जितना वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया जा सकता था उतना आपके सामने रखा है। मुझे विश्वास है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि यदि हम तीसरी योजना में काफी धन नहीं लगाते तो शायद देश के लिए स्वतः उत्पादक अर्थ-व्यवस्था की प्राप्ति अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो जायगी। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस सदन के और इसके बाहर के प्रत्येक व्यक्ति का यह पक्का विश्वास होगा कि यदि हम यथोचित समय के भीतर जीवन के समाजवादी ढंग का लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो हमें उक्त अर्थ-व्यवस्था को प्राप्त करना ही होगा। अब हम ऐसी स्थिति पर पहुंच गये हैं जो कुछ गम्भीर है। हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य, इस बात पर निर्भर रहेगा कि हम किस प्रकार इस योजना को कार्यान्वित करते हैं, उस पर काम करते हैं। वर्तमान पीढ़ी की आर्थिक अवस्था संतोषजनक नहीं है। स्वतंत्रता-संग्राम में उसे काफी कष्ट झेलना पड़ा है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद अब हम देश की आर्थिक नींव सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे और जनता तथा हमारे बच्चे सुखी, समृद्ध और सम्पन्न हों। अतएव यह आवश्यक है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होने की हम फिर से दृढ़ प्रतिज्ञा करें। जाहिर है कि हमारे पास साधन सीमित हैं और उत्पादन कार्य में लगाने के लिए पूंजी नहीं है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम कड़ी मेहनत करें, अपनी आमदनी बढ़ायें, बचत करें और बचत की रकम को लाभार्थ लगायें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे अब आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना है कि वे बजट के प्रस्तावों का निष्पक्ष भाव से अध्ययन करें और जिस नये उत्तर प्रदेश के निर्माण का स्वप्न हम देख रहे हैं और जिसे पूरा करने के लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं, उसकी पवित्रता, विशालता और आत्मीयता को हम अनुभव करें। मैं आपके द्वारा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि वे ऐसे व्यावहारिक सुझाव देने की कृपा करें जिससे सरकार को इस राज्य की उन जटिल समस्याओं को हल करने में सहायता मिले जो आज प्रमुख रूप में उनके सामने हैं। हम अपने सीमित साधनों तथा अन्य वित्तीय एवं टेक्निकल कमियों को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि दृढ़ संकल्प, अध्यवसाय तथा सहयोग से हम अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे।

अन्त में मैं वित्त विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बड़ा परिश्रम किया है, धन्यवाद देता हूं। हमारे वित्त सचिव, श्री भिड़े हैं जो अपने पद का कार्य बड़ी ही कुशलता तथा दक्षता के साथ कर रहे हैं। इस अल्पकाल में ही जब से मैंने वित्त विभाग का कार्यभार संभाला है, उन्होंने असाधारण कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देकर मेरे कार्य में बड़ा योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त श्री दवे ने भी जो इसी वर्ष इस विभाग में आये हैं अपनी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है। श्री भरतनारायण तथा श्री रे निःसन्देह बहुत ही योग्य, परिश्रमी तथा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। इस बजट के तैयार करने तथा वित्त विभाग से सम्बन्धित कई अन्य कार्यों में इनका सहयोग मुझे सदा मिलता रहा है। इसके अतिरिक्त श्री भटनागर व श्री नेने का भी विशेष उल्लेख करना जरूरी है। इन सबको तथा वित्त विभाग के उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बजट के तैयार करने में बड़ा परिश्रम और सहयोग दिया है। गवर्नमेन्ट प्रेस तथा भाषा विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने बजट के प्रकाशन में अथक परिश्रम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं १९६१–६२ का बजट प्रस्तुत करता हूं। (तालियां)

१९६१–६२ के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम एक महीने में इस के साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले तखमीनी व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो २१,५७,४१,००० रुपए से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम एक महीने में इस के साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले तखमीनी व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो २१,५०,४१,००० रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)––श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ [Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 196] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ [Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1961]. को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द सिंह––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ [Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1961], पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

[श्री हरगोविन्द सिंह]

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ [Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1961] पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ [Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1961]. पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, २, ३ तथा अनुसूची

संक्षिप्त शीर्षनाम

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६१-६२ के लिये २६,५२,१४,००० रु० का दिया जाना।

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो १ अप्रैल, १९६१ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग २६,५२,१४,००० रुपये (छब्बीस करोड़, बावन लाख, चौदह हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हों।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत जोत कर ..	२७,०००	१,०००	२८,०००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	५७,८७,०००	१,०००	५७,८८,०००
३	राज्य आबकारी ..	७,४३,०००	१,०००	७,४४,०००
४	स्टाम्प ..	७३,०००	१,०००	७४,०००
५	वन ..	२५,३२,०००	१,०००	२५,३३,०००
६	निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)	१,६१,०००	१,०००	१,६२,०००
८	बिक्री-कर ..	३,८५,०००	१,०●●	३,८६,०००
९	अन्य कर और शुक्ल ..	६९,०००	१,०००	७०,०००
१०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	१,०४,९३,०००	१,०००	१,०४,९४,७००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पज़ेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
११	सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय	४५,७५,०००	१,०००	४५,७६,०००
१२	अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें ..	५,९९,०००	..	५,९९,०००
१३	सामान्य प्रशासन	२६,५६,०००	१,१४,०००	२७,७०,०००
१४	आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन	५३,५४,०००	१,०००	५३,५५,०००
१५	गांव सभायें और पंचायतें	१०,९३,०००	१,०००	१०,९४,०००
१६	न्याय प्रशासन ..	१३,१५,०००	२,४८,०००	१५,६३,०००
१७	कारागार (जेल) ..	१५,४२,०००	१,०००	१५,४३,०००
१८	पुलिस ..	८७,६४,०००	१,०००	८७,६४,०००
१९	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप	१,९६,०००	१,०००	१,९७,०००
२०	शिक्षा ..	१,७६,००,०००	१,०००	१,७६,००,०००
२१	चिकित्सा ..	४४,०५,०००	१,०००	४४,०६,०००
२२	जन-स्वास्थ्य ..	३७,३५,०००	१,०००	३७,३६,०००
२३	कृषि सम्बन्धी विकास	४३,५३,०००	६,०००	४३,५९,०००
२४	उपनिवेशन	१,०२,०००	१,०००	१,०३,०००
२५	पशुपालन ..	२०,६७,०००	१,०००	२०,६८,०००
२६	विद्युत योजनायें—अधिष्ठान	१७,१२,०००	१,०००	१७,१३,०००
२७	सहकारिता ..	१८,११,०००	१,०००	१८,१२,०००
२८	उद्योग ..	६०,९५,०००	१,०००	६०,९६,०००
२९	श्रम तथा सेवायोजना ..	१३,०९,०००	१,०००	१३,१०,०००
३०	परिवहन ..	१,४८,०३,०००	७,०००	१,४८,१०,०००
३१	सूचना निदेशालय ..	३,६९,०००	१,०००	३,७०,०००
३२	खाद्य और रसद संगठन	६,४१,०००	५,०००	६,४६,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	५१,१६,०००	३०,०००	५१,४६,०००
३४	संचार-साधनों का सुधार ..	५,५९,०००	..	५,५९,०००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	९,०४,०००	१,०००	९,०५,०००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (Grants-in-aid to Civil Works) ..	९,०६,०००	..	९,०६,०००
३७	दुर्भिक्ष सहायता ..	२,९१,०००	२,९२,०००	५,८३,०००
३८	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	१,७१,०००	..	१,७१,०००
३९	अधिवर्ष भत्ते (Superannuation allowances) तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें)	१८,४७,०००	१,०८,०००	१९,५५,०००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखि धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
४०	लेखन -सामग्री और मुद्रण (Stationery and Printing) ..	१४,७७,०००	१,०००	१४,७८,०००
४१	प्रकीर्ण व्यय ..	४९,२९,०००	१,०००	४९,३०,०००
४२	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	१७,२०,०००	१,०००	१७,२१,०००
४३	समाज कल्याण ..	४,६०,०००	१,०००	४,६१०००
४४	नियोजन और एकीकरण (Planning and Co-ordination) ..	८६,६१०००	१,०००	८६,६२,०००
	ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	१,११,८१,०००	१,११,८१,०००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	३,७४,१९,०००	३,७४,१९,०००
४५	वनों पर पूंजीगत लागत ..	९७,०००	..	९७,०००
४६	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत ..	१,१२,३४,०००	..	१,१२,३४,०००
४७	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत	१,००,८६,०००	१,०००	१,००,८७,०००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत ..	६४,९५,०००	१,०००	६४,९६,०००
४९	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों (Civil Works) पर पूंजीगत लागत	१,१५,५७,०००	२,०००	१,१५,५९,०००
५०	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत	५८,७२,०००	..	५८,७२,०००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत	५१,८९,०००	२५,०००	५२,१४,०००
५२	निवृत वेतनों (पेंशनों) की संराशि (Commuted Value of Pensions) ..	६१,०००	२,०००	६३,०००
५३	राज्य व्यापार (State Trading) की योजनायें	१,५४,१३,०००	१,०००	१,५४,१४,०००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (Loans and Advances Bearing Interest) ..	१,७३,,३०,०००	..	१,७३,३०,०००
	योग ..	२१,५७,४१,०००	४,९४,७३,०००	२६,५२,१४,०००

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १,२,३,और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक १९६१

१ अप्रैल, १९६१ ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाय :

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरगोविन्दसिंह--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ [Uttar Pradesh Appropriation (vote on Account) Bill, 1961.] पारित किया जाय ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं.....

श्री अध्यक्ष--इसके ऊपर बहस नहीं होगी ।

श्री राजनारायण--१९५४ में इतनी कुर्बानी करने के बाद जो नहर रेट में ३ आने की छूट हुई थी उसकी कालिख सरकार फिर पोत रही है ....

श्री अध्यक्ष--बजट की बहस में कहियेगा, इसमें नहीं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ [Uttar Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1961.] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में -- १७९,
विपक्ष में -- ११ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर २८ मिनट पर बृहस्पतिवार, २३ मार्च, १९६१ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१७ मार्च, १९६१ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३०३ एल० ए०—१९६१--८४५ ।